ROSA LUXEMBURG STIFTUNG

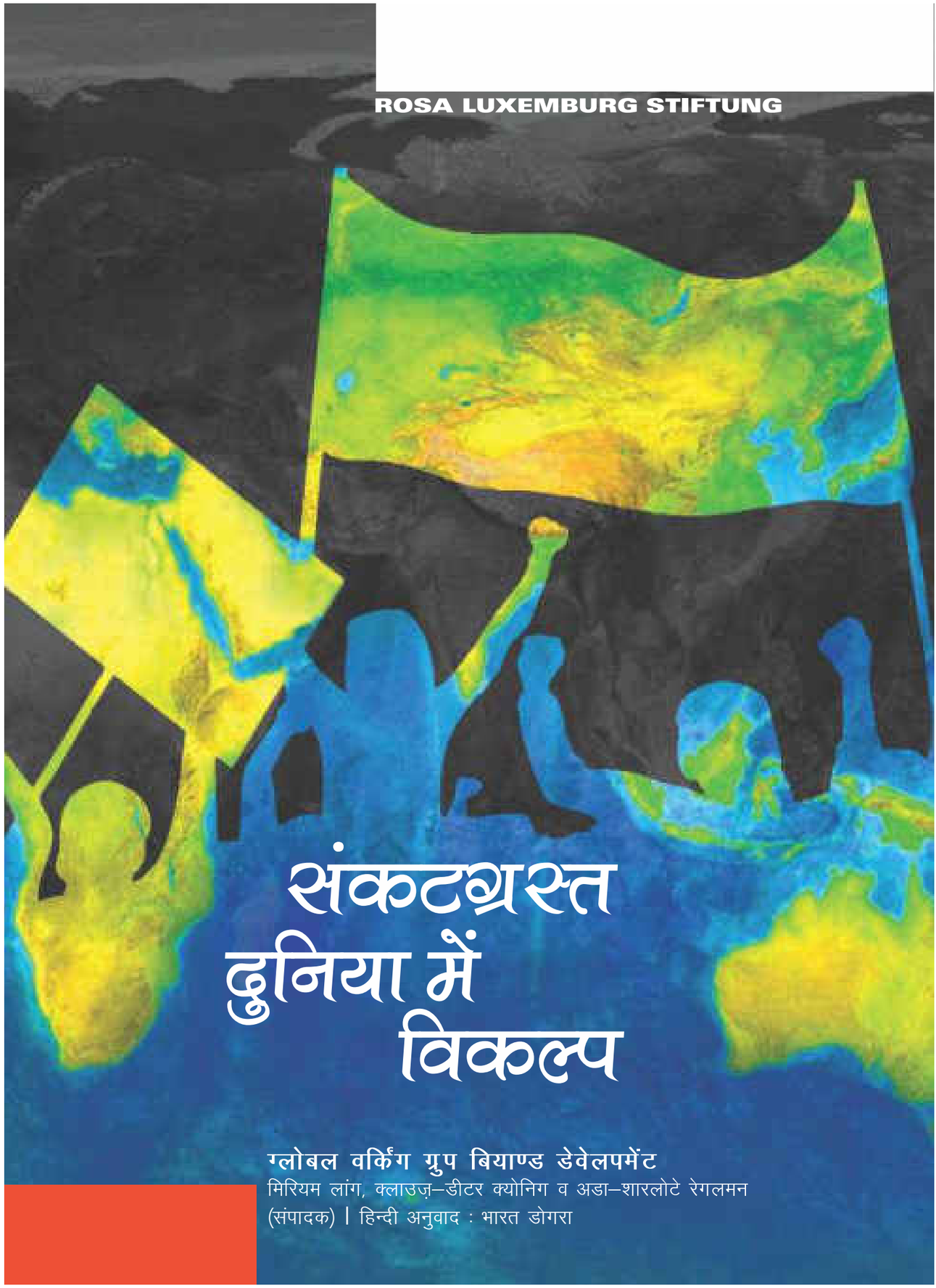

संकटग्रस्त दुनिया में विकल्प

ग्लोबल वर्किंग ग्रुप बियाण्ड डेवेलपमेंट
मिरियम लांग, क्लाउज़–डीटर क्योनिग व अडा–शारलोटे रेगलमन (संपादक) | हिन्दी अनुवाद : भारत डोगरा

संकटग्रस्त दुनिया में विकल्प

1. **प्रस्तावना**
   विकास से आगे भी है विकल्पों की सोच 2

2. **इक्वेडोर**
   नाबॉन काऊंटी : अच्छा जीवन जीने के सिद्धांत को नीचे से कार्यान्वित करना 16

3. **भारत**
   मेंधा–लेखा : वन अधिकार व स्व–सशक्तिकरण 48

4. **स्पेन**
   बार्सीलोना एन कोमू : संस्थानों को हथियाने का आंदोलन 84

5. **निष्कर्ष**
   विकास के आगे : सामाजिक आर्थिक विनाश की मशीन को रोकना व वैकल्पिक विश्व बनाना 114

ग्लोबल वर्किंग ग्रुप बियाण्ड डेवेलपमेंट
मिरियम लांग, क्लाउज़–डीटर क्योनिग व अडा–शारलोटे रेगलमन (संपादक) | हिन्दी अनुवाद : भारत डोगरा

नई दिल्ली, नवम्बर 2018

विकास से आगे भी है विकल्पों की सोच

मिरियम लांग और राफेल होटमर

प्रस्तावना

यह पुस्तक एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है। इसे विश्व के विभिन्न भागों के लेखकों ने लिखा है – विभिन्न सामाजिक–आर्थिक संदर्भों और राजनीतिक स्थितियों से आए कार्यकर्ताओं व विद्वानों, महिलाओं व पुरुषों ने, ऐसे लेखकों ने जिन्होंने अधिक व्यापक सामाजिक बदलाव की संभावनाओं का संदेश दिया है। उनका साझा सरोकार यह है कि नवउदारवाद के 'इतिहास के अंत' के मंत्र के बावजूद विकल्प उपलब्ध है और चाहे यह बहुत नजर न आएं, बहुत चर्चित न हों पर आज भी इन विकल्पों की मौजूदगी है।

इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में विश्व के विभिन्न भागों की बदलाव की ऐसी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है जिन्होंने सामाजिक हकीकत को अनेक स्तरों पर, अनेक प्रकार से बदला है। आधिपत्य के विभिन्न पक्षों को एक साथ चुनौती दी है। आधुनिक पूंजीवाद की विनाशक राह, उसकी औपनिवेशिक प्रवृत्ति, पितृसत्ता और वस्तुतीकरण के विकल्प प्रस्तुत किए हैं।

इन सामाजिक बदलावों की प्रक्रियाओं के लिए अनेक तरह के विरोध, द्वंद्व व चुनौतियों की स्थिति रही, आन्तरिक व बाहरी दोनों स्तरों पर, जिसमें बदलाव की विभिन्न तरह की सफलताएं व स्थितियां सामने आईं। इसके बावजूद, संभवतः इसके कारण, प्रयासों की आंशिक विफलता से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह पुस्तक इन सामाजिक संघर्षों का रोमांटीकरण नहीं करना चाहती है। यहां तो यह प्रयास किया गया है कि प्रभावित लोगों में एक–जुटता बनाते हुए विभिन्न स्थितियों व बदलावों का ऐसा ईमानदार विश्लेषण प्रस्तुत किया जाए जिससे इन लोगों, समूहों व सामाजिक आंदोलनों व उनके बहुपक्षीय, बंधन तोड़ने वाले बदलावों का ज्ञान समृद्ध हो।

जैसे कि बोआवेंतुरा दे सोसा सेंतोस ने कहा है, 21 वीं शताब्दी के आरंभ में हमारे पास प्रगतिवादी सामाजिक बदलाव का कोई विश्वसनीय मॉडल नहीं बचा है। 19 वीं व 20 वीं शताब्दी में 'क्रांति' व 'सुधार' बेहतर समाज के यह दो मार्ग चर्चित रहे, पर अब इन दोनों अवधारणाओं की, उनसे जुड़ी अन्य सोच की अपर्याप्तता भी सामने आ चुकी है। इस संदर्भ में, बदलाव के जिस मौजूदा वैश्विक राजनीतिक संदर्भ में हम जी रहे हैं वह कुछ अल्प–कालीन चक्रों (जैसे कि लाटिन अमेरिका में प्रगतिवादी सरकारों का चक्र) के अंत का समय है, पर साथ में यह एक ऐसे दीर्घकालीन चक्र का भी अंत है जो कई शताब्दी पहले आरंभ हुआ। वैश्विक भौगोलिक–राजनीतिक स्तर पर पश्चिमी आधिपत्य बदलाव के दौर में हैं। आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ हमारे समाजों में प्रमुख संस्थान के रूप में राष्ट्र–राज्य की जो सोच रही वह भी बदलते समय में पीछे पड़ सकती है।

पूंजीवादी आधुनिकता जिस सभ्यतामूलक बुनियाद पर खड़ी है उससे बहुपक्षीय संकट उत्पन्न हुआ है जो आज विश्व के सामने है। इस बुनियाद की एक मुख्य सोच थी कि सामाजिक समस्याओं के समाधान में विज्ञान और तकनीकी की विशेष व प्रमुख भूमिका है। इससे जुड़ी यह सोच थी कि प्रकृति पर विज्ञान व तकनीक से आधिपत्य किया जाए व प्रकृति को मात्र प्राकृतिक संसाधनों के भंडार के रूप में देखा जाए। एक अन्य सोच थी कि मनुष्य की अच्छी व बेहतर स्थिति को, उसके विकास की भौतिक वस्तुएं एकत्र व जमा करने से जोड़ कर देखा जाए, समझा जाए। एक सोच यह भी थी कि मनुष्य को व्यक्तिवादी, निरंतर सोच–समझकर अपने मुनाफे को अधिकतम करने वाली इकाई के रूप में देखा जाए व समाजिक–आर्थिक संरचना में असीमित आर्थिक संवृद्धि को मुख्य आधार बनाया जाए व जीवन के सभी पक्षों का वस्तुतीकरण किया जाए व भौतिकवाद को हावी होने दिया जाए। इस तरह की सोच को आधार बनाने से न केवल अनेक समस्याएं उत्पन्न हुईं पर इस सोच से उसी तरह के समाधान भी सोचे जा रहे हैं जिससे कि पहले से चली आ रही समस्याएं और विकट हो रही हैं। इस तरह मौजूदा संकट एक सभ्यता का संकट माना गया है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हमने आगे बताई हैं।

सभ्यता का संकट

हमारा विश्व कई मायनों में आधुनिक पूंजीवादी सभ्यता से जुड़े एक ऐसे बहुत तेजी से हो रहे पर्यावरणीय विनाश के दौर से गुजर रहा है जैसा पहले कभी देखा नहीं गया है। इसमें जलवायु बदलाव, मौजूदा जल स्रोतों का विनाश, आजीविकाओं का ह्रास, प्रदूषण, वन–विनाश व जैव–विविधता में अत्यधिक कमी सम्मिलित हैं। इस तरह–तरह के पर्यावरण विनाश से मानवता का भविष्य संकट में है। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से विश्व भर में आजीविकाएं खतरे में हैं। प्रकृति का निरंतर बढ़ता वस्तुतीकरण हो रहा है। विश्व के अनेक संस्थान व समझौते इन समस्याओं के कृत्रिम समाधानों की पैरवी में लगे हैं।

परिणामस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं को ऐसे सुरक्षा के मुद्दों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जिनका सैन्य समाधान जरूरी है। निरंतरता से चल रहे युद्धों, आजीविकाओं के पर्यावरणीय विनाश व प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि से इतिहास का सबसे बड़ा आप्रवास का संकट उत्पन्न हुआ है। पर पश्चिमी समाज इसे मुख्य रूप से सुरक्षा व और दीवारें खड़ी करने के मुद्दे के रूप में देख रहे हैं।

दूसरी समस्या यह है कि श्रम बाजार, राजनीतिक व सांस्कृतिक व्यवस्थाओं, हमारी सोच व मानव जीवन के अधिकांश पक्षों पर तकनीकीकरण, मशीनीकरण व

डिजीटलीकरण/कम्प्यूटरीकरण हावी हो रहे हैं। हमारे विश्व का तकनीकीकरण व उसकी आपसी संपर्कता पहले से कहीं अधिक बढ़ चुके हैं, जिससे संचार व निर्णय निर्धारण पहले की अपेक्षा कहीं अधिक तेजी से होते हैं। अधिकतर तकनीकी उत्पादन कारपोरेट स्थितियों में मात्र मुनाफे के लिए होता है जिससे ऐसी तकनीकों का उत्पादन होता है जिनपर हमारा या उपयोग करने वाले समाजों का नियंत्रण कम से कम होता है। समुदाय की व्यवहारिक जरूरतों को पूरा करने के स्थान पर यह नई तकनीकें प्रायः ऐसी कृत्रिम जरूरतों को पूरा करती हैं जो कि मीडिया द्वारा अधिक बढ़ाई जाती है। कृत्रिम बुद्धि व रोबोट मनुष्यों को ऐसे क्षेत्रों व पक्षों से इस तरह विस्थापित कर रहे हैं जिससे बंधन दूर होने के स्थान पर भेदभाव व शोषण बढ़ते हैं। निगरानियों को बहुत बढ़ाकर ऐसा समाज बनाया जा रहा है जिसमें सब पर इस तरह से नजर है जो सरकारों व बड़ी कंपनियों के हितों के अनुरूप हैं।

मौजूदा संदर्भ को परिभाषित करने का एक अन्य पक्ष यह है कि विश्व के अनेक भागों में ऐसे दक्षिणपंथी, लोक लुभावनी राष्ट्रवाद का उभार आया है जो मानवाधिकारों, समलैंगिकों के अधिकारों, देशीय व सामुदायिक अधिकारों, प्रकृति के अधिकारों के विरुद्ध की असरदार ताकतों से जुड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में हमने बड़ी पूंजी, अनुदार चर्च व उसकी लॉबी, अवैध पूंजी के ऐसे खतरनाक गठजोड़ देखें हैं जिन्होंने कोलंबिया में शांति प्रक्रिया, दक्षिण यूरोप व लाटिन अमेरिका में 'जेंडर विचारधारा' के विरुद्ध अभियान चलाए। फिलिपीन्स में डुटेर्टे, अर्जेन्टीन में माकरी, हंगरी में ओरबन, संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रंप का उभार यही दर्शाता है।

विश्व स्तर पर अनुदार दक्षिणपंथियों ने पिछले दशकों के प्रगतिवादी आंदोलनों से बहुत कुछ सीखा है व काफी हद तक उनकी भाषा व एजेंडे को हथिया लिया है। इससे पूंजीवाद का एक अति आक्रमक दौर निकला है जिसमें अधिकारों, लोकतंत्र व मौजूदा राजनीतिक संस्थानों के लिए बहुत कम सम्मान है।

कारपोरेट शक्ति व चंद व्यक्तियों के हाथ में धन संपत्ति का अत्यधिक केंद्रीयकरण निरंतर बढ़ रहे हैं। इस तरह नई राज्य–कारपोरेट संप्रभुताएं उत्पन्न हो रही है, विशेष आर्थिक क्षेत्रों या आर्थिक कॉरीडर के माध्यम से, या सरकारों में कारपोरेट की अधिक भागेदारी के माध्यम से। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय नियमन प्रायः इस तरह से हो रहा है जिससे निर्बाध व्यापार व निजी पूंजी को लाभ मिले। आज औपचारिक व अनौपचारिक पूंजी, यहां तक कि अवैध पूंजी की ताकतों में गठबंधनों से पूंजीवाद की विभिन्न प्रवृत्तियां प्रकट हो रही हैं। राजनीतिक शक्ति के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने चुनाव अभियानों के खर्च बहुत बढ़ा दिए हैं, जिससे कि सरकारों, राजनीति, कारपोरेट शक्ति, विभिन्न लॉबियों व आर्थिक अभिजातों की विभाजन रेखा बहुत धूमिल हो गई है। इन प्रवृत्तियों से लोकतंत्र की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। लोकतंत्र पर एक अन्य प्रतिकूल असर उन मीडिया समूहों का भी पड़ा है जो इसे बहुत प्रभावित करते हैं व प्रायः उन्हीं आर्थिक शक्तियों से जुड़े होते हैं जो मौजूदा दौर में हावी हैं। मीडिया से यह आर्थिक शक्तियां भय, असुरक्षा व यह धारणा फैलाती हैं कि समकालीन पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

धनी व निर्धन देशों (भूमंडलीय उत्तर व दक्षिण) के बीच व धनी व निर्धन लोगों के बीच एक ऐसा कृत्रिम विभाजन कर दिया है जिसमें एक अल्पसंख्यक धनी अभिजात वर्ग के असीमित उपभोग के लिए सस्ते मजदूर, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, प्रकृति पर अत्यधिक बोझ सभी को स्वीकार्य करने की राजनीतिक व कानूनी व्यवस्था की जाती है या इसे जोर–जबरदस्ती से प्राप्त किया जाता है। कुछ व्यक्तियों के अत्यधिक उपभोग से अन्य स्थानों पर जो गंभीर पर्यावरणीय या अन्य क्षति होती है, वह प्रायः नजर नहीं आती है।

जहां सामाजिक सुरक्षा की अधिकांश व्यवस्थाएं अभी औपचारिक रोजगारों तक सीमित हैं, वहां बहुराष्ट्रीय उत्पादन श्रृंखलाओं में जहां उत्पादन होता है वहां कम मजदूरी व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्थितियां होती हैं जो गुलामी की स्थिति जैसी होती हैं। बीसवीं शताब्दी के कई संघर्षों से श्रमिकों को जो सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हुई वह अनौपचारिक व अवैध आर्थिक स्थितियों में छिन रही है। इन स्थितियों में कई तरह की केयर या देख–रेख की सेवाओं का भार महिलाओं पर और अधिक पड़ता है। अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाने वाले केयर कार्य का प्रायः कोई भुगतान नहीं होता है व यह मान लिया जाता है कि जैसे भी हो इसे तो महिलाओं को करना ही है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के नए संस्करण में भूमंडलीय केयर श्रृंखलाओं के माध्यम से इसका अधिक भार ग्लोबल साऊथ की महिलाओं पर डाला जा रहा है।

विकास के आगे की तलाश क्यों

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकास–विमर्श का उपयोग पूंजीवादी सामाजिक व आर्थिक संबंधों को उपनिवेशवाद के बाद के दौर में आगे बढ़ाने के लिए बहुत असरदार ढंग से किया गया। विकास व आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने के नाम पर विश्व में रहन–सहन के अनेक अन्य तौर–तरीकों को पिछड़ा व पुराना बता कर नकारा गया। विश्व के जो दो–तिहाई लोग दुनिया के अपने नजरिए, अपनी संस्कृति और गरिमा की

सोच के अनुसार जी रहे थे उनको ऐसे अविकसित समुदायों के रूप में दर्शाया गया जिन्हें बाहरी सहायता की जरूरत थी। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को किसी क्षेत्र की स्थिति का मापक बताकर विकसित व अल्पविकसित देशों में दुनिया को बांट दिया व इस वर्गीकरण के आधार पर दुनिया के अधिकांश लोगों को उनके अपने अनुभवों की जमीन से हटाकर दूसरों की नकल करने के लिए कहा गया। तब से उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन पश्चिमी पूंजीवादी आधुनिकता द्वारा तय मापदंड़ों के आधार पर किया जाने लगा। (एस्तेवा–1996, एस्कोबार–1995, एस्तेवा, बेबोन्स व बेबकिकी–2013)

दूसरी और पहले व मौजूदा पूंजीवादी विकास का ढांचा ही ऐसा रहा है कि इसकी सीमाओं के बीच भूमंडलीय उत्तर व दक्षिण की दूरी को पाटा नहीं जा सकता है क्योंकि तथाकथित अल्प–विकसित समाजों को इस व्यवस्था में अभिजातों के साम्राज्य की जरूरतों को पूरा करने व उसके बोझ सहने की भूमिका के रूप में रखा गया है।

अतः 'विकास' के आगे विकल्प तलाशने का अर्थ यह है कि पूंजीवादी आधुनिकता ने जो सभ्यता तैयार की है, उससे आगे विकल्प तलाश करना, ऐसी सभ्यता के आगे जो आर्थिक संवृद्धि पर केंद्रित है, प्रकृति से विनाशकारी व संकीर्ण स्वार्थ के संबंध पर आधारित है, मानवता की व्यक्तिवादी व मुनाफा अधिकतम करने वाली सोच पर केंद्रित है व हमें गंभीर संकट में ले आई है। इसका अर्थ यह भी है कि गरिमा या डिगनिटी को हम कुछ अलग ढंग से भी समझें जो कि मानवाधिकारों के उस विमर्श से भिन्न हो सकता है, जिसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशिष्ट संदर्भ में तैयार किया गया। गरिमा या डिगनिटी को समझने के और तरीके व संदर्भ भी हो सकते हैं। (दो सोसा सान्तोस 2017, पृष्ठ 253) फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि मानवाधिकार के विमर्श की भी दक्षिणपंथियों से तो रक्षा करनी ही होगी।

इन स्थितियों में यह पुस्तक सार्थक सामाजिक बदलावों के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण योगदान देने का प्रयास करती है। पुस्तक की मान्यता है कि बहुआयामी संकट के लिए बहुआयामी उपाय चाहिए। आज सामाजिक बदलावों को एक साथ वर्ग, नस्ल, औपनिवेशिकता, लिंग व प्रकृति के जटिल संबंधों से जुड़े अनेक प्रयास करने चाहिए क्योंकि इनके अंतर्संबंधों से ही मौजूदा सभ्यतामूलक संकट उत्पन्न हुआ है।

ग्लोबल कार्य समूह

रोसा लुक्समबर्ग फाऊंडेशन के ब्रसल्स कार्यालय ने वर्ष 2016 में एक भूमंडलीय कार्य समूह या ग्लोबल वर्किंग ग्रुप 'बियांड डेवेलेपमेंट' ('विकास के आगे') के नाम से स्थापित किया। इसकी पहली मीटिंग ब्रसल्स में जनवरी 2016 में हुई जो प्राकृतिक संसाधन दोहन व विश्व के विभिन्न भागों में इसके सामाजिक पर्यावरणीय असर पर केंद्रित थी। इस समूह ने अपने विमर्शों का स्तर भूमंडलीय (ग्लोबल) रखने का निर्णय लिया ताकि विश्व स्तर पर शक्ति के औपनिवेशिक रूप को चुनौती दी जा सके (क्विजानो, 2000 व अगमबेन, 2009)। औपनिवेशिक साम्राज्यों के औपचारिक अंत के बाद भी यह स्थिति बनी रही कि विश्व समस्याओं के समाधान पूर्व की औपनिवेशिक ताकतों से ही प्राप्त होंगे। कार्य समूह ने सामाजिक बदलाव की अन्य देशों व समाजों में होने वाली सार्थक प्रक्रियाओं व प्रयासों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति को चुनौती दी व उससे बाहर आने का प्रयास किया ताकि पूंजीवादी सोच से बाहर के प्रयासों को पिछड़ा मान कर उपेक्षित न किया जाए।

इस तरह कार्य समूह ने ऐसी जगह बनाने का प्रयास किया है जिसमें भूमंडलीय उत्तर व दक्षिण (ग्लोबल नार्थ व साऊथ) एक दूसरे से सीख सकें व जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान को बहुमूल्य मानते हुए भी अपने में पूर्ण व एकमात्र ज्ञान न माना जाए। इस तरह अनुभवों से, संगठन से, सामाजिक आंदोलनों से, समुदायों से प्राप्त होने वाले ज्ञान के लिए जगह बनती है, उस तरह के ज्ञान के लिए जिसे 'स्थानीय', 'अधूरा' व 'अनिश्चित' कह कर उपेक्षित किया जाता रहा है। दे सोसा सेन्तोस ने विभिन्न तरह के ज्ञान व अनुभवों को न समझ पाने की अक्षमता, इनके प्रति सचेत न होने की अक्षमता की ओर ध्यान दिलाया है जिसके कारण ज्ञान की विभिन्न व्यवस्थाओं में आपसी विमर्श व सहयोग भी नहीं हो सकता है। (दे सोसा सान्तोस, 2017)। कार्य समूह ने इस अक्षमता को दूर करने का प्रयास किया व कई क्षेत्रों (जैसे पर्यावरण, इकोफेमिनिस्म, मार्क्सवाद, उपनिवेशवाद विरोध, सामाजिक आंदोलनों, अकादमिक, तृणमूल व देशीय ज्ञान की सोच) के आलोचनात्मक विचारों को साझा करने का प्रयास किया।

हमारा विश्वास है कि हमारे समय की बड़ी चुनौतयों के समाधान सामूहिक तौर पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इस पुस्तक का लेखन भी अनेक व्यक्तियों ने मिलकर किया है व आपसी सहयोग व विचारों के आदान–प्रदान से किया है। यह विभिन्न आंदोलनों, संघर्षों से जुड़े लोगों को आवाज देने का प्रयास भी है।

यह पुस्तक कार्य समूह की दूसरी मीटिंग का परिणाम है, जो इक्वेडोर (लाटिन अमेरिका) में मई 11–18 2017 के दौरान हुई। इसके आरंभ में नाबॉन क्षेत्र का तीन दिवसीय दौरा किया गया। इसके अध्ययन विकल्प निर्माण के विश्लेषण के साझे

तौर–तरीकों से तैयार किए गए हैं। इससे विश्व स्तर पर ऐसे विमर्श को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इस विमर्श का निष्कर्ष अंतिम अध्याय में प्रस्तुत किया गया है जो सामूहिक तौर पर तैयार किया गया।

इन अध्ययनों का चयन इस आधार पर किया गया कि वे पूंजीवादी / आधुनिक / पश्चिमी ढर्रे से बहुत अलग विकल्प को प्रस्तुत करते हैं व स्थानीयकता की सीमाओं से आगे बढ़ते हैं।

पहला अध्ययन मिरियम लांग व मबरुका मबरिक ने इक्वेडोर के संदर्भ में किया है। यहां 'अच्छे जीवन' की एक देशीय सोच बुयेन विविर प्रचलित रही है जो 'अच्छे जीवन' की पूंजीवादी सोच से बहुत भिन्न है। वर्ष 2008 में इस देशीय सोच को संवैधानिक रूप दिया गया। यह केस–स्टडी नाबॉन काऊंटी पर केंद्रित है, जहां की स्थानीय परंपराओं, प्रवृत्तियों व नीतियों ने कई कठिनाईयों के बावजूद इस सोच को सशक्त रूप व्यवहारिक स्तर पर दिया है।

अगले अध्याय में नीमा पाठक ब्रोमे ने महाराष्ट्र (भारत) के एक छोटे गांव के बारे में बताया है जहां महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की सोच के अनुरूप आत्म निर्भर ग्रामीण गणतंत्र की सोच को स्थापित किया गया है। मेंधा लेखा गांव ने अपने इस बदलाव से अनेक अन्य गांवों को प्रेरित करने का प्रयास किया व सरकार की नीतियों व संस्थानों को भी विशेषकर वन–प्रबंधन के संदर्भ में बदलने का प्रयास किया।

स्पेन से मॉओरो कास्त्रो ने अध्ययन में बताया है कि इंडीगनादोस विद्रोह ने कुछ नई संभावनाओं को आरंभ किया है व इसके अतिरिक्त बार्सीलोना शहरी सरकार तथा नागरिकों के राजनीतिक संबंध बदलने के प्रयास भी हुए हैं जो स्थानीयता की सीमाओं से ऊपर उठते हैं।

बहुआयामी साझा फ्रेमवर्क

विभिन्न अध्ययनों का साझा विश्लेषणात्मक फ्रेमवर्क बदलाव के आठ पक्षों पर आधारित है। इसे बहुत विमर्श से तैयार करने में कुछ पहले के कार्य से भी मदद मिली। रोजा लुक्समबर्ग फाऊंडेशन के क्विटो स्थित कार्यालय ने विकास के विकल्पों पर लाटिन अमेरिका का स्थाई कार्य समूह वर्ष 2011 में स्थापित किया था।[1] इसके कार्य के अतिरिक्त भारत के विकल्प संगम के कार्य से सहायता मिली जो पर्यावरणीय टिकाऊपन से रेडिकल लोकतंत्र व आर्थिक लोकतंत्र को जोड़ने का प्रयास करता है।[2]

पहला पक्ष जीवन के कुछ पहलुओं के विवस्तुतीकरण व साझीकरण से जुड़ा है।

इसका अर्थ है कि जीवन के कुछ पहलुओं को बाजारीकृत मुनाफे के अति प्रभाव से मुक्त करना। यह कुछ हद तक बार्सीलोना में प्राप्त हो सका जहां नई शहरी सरकार ने न केवल बड़े स्तर के पर्यटन से जुड़े शहरी भूमि व आवास के वस्तुतीकरण व वित्तीयकरण को सीमित किया अपितु पहले निजीकृत व आऊटसोर्स कर दी गई कुछ सेवाओं व स्थानों को फिर से शहरी सरकार या म्यूनिसिपेलिटी के दायरे में लाया गया। इस तरह उनके सामूहिक, सहकारिता आधारित व समुदाय आधारित प्रबंधन की संभावनाएं उत्पन्न की गई है। मेंधा लेखा गांव में साझी संपदा के निजीकरण व भूमि हथियाने की प्रवृत्तियों का विरोध हुआ है तथा जल, जंगल, जमीन साझा संसाधन घोषित किए गए जिनका प्रबंधन सब की साझेदारी से सभी के लाभ के लिए होगा।

दूसरा पक्ष प्रकृति से आधिपत्य और संकीर्ण स्वार्थ साधने के संबंध को बदलने का है। ऐसे संबंध पूंजीवादी आधुनिकता में बने रहे व नवउदारवादी भूमंडलीकरण के दौर में और मजबूत हुए। इन्हें बदलने का कार्य इक्वेडोर के नाबॉन क्षेत्र में नजर आया जहां तथाकथित हरित क्रांति के बाद कृषि–पारिस्थितिकी या एग्रो–इकोलॉजिकल प्रयासों ने मिट्टी का उपजाऊपन व खाद्य संप्रभुता की पुर्नस्थापना में सहायता की। मेंधा लेखा गांव में वनों की रक्षा ने पर्यावरणीय सुरक्षा प्रदान की।

तीसरा पक्ष पित्तृसत्तात्मक लिंग संबंध दूर करने से जुड़ा है, ताकि विभिन्न तरह के कार्यों जैसे देखभाल (केयर) कार्य, गुजर–बसर की मजदूरी, अनौपचारिक कार्य, सामुदायिक कार्य का बंटवारा, इससे जुड़ी निर्णय प्रक्रिया लिंग आधारित न हो। नाबॉन में स्थानीय सरकार में उच्च स्तर पर महिलाओं ने संरचनात्मक व प्रतीकात्मक दोनों स्तरों पर पित्तृसत्तात्मकता से दूर हटने की प्रक्रिया आरंभ की है।

चौथा पक्ष अधिक समतावादी सामाजिक संबंधों से जुड़ा है। आधिपत्य की ताकतों की मान्यता को कम करना व पुनर्वितरण की क्षमता को बढ़ाना भी इसी पक्ष से जुड़े हैं।

पांचवा पक्ष भेदभाव व नस्लवादी संबंधों को दूर करने से संबंधित है। यह उद्देश्य प्राप्त करने के प्रयास नाबॉन में किए गए। मेस्तिजों लोगों का देशीय समुदायों के प्रति नस्लवाद बहुत कम ही नहीं हुआ अपितु देशीय समुदायों से लोकतंत्र की कुछ सीख भी उन्होंने ली।

छठा पक्ष ऐसे ज्ञान व अनुभवों को प्रतिष्ठित करने से जुड़ा है जो पश्चिमी विज्ञान व विशेषज्ञ आधारित ज्ञान व्यवस्था से अलग हो सकते हैं पर सार्थक सामाजिक बदलाव को आगे बढ़ाते हैं। नाबॉन व मेंधा लेखा में इस तरह के ज्ञान के सृजन के प्रयास हुए

जो सामुदायिक स्वशासन को मजबूत कर सकें।

सातवां पक्ष बदलाव के राजनीतिक समुदायों के सृजन की क्षमता से जुड़ा है, ऐसे समुदायों से जहां मौजूदा शक्ति संबंधों का सामूहिक विश्लेषण हो सके और इससे संबंधित समाधान निकल सके। समुदाय शब्द का उपयोग यहां व्यापक संदर्भ में हुआ है – यह समुदाय ग्रामीण या शहरी, क्षेत्रीय या आभासी हो सकते हैं।

आठवां पक्ष लोकतंत्र की मजबूती व प्रगति से जुड़ा है जिसका असर सामाजिक बदलाव के निर्णय व आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं में नजर आए। यहां लोकतंत्र के प्रचलित रूप के साथ हम नए प्रयोगात्मक रूप व परंपरागत लोकतंत्र की भी बात कर रहे हैं। यहां हम लोकतंत्र को एक निरंतरता से चलने वाली ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी देख सकते हैं जो साझेदारी व जिम्मेदारी बांटने से जुड़ी है। यह प्रयास मेंधा लेखा की ग्राम सभा में व बार्सीलोना के पड़ौस के लोकतंत्र की पहल में भी नजर आते हैं।

सामाजिक बदलाव के इन महत्त्वपूर्ण पक्षों के अतिरिक्त इन अध्ययनों ने अपने क्षेत्र के अनुभवों को बताते हुए कुछ सामान्य प्रश्नों को ध्यान में रखा है ताकि कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सीख सामने आ सके व सामाजिक बदलाव के अन्य प्रयासों को इसका लाभ मिल सके। एक सवाल विभिन्न अनुभवों में मजबूती के विशेष स्रोत से जुड़ा है। एक अन्य सवाल कुछ गलतियों या विफलताओं से सीखने की क्षमता से जुड़ा है। यह क्षमता सामाजिक बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। एक सवाल उन तत्त्वों से जुड़ा है जो बदलाव को कुछ स्थायित्व देते हैं। एक सवाल वैकल्पिक अवधारणाओं जैसे स्वराज व बुयेन विविर के योगदान से भी जुड़ा है।

एक अन्य सवाल किसी प्रक्रिया में प्रतिरोध व विकल्प सृजन के संबंध से जुड़ा है या प्रतिरोध की प्रक्रियाओं में पहले से मौजूद विकल्प–सृजन के पक्ष से जुड़ा है। प्रायः प्रतिरोधी स्वरों की यह कहकर आलोचना की जाती है कि वे व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत नहीं करते हैं, पर वास्तविकता को देखो तो अनेक प्रतिरोध के प्रयास प्रायः वैकल्पिक सामाजिक और कभी–कभी वैकल्पिक आर्थिक संबंधों को सामने रखते हैं।

इन अध्ययनों में सामाजिक बदलाव के आंदोलनों व संस्थानों के आपसी संबधों व इन संबधों को अधिक सृजनात्मक बनाने के मुद्दे भी शामिल है। (नोवर्थी व रोनिग, 2016) (लांग व ब्रैंड, 2015)

एक अन्य सवाल बदलाव लाने वालों, उनकी भूमिका व उनके आपसी संबंधों से जुड़ा है। विकल्प सृजन के प्रयासों की राज्य के कानून–नियमों व कार्यवाहियों ने सहायता

की, उन्हें रक्षा प्रदान की या उन्हें संकट ग्रस्त किया? किस हद तक राज्य की दखल या उत्पीड़न इन प्रयासों के लिए निर्णायक सिद्ध हुई? क्या उन्होंने चुनाव की क्षमताओं व संभावनाओं का उपयोग किया और यदि हां तो किस सीमा तक, व इसका क्या परिणाम हुआ? एनजीओ व सहायता एजेंसियों की क्या भूमिका रही? इन बदलाव के प्रयासों का वामपंथी राजनीतिक ताकतों से क्या संबंध रहा? किस तरह के वामपंथी राजनीतिक संगठन की विशिष्ट भूमिका रही? देश–दुनिया की अन्य बदलाव की प्रक्रियाओं या प्रयासों से क्या संबंध रहा?

इन अध्ययनकर्ताओं को तकनीकी के कार्य में यह समझने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि क्या उपलब्ध तकनीकी इन बदलाव के प्रयासों को अधिक या कम लोकतांत्रिक बनाती है, अधिक या कम टिकाऊ बनाती है, कार्पोरेट पर अधिक या कम निर्भर बनाती है (इलिच, 1973) (वेटर, 2017)। बार्सीलोना के अनुभव से डिजिटल प्लेटफार्म को मजबूत करने की संभावनाओं के बारे में पता चलता है।

कुछ प्रश्न 'जीवन की गुणवत्ता' या क्वालिटी ऑफ लाईफ से जुड़े मूल्यों व अवधारणाओं से संबंधित रहे। आर्थिक संवृद्धि व गरीबी हटाने के सामान्य विमर्श से हटकर भी अच्छे जीवन के बारे में कई विचार रखे जाते हैं जो प्रायः उपेक्षित रहे हैं। इनमें से कुछ विचार आत्म–निर्भरता व स्वशासन से संबंधित हैं।

सभी अध्ययनों में सभी सवाल तो पूरी तरह नहीं आ सकते हैं। किसी अध्ययन में कुछ सवाल अधिक उभरते हैं, तो किसी अन्य अध्ययन में कुछ अन्य सवाल अधिक सामने आते हैं। चार बड़े मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया गया – लोकतंत्र को अधिक गहरा करने की संभावनाएं, वामपंथ व राज्य की बहुपक्षीय बदलाव में भूमिका, नई तरह की अन्तर्राष्ट्रीयता की राह, एकता व लोगों के आपसी संबंधों की मजबूती, मौजूदा समय की चुनौतियों का सामना करने में कैसे मददगार हो सकती हैं?

इस साझे विश्लेषणात्मक फ्रेमवर्क से कार्य समूह ने बहुपक्षीय बदलाव के विमर्श के लिए एक साझी जगह बनाने में मदद की। इससे सामूहिक ज्ञान के सृजन के प्रयास में मदद मिली जिसे पुस्तक के अंतिम अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

नोट्स :

1. http://www.rosalux.org.ec/grupo/
2. http://www.vikalpsangam.org/

संदर्भ :

Agamben, G. (2009) What is an apparatus? and other essays. Stanford: Stanford University Press.

Bauwens, M. (2015) Interview with Pierre Dardot and Christian Laval on the politics of the common. P2P Foundation. May 24. Available at: https://blog.p2pfoundation.net/interview-with-pierre-dardot-and-christian- laval-on-the-politics-of-the-common/2015/07/24 [accessed November 22, 2017].

Brand, U. & Wissen, M. (2012) Global environmental politics and the imperial mode of living: Articulations of state-capital relations in the multiple crisis. Globalizations. 9: 547-560.

Brand, U. & Wissen, M. (2017) Imperiale Lebensweise. Munich: Oekom.

de Sousa Santos, B. (2017) The resilience of abyssal exclusions in our societies: Towards a post-abyssal law. Tilburg Law review. 22: 237-258.

Escobar, A. (1995) Encountering development: The making and unmaking of the Third World. Princeton: Princeton University Press.

Esteva, G. (1996) Desarrollo. In: Sachs, W. (ed.) Diccionario del desarrollo: Una guía del conocimiento como poder. Lima: Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, s.p.

Esteva, G., Babones, S. & Babcicky, P. (2013) The future of development: A radical manifesto. Bristol: Policy Press.

Illich, I. (1973) Tools for conviviality. Available at: http://www.preservenet.com/theory/Illich/IllichTools.html [accessed November 22, 2017].

Lang, M. & Brand, U. (2015) Dimensiones de la transformación social y el rol de las instituciones. In: Lang, M., Cevallos, B. & López, C. (eds.) Como transformar? Instituciones y cambio social en América Latina y Europa. Quito: Fundación Rosa Luxemburg y Abya Yala, pp. 7-34.

Nowotny, S. & Raunig, G. (2016) Instituent practices. New introduction to the revised edition 2016. Transversal Texts. May 12, 2016. Available at: http://transversal.at/blog/Instituierende-Praxen-Introduction [accessed November 22, 2017].

Quijano, A. (2000) Coloniality of power, eurocentrism and Latin America. Nepantla: Views from South. 1 (3): 533-580.

Vetter, A. (2017) The matrix of convivial technology. Journal of cleaner production. Available at: https://www. sciencedirect.com/science/article/pii/ S0959652617304213 [accessed November 22, 2017].

इक्वेडोर

नाबॉन काऊंटी : अच्छा जीवन जीने के सिद्धांत को नीचे से कार्यान्वित करना

मिरियम लांग और मबरुका मबारेक

इस लेख को सुधारने में इवोन योनेज व कारिन गाबर्ट के सुझावों से मदद मिली।
इस लेख को लिखने के लिए क्विटो (एक्वेडोर) स्थित रिसर्च कमेटी ऑफ द यूनिवर्सिदार एंडिना सिमोन बोलिवार से सहयोग प्राप्त हुआ

इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका के उत्तर–पश्चिम में स्थित एक देश है। पिछले दशक में यह देश अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तब से सुर्खियों में रहा जब से उसने वर्ष 2008 में तैयार किए अपने संविधान में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। एक सिद्धांत यह है कि प्रकृति के भी अपने अधिकार हैं। एक अन्य सिद्धांत बुयेन विविर (किछवा भाषा में 'सुमक कवसे') को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया। राज्य को विभिन्न व अनेक राष्ट्रीयताओं वाला घोषित किया गया जिससे 14 देशीय समूहों को पहचान मिलती है (इन सभी का अपना–अपना सामाजिक संगठन है, स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था है, न्याय की व झगड़ों को सुलझाने की व्यवस्थाएं हैं।) 1990 के दशक से नवउदारवाद के विरुद्ध खड़े सामाजिक संघर्षों की मांग थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए। वर्ष 1997 और 2005 के बीच चार निर्वाचित राष्ट्रपति जन–विरोध से सत्ता से हटाए गए। इस अस्थिरता के दौर के बाद वर्ष 2006 में 'अलियांजा पाईस' (राष्ट्रीय साझेदारी) नाम के एक राजनीतिक आंदोलन ने राफेल कोर्रिया के नेत्तृत्व में चुनाव जीते। इस अर्थशास्त्री ने पिछले दशक की बहुत सी सामाजिक व राजनीतिक मांगों को अपने एजेंडे में शामिल किया।

मई 2017 में कोर्रिया का राष्ट्रपति काल समाप्त हुआ व नेत्तृत्व उसी दल के लेनिन मोरेनो ने संभाला। यहां हम कोर्रिया के शासन काल की समीक्षा न कर नीचे से सुमक कवसे के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने के एक प्रयास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह विश्लेषण कम जनसंख्या वाली ग्रामीण नाबॉन कांऊटी के दो दशकों के बहुआयामी बदलाव व विकल्प सृजन के संदर्भ में है। यह बदलाव 'सुमक कवसे' व 'बुयेन विविर' के सिद्धांत के अनुरूप विशेष तौर पर लोकतांत्रिक रहा। यह एक खुला, चर्चित सिद्धांत है जो एंडियन क्षेत्र का विकल्प के विमर्श को महत्त्वपूर्ण योगदान है (लांग व मोकरानी, 2013)। यह मनुष्यों को प्रकृति का हिस्सा मानता है, व इस तरह अन्य सभी जीवन रूपों से सामंजस्य के संबंधों को बढ़ाता है, व नीचे से विविधता भरे सामुदायिक सृजन को महत्त्व देता है। इसके अन्य सिद्धांत हैं संतुलन, पूरकता व आपसी लेन–देन (संचय, संवृद्धि व प्रतिस्पर्धा के स्थान पर) (कैपिटन, गार्शिया व घुआजा 2014)।

पहले नाबॉन समस्याग्रस्त था पर दो दशक तक बुयेन विविर सिद्धान्त के पालन से नाबॉन इसके सबसे प्रेरक मॉडल के रूप में संविधान सभा के सामने 2007–2008 में आया।

हमारे नाबॉन के बदलाव के विश्लेषण से पता चलता है कि आमूल लोकतांत्रिक प्रक्रिया आधिपत्य के ऐसे कुछ पहलुओं को कम कर सकी (जैसे कि पित्तृसत्तात्मकता को व

विविधता भरी जनसंख्या में मौजूद नस्लवादी संबंधों को) जिनके कारण लोग गरीबी में फंसे थे। एक बार लोग अपने जीवन पर नियंत्रण पा सके तो हाल के आधुनिक विकास के कुछ नकारात्मक असर को भी हटा सके, विशेषकर प्रकृति से बेहतर सामंजस्य बना कर व खाद्य संप्रभुता को बेहतर कर। जहां 'लाटिन अमेरिका के 21 वीं शताब्दी के समाजवाद' ने ऊपर से नीचे बदलाव का प्रयास किया, नाबॉन ने इसके विपरीत स्थानीय ज्ञान व प्रचलनों से जुड़े बदलाव को बढ़ावा दिया व स्थानीय स्तर की संप्रभुता को प्रतिष्ठित कर बदलाव लाया। इसके बावजूद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पूंजीवाद (जो नाबॉन में राष्ट्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत बड़ी खनन परियोजनाओं में प्रकट होता है) की शक्ति के सामने बुयेन विविर की सोच पर चलने के लिए संकट भी उपस्थित हो रहा है।

नाबॉन में शक्ति संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ

बीसवीं शताब्दी के अंत में नाबॉन काऊंटी देश की सबसे गरीब काऊंटियों (प्रान्तों) के रूप में सरकारी तौर पर दर्ज थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बुनियादी जरूरतों के पूरा न होने के आधार पर यहां की 90 प्रतिशत जनसंख्या को गरीब माना गया था और 76.4 प्रतिशत को अत्यधिक गरीब माना गया था (आई.एन.ई.सी. 2001, ब्रासेल, हेर्रेरा व लाफोर्जे में उद्धृत, 2008, पृष्ठ 8)। तब तक बहुत से लोग अपने परिवार के भरण–पोषण के लिए प्रवास कर चुके थे। उनके द्वारा भेजे गए पैसे से क्षेत्र की 60 प्रतिशत आय प्राप्त होती थी। यहां 90 प्रतिशत लोग खेती पर आधारित थे पर भूख व कुपोषण की समस्या सामान्य थी। क्षरित मिट्टी में पर्याप्त भोजन उत्पादन करने की क्षमता नहीं थी।

16 वर्ष बाद 97 प्रतिशत आवासों में पेयजल व्यवस्था है, सीवेज की पहुंच वर्ष 2001 में 13.7 प्रतिशत से 10 वर्ष में 20.4 प्रतिशत तक बढ़ी है। वर्ष 2001 में 67.3 प्रतिशत बच्चे कुपोषण प्रभावित थे, जबकि वर्ष 2014 में काफी कम होकर 33 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से प्रभावित थे (पाईडलोस 2014)। प्रवासी मजदूरी में भी कमी आई। अब अधिक आय स्थानीय किसानों द्वारा सृजन होती है (क्वेजादा 2017)। 2008 तक औसत आय 180 प्रतिशत बढ़ गई थी (उनदा व जैकॉम, 2009, पृष्ठ 39)। पर गरीबी के आंकड़े जिस तरह एकत्रित होते हैं उसमें कुछ विशेषता है जिससे इनमें अधिक कमी नजर नहीं आती है।

दूसरी ओर नाबॉन राज्य के अधिकांश लोग कहते हैं कि वे प्रसन्न हैं। वर्ष 2012–13 में कुयेनखा विश्वविद्यालय ने लोगों के दृष्टिकोण में उनकी स्थिति का सर्वेक्षण करवाया

तो अधिकांश ने अपने जीवन से कुल मिलाकर संतोष की स्थिति बताई। इस सर्वेक्षण की सोच भूटान के सकल प्रसन्नता सूचकांक के नजदीक है। (उरा व अन्य, 2012)। इस सर्वेक्षण में संतोषजनक स्थिति से जुड़े सवाल पूछे गए (जैसे कि क्या अन्य विकल्पों में चुनने की स्वतंत्रता से संतुष्ट हैं, क्या आप में अपने जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता है) तो 70 प्रतिशत से अधिक लोगों ने बहुत संतुष्ट हैं का उत्तर दिया। सर्वेक्षण ने उनसे व्यवसाय, परिवार, वित्तीय स्थिति, खाली वक्त उपलब्धि, पर्यावरणीय परिवेश, आवास, आध्यात्मिक जीवन, खाद्य सुरक्षा आदि के बारे में पूछा तो पता चला कि 75.8 प्रतिशत स्थानीय जनसंख्या ने अपने समग्र जीवन के प्रति बहुत संतुष्ट होने के बारे में बताया (मोरोशो, 2013) जबकि स्टाटिस्किल इंस्टीच्यूट ने 87.8 प्रतिशत लोगों को निर्धन बताया था। इससे पता चलता है कि आय आधारित निर्धनता व बुनियादी जरूरतों के मानकीकृत संकेतक जीवन की गुणवत्ता की सही समग्र तस्वीर सामने रखने में विफल हो सकते हैं। कई मानक शहरी संदर्भ के लिए हो सकते हैं व यहां के ग्रामीण परिवेश में अनुपयुक्त हो सकते हैं। (लांग, 2017)।

कृषि के पर्यावरणीय तबाही वाले तौर–तरीकों, मिट्टी के कटाव व वनों के कटान से यहां के किसानों की क्षति होती रही। इससे भी पहले ऐतिहासिक कारणों से अनेक स्थानीय या देशीय किसानों की जमीन उनसे छिन गई। किसानों के शोषण की भूमि–व्यवस्था से वे निर्धन हुए। (हेर्रेरा, 2009, कार्पियो वेनलकजार 2009 पृष्ठ 11–15, उंडा व जेकॉम, 2009, पृष्ठ 9–10)। इसके बाद 20 वीं शताब्दी के आरंभ में सीमित सुधारों का एक दौर आया (हेर्रेरा, 2008, पृष्ठ 81) नाबॉन के लोगों ने अपनी भूमि फिर प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। 1960 और 1970 के दशक में यहां सुधार हुए।

नाबॉन काऊंटी में देशीय आबादी अधिकतम है। (कारयियो बेनलकजार, 2009)। बंधक मजदूरी जैसी स्थिति से मुक्त होने के बाद उन्होंने आपसी एकता से काफी जमीन खरीदी व चार बड़े मान्यता प्राप्त देशीय कम्यून बनाए (1939, 1944, 1960 व 1985 में)। यह समुदाय एंडियन देशीय सामाजिक–राजनीतिक परंपरा की तरह संगठित होते हैं। इसके तीन आधार है। एक प्रत्यक्ष सभा लोकतंत्र जिसके नेत्तृत्व में हर वर्ष बदलने वाला पांच निर्वाचित व्यक्तियों का समूह होता है। दूसरा सिद्धांत है सामूहिक ढांचागत संरचनाओं के लिए मिलकर अवैतनिक, स्वैच्छिक कार्य करना। तीसरा सिद्धांत है भूमि का सामूहिक स्वामित्व। देशीय समुदायों के इन सिद्धांतों को सरकारी मान्यता भी मिली है। (मार्टिनेज वैले, 2002, पृष्ठ 11)।

ऐतिहासिक तौर पर स्थापित विषमता के कुछ अवशेष सुधारों के बीच भी बने रहे। कुछ भूमि छिनने का शिकार लोगों को भूमि वापस नहीं मिली, उन्हें नए सिरे से भूमि खरीदनी पड़ी। इस तरह विषमता जारी रही। यह विषमता लिंग स्तर पर भी थी क्योंकि वर्ष 1973 तक महिलाओं को भूमि स्वामित्व से वंचित रखा गया था। अब नाबॉन काऊंटी चार भागों (पैरिश) में विभाजित है जहां मैस्तिजो लोगों की आबादी सहित चार देशीय लोगों के कम्यून है।

देशीय समुदायों को पहले से अधिक ऊंचे, ढलानदार, कम उपजाऊ कृषि क्षेत्रों की ओर धकेला गया था जिससे कम उपज होती है। मैस्तिजो लोग निचले अधिक उत्पादन के क्षेत्रों में रहते हैं। ऊपर के क्षेत्रों में मुर्गीपालन, खरगोश पालन जैसे छोटे जीवों पर आधारित आजीविका ही संभव है जबकि निचले क्षेत्रों में घोड़े, गाय आदि भी पाले जाते हैं। देशीय पहचान पिछड़ेपन की बन गई, जबकि मेस्तिजो पहचान इस पिछड़ेपन से हटकर तरक्की करने की थी। इस तरह इस संबंध में एक तरह का नस्लवाद निहित था।

सुधार के आरंभिक दौर में कृषि उत्पादन बढ़ाने के नए अवसर आए जिन्होंने हरित क्रान्ति का या रासायनिक खाद व कीटनाशकों के उपयोग से गेंहू, आलू जैसे मुख्य खाद्यों का उत्पादन बढ़ाने का रूप लिया। पर इससे मिट्टी पर प्रतिकूल असर शीघ्र पड़ा व कुछ समय बाद उत्पादकता में कमी आई। इससे प्रवासी मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ा। वर्ष 1999–2000 में देश के वित्तीय व आर्थिक संकट के दौरान यह प्रवास की प्रवृत्ति और बढ़ गई। जलवायु बदलाव का प्रतिकूल असर भी सामने आया। कई बैंक विफल हुए। अनेक लोगों की बचत भी गई व रोजगार भी गए। वर्ष 2000 में राष्ट्रपति जमील महुआद को देशीय सेना गठबंधन ने हरा दिया।

पुरुषों के अधिक प्रवास से नाबॉन में जनसंख्या व श्रम शक्ति का महिलाकरण हुआ। वर्ष 2000 के आसपास यहां 100 पुरुषों पर 118 महिलाएं थीं। (हेर्रेरा, 2009) महिलाएं अनेक क्षेत्रों में आगे आ रही थीं पर प्रायः उन्हें भूमि स्वामित्व अभी तक प्राप्त नहीं था या उन्हें थोड़ी सी कम उपजाऊ भूमि ही मिलती थी। उनमें भूख की समस्या अधिक थी।

बदलाव की बाहरी व आंतरिक संभावनाएं

नाबॉन में बदलाव की प्रक्रिया स्विस विकास सहयोग एजेंसी कोस्यूड के एक प्रोजेक्ट से आरंभ हुई। इस एजेंसी ने देशीय क्षेत्र में वर्ष 1996 में कार्य आरंभ किया। परियोजना में सिंचाई के लिए उपयुक्त तकनीक, छोटे कर्जों व परिवार स्तर के कृषि उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया गया। मिट्टी कटाव रोकने के लिए सिंचाई के सिप्रंकलर लगाए

गए। समुदाय में मिल–जुल कर कर्ज की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया (समाताइगो, 2009)। इस प्रयास में महिलाओं की बहुलता थी। बैंको के कर्ज से वंचित देशीय समुदायों को इस स्थानीय सहयोग की व्यवस्था से मदद मिली। अब नाबॉन में महिलाओं की मुख्य भूमिका वाली 90 से अधिक बचत एसोसिएशन है।

आसान कर्ज व बेहतर सिंचाई के साथ जैविक (आर्गेनिक), विविधता वाली व छोटे स्तर की कृषि को बढ़ावा देने से, सामूहिकता संगठन कार्य से काऊंटी में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में बहुत सहायता मिली। कोस्यूद की सोच, विशेषकर इसके इक्वेडोर के समन्वयक रेने उंडा की सोच में फौरी बदलाव की उपेक्षा दीर्घकालीन, टिकाऊ बदलाव को अधिक महत्त्व दिया गया। यह सोच पहले ही उस मुख्य सोच से बहुत अलग थी जो आधुनिक, निर्यात आधारित कृषि–उद्योग व भूमंडलीय प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत पर आधारित थी। इस प्रक्रिया को बाहरी विशेषज्ञ नियोजन आधारित न कर लोगों के विचारों औार सहयोग से चलने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में विकसित किया गया (सामानाईगो, 2009)। तकनीकी सलाहकारों को परंपरागत व व्यवहारिक स्थानीय ज्ञान को सम्मान देने के लिए कहा गया।

इस प्रक्रिया से एक नया पक्ष जुड़ा जब वर्ष 2000 में स्थानीय इतिहास में पहली बार नाबॉन काऊंटी का म्यूनिसिपल चुनाव एक महिला ने जीता। यह महिला थीं अमेलिया एर्रेज। वह पाशाकुटिक राजनीतिक आंदोलन की उम्मीदवार थीं। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय देशीय छातानुमा संगठन कोनेई ने इसे अपनी राजनीतिक शाखा के रूप में आरंभ किया था।

एर्रेज की मां मेस्तिजो थीं व पिता देशीय थे। उन्होंने स्वयं नस्लवाद व भेदभाव को भुगता था तथा इसे निरंतरता से देखा था। मेस्तिजो लोग देशीय लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करते थे। हिंसा भी होती थी। देशीय लोग काफी शराब पीते थे और गली–मोहल्ले में ही अपनी महिलाओं से मार–पीट कर देते थे। मेस्तिजो लोग उनपर बोतलें और पत्थर फैंकते थे व कहते थे कि यह लोग नाबॉन को गंदा कर रहे हैं। मेस्तिजो देशीय लोगों की भेड़ व अन्य पशु ले जाते थे जबकि दूसरी ओर उनको शराब भी बेचते थे। (एर्रेज से मिरियम लांग का साक्षात्कार, सितंबर 18, 2017)

एर्रेज पहले अध्यापकों के संगठन की अध्यक्ष रहीं थी व नाबॉन काऊंटी के गठन व विकास में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्होंने कई संगठनों का सामूहिक सहयोग प्राप्त कर मेयर का चुनाव जीता। उन्होंने टीम की मदद से पर्यावरण रक्षा, जन भागेदारी के नियोजन व निर्णय प्रक्रिया, आदि की जानकारी लोगों तक पंहुचाई।

पर्यावरण प्रबंधन का एक विभाग आरंभ हुआ व भागेदारी की निर्णय प्रक्रिया की व्यवस्था आरंभ हुई। स्विस सहयोग परियोजना के दूसरे चरण में अधिक विशिष्ट ज्ञान व कौशल विकास पर जोर दिया गया जैसे खाद्य प्रसंस्करण, बढ़ई का कार्य, कंप्यूटर के कार्य, पर्यावरण प्रबंधन, समग्र फार्म प्रबंधन आदि (क्वेजादा 2017)।

मौजूदा संस्थानों में विस्तार व बदलाव

नाबॉन के इतिहास में अमेलिया एर्रेज पहली महिला मेयर थीं। उन्होंने म्यूनिसिपेलेटी को व्यक्तिगत शक्ति एकत्र करने का राजनीतिक मंच बनने से मुक्त किया। उन्होंने पिछले दिनों के बारे में बताया, "रिश्वतखोरी ही अन्य सब प्रवृत्तियों की जननी थी।" नाबॉन के स्वतंत्र काऊंटी के रूप में गठन के लिए भी प्रीफैक्टों ने पैसा मांगा और कहा कि अधिकारियों को विहस्की की बोतले देने के लिए उन्हें इस पैसे की जरुरत पड़ेगी। एक नागरिक ने कहा कि म्यूनिसिपेलेटी में किसी काम के लिए जाते थे तो एक मुर्गा साथ ले जाते थे। अमेलिया ने बताया, "लोगों के लिए म्यूनिसिपेलिटी बहुत डर की चीज थी।" मेयर बनने के बाद उन्होंने ऐसे सुधार किए जिससे नागरिकों का सशक्तिकरण हो व सामूहिक निर्णय प्रक्रिया विकसित हो।

अमेलिया के मेयर काल के बाद पहले उप–मेयर रही महिला मगाली क्वेजादा भी मेयर बनी (2009–2017)। यह दोनों महिलाएं पाचाकुटिक संगठन के नजदीक रही। इस संगठन ने कई अन्य स्थानीय सरकारों को दिशा देने का कार्य भी किया। इन प्रयासों से भी यह महिलाएं जुड़ी रहीं थी। इन दोनों महिलाओं ने पाचाकुटिक द्वारा संगठित वैकल्पिक स्थानीय स्वशासनों में भी भागेदारी की थी व इनसे बहुत कुछ सीखा भी था। इन अवसरों का उपयोग सैद्धान्तिक व व्यवहारिक राजनीतिक शिक्षा के लिए भी किया गया था। यह पूर्व अनुभव भी इन दोनों महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए व नई चुनौतियों का सामना करने में उन्हें इनसे मदद मिली। विशेषकर नीचे से ऊपर की निर्णय प्रक्रिया स्थापित करने में इस पूर्व अनुभव से सहायता मिली। मौजूदा संस्थानों को बुयेन विविर की सोच के अनुरूप ढाला गया। बहुसंख्या के वोट के स्थान पर प्रत्यक्ष सभा–आधारित लोकतंत्र में सर्वमान्यता बनाने, सब को साथ लेकर चलने के प्रयास पर अधिक जोर दिया गया। इस शिक्षण में देशीय एंडियन दर्शन के सिद्धांतों को महत्त्व दिया गया – "चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, समय व्यर्थ मत गंवाओ।" नीचे से बदलाव लाने के सिद्धांत को भी महत्त्व दिया गया। अतः अमेलिया द्वारा नाबॉन का चुनाव जीतने से पहले भी लोकतांत्रिक सुधार का काफी अनुभव उपलब्ध था। इसे अपने मेयर काल में आगे बढ़ाया व इसके लिए मौजूदा संस्थानों का विस्तार किया।

उनमें सुधार किए। इन संस्थानों को बुयेन विविर की सोच के अनुकूल बनाने व लोगों का इनमें विश्वास बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया गया। सर्वमान्यता के आधार पर निर्णय लेने व प्रत्यक्ष लोकतंत्र को आगे बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया गया।

पित्तृसत्तात्मकता हटाने की ओर कदम

जेंडर आधारित न्याय व चेतना को म्यूनिसिपेलिटी में निरंतरता से बढ़ाया गया। ऐसा माहौल बनाया गया जो महिलाओं द्वारा जिम्मेदारी संभालने के अधिक अनुकूल हो। अनेक महिलाओं ने कहा कि महिला मेयर बनने से उन्हें गौरव अनुभव होता है व वे सशक्त महसूस करती हैं। बजट आवंटन में भी महिलाओं की आवश्यकताओं पर, बच्चों पर, महिला नेत्तृत्व के परिवारों पर अधिक ध्यान दिया गया। अपनी समस्याओं के निवारण के लिए व अपनी मांगों के लिए कितनी ही महिलाएं आगे आने लगी क्योंकि उन्हें नई उम्मीद मिली थी, नए अवसर उनके लिए उत्पन्न किए गए थे।

देशीय समुदाय नेता सर्गियो मोरोशो ने बताया कि महिला नेत्तृत्व की प्रक्रियाओं में भाग लेने से उन्हें अहसास हुआ कि अच्छे जीवन के लिए धन अर्जन का उतना महत्त्व नहीं है जितना पत्नी व बच्चों से गहरे संबंध विकसित करना। इस तरह अच्छे जीवन की उनकी बेहतर समझ विकसित हुई (मिरियम लांग से साक्षात्कार, सितंबर 18, 2017)।

आरंभ में अधिकार का या मुख्य पद पुरुष को ही दिया जाता था। कहीं 20 महिलाएं व 1 पुरुष हों तो अध्यक्ष पुरुष को ही चुना जाता था। महिलाओं की घर–गृहस्थी व बच्चों की जिम्मेदारियों को बता कर ऐसा किया जाता था, पर साथ में अपने महत्त्व को स्वयं कम आंकने की भी समस्या थी। महिलाओं का सरोकार महिलाओं के मुद्दों तक ही सीमित माना जाता था। अतः महिलाओं को सभी मुद्दों पर विमर्श के लिए आमंत्रित करना आरंभ किया गया।

पित्तृसत्तात्मकता को हटाने की प्रक्रिया पहले बहुत प्रत्यक्ष नहीं थी, फिर धीरे–धीरे विशेषकर म्यूनिसिपेलिटी में इसे और प्रत्यक्ष बनाया गया। यहां के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में जेंडर विषय पर अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया गया। नई नियुक्तियों में लिंग आधारित आरक्षण किया गया। कार्य व संस्थागत स्थितियां ऐसी बनाई गईं जो महिलाओं व माताओं की भागेदारी के अनुकूल हों। यह एक धीरे–धीरे आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया थी व बजट आवंटन में हुए बदलावों से भी इसे आगे बढ़ने में सहायता प्राप्त हुई।

धीरे–धीरे पुरुषों में भी महिलाओं की सक्रिय व अग्रणी भूमि की स्वीकृति बढ़ने लगी।

लिंग आधारित न्याय की समझ को व्यापक बनाने के प्रयासों से इस समझ का भी विस्तार होने लगा।

समुदायों में महिलाओं को खुलकर बोलने, सही स्थिति व समस्याएं बताने के लिए प्रोत्साहित किया गया। महिलाओं के लिए नेत्तृत्व प्रशिक्षण विद्यालय वर्ष 2016 में आरंभ किया गया। यहां समुदायों द्वारा स्वीकृत प्रति वर्ष 60 महिलाओं को जेंडर, मानवाधिकार, स्व–सम्मान, हिंसा के विरोध, संगठन, पैरवी, संचार, स्वास्थ्य व भाषा पर प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

वर्ष 2006 में मात्र 5 प्रतिशत भूमि का स्वामित्व महिलाओं के नाम पर था पर वर्ष 2016 में यह औसतन 37.5 प्रतिशत तक बढ़ गया जो कि एक बड़ा बदलाव है।

नियोजन व परियोजनाओं की निदेशक येसिका नोला के अनुसार यह एक दशक में 32.5 प्रतिशत का बदलाव जनसंख्या में आए सांस्कृतिक बदलाव का परिणाम है। महिलाएं कई क्षेत्रों में आगे आई हैं तो उन्हें भूमि स्वामित्व के कार्ड की जरूरत भी अधिक पड़ती है। कर्ज लेने में, गारंटी देने में इसकी जरूरत होती है।

इन महत्त्वपूर्ण बदलावों के बावजूद पित्तृसत्तात्मकता ने काफी हद तक अपनी मौजूदगी बनाई हुई है, हालांकि पहले से तो यह प्रवृत्ति महत्त्वपूर्ण रूप में कम हुई है। सभाओं में अपने विचार खुल कर प्रकट करने वाली महिलाओं की संख्या अभी कम है। एस्टेफानिया लाल्वे एक प्रान्तीय देशीय संगठन की अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया, "कुछ वर्ष पहले से स्थिति बेहतर है, पर महिला नेत्तृत्व विद्यालय के कई वर्ष अभी जरूरी है तभी जेंडर समानता आ सकेगी।" (मिरियम लांग से साक्षात्कार, अक्टूबर 1 2017)। पर एक अन्य विचार यह भी व्यक्त किया गया है कि कुछ शिक्षित महिलाएं व्यक्तिगत स्तर पर तो आगे बढ़ रही हैं, पर उनके सामुदायिक संबंध कम हो रहे हैं।

लोकतंत्र में गहराई लाना

भागेदारी से निर्णय लेने की नई व्यवस्था पर एंडियन क्षेत्र के देशीय सामाजिक ताने–बाने की छाप थी और पूरकता, एकजुटता, स्वैच्छिकता के सिद्धान्तों का असर भी था। देशीय तौर–तरीकों को सरकारी स्तर पर महत्त्व व स्वीकृति मिलने से नस्लवादी तनाव दूर करने में व बराबरी का माहौल बनाने में भी सहायता मिली। देशीय तौर–तरीकों को पिछड़ा मानने के स्थान पर नई व्यवस्था में उनसे प्रेरित होने और सीखने का माहौल उन क्षेत्रों में भी बना जहां मेस्तिजों की संख्या अधिक है।

लोगों का आत्म–सम्मान व आत्म–निर्भरता बढ़ाने के प्रयास हुए। यह सोच थी कि कुछ

नाबॉन के एक नागरिक के साथ चर्चा करते हुए मेयर मगाली क्वेजादा

दान नहीं करना है, लोगों में क्षमताएं और आत्म–निर्भरता बढ़ानी है। आत्म–सम्मान का नारा दिया गया – नाबॉन की वास्तविक संपत्ति तो इसके लोग हैं। इससे वस्तुगत संपत्ति से ध्यान हट कर मेहनतकश लोगों, विशेषकर महिलाओं के बड़े योगदान की ओर गया। लोगों का ज्ञान, समझ और उनकी प्राथमिकताएं सामने आएं इसके लिए अनेक समन्वयक नियुक्त किए गए जो प्रशासन को सही जानकारी दे सकें। अधिक सामुदायिक सभाएं की गईं, उनमें उचित नीतियों पर विमर्श हुआ व उनके संदेश को काऊंटी की विकास व नियोजन समिति तक पंहुचाया गया।

नाबॉन के बारे में पिछड़ेपन की सोच को फैला कर यहां के लोगों के आत्म–सम्मान को कम किया गया था। इस विसंगति को दूर करने के लिए यह नारा सामने आया – "नाबॉन की असली संपदा तो यहां के लोग हैं।" दान की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित न करने का निर्णय लिया गया व इसके स्थान पर आत्म–निर्भरता को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अपने बल पर, अपनी क्षमताओं के बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इस सोच को प्रोत्साहित किया गया। इससे लोगों का आत्म–सम्मान बढ़ा व वे इस सोच से, इन प्रक्रियाओं से जुड़े।

इस तरह न केवल पैसे पर आधारित संपदा की संकीर्ण सोच को चुनौती मिली अपितु महिलाओं सहित स्थानीय लोगों की मेहनत, उनके विशिष्ट ज्ञान व खाद्य संप्रभुता पुनः प्राप्त करने के उनके प्रयासों को सम्मान भी मिला। फिर स्थानीय लोगों की भागेदारी से, उनकी सभाओं के माध्यम से, उनकी वास्तविक जरूरतों व प्राथमिकताओं की पहचान बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। समुदायों के स्तर पर होने वाली मीटिंगों के निर्णयों को राष्ट्रीय स्तर की विकास व नियोजन समिति तक भी पहुंचाया गया। जो व्यवस्थाएं पहले से थी उनके समग्रीकरण से भी बेहतर परिणाम प्राप्त किए गए।

विशेषकर म्यूनिसिपिल बजट के संदर्भ में यह निर्णय प्रक्रियाएं महत्त्वपूर्ण रही, जन भागेदारी को बजट में समुचित स्थान देने की तैयारी हुई। सरकारी खर्च के संदर्भ में यह भागेदारी महत्त्वपूर्ण रही। लोगों की जरूरतें और प्राथमिकताएं सही रूप से सामने आ सकीं, विभिन्न क्षेत्रों के लिए जरूरी खर्च का संकलन किया गया ताकि सरकार के बजट में इसके आधार पर ही खर्च का आवंटन हो। म्यूनिसिपेलिटी में इस आधार पर बजट से जो कार्य होता है वह पारदर्शिता से होता है ताकि लोगों की जानकारी में रहे। अक्टूबर के महीने में इस बारे में अंतिम निर्णय लेने के साथ विभिन्न कार्यों के लिए उनके क्षेत्र में कितना पैसा उपलब्ध होने वाला है इसकी निश्चित जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है।

बजट के क्षेत्रीय आवंटन में समता, जेंडर, बच्चों व बुजुर्गों के हितों, पर्यावरणीय हितों का भी ध्यान रखा जाता है। इस दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी व आंकड़े देख कर ही निर्णय लिए जाते हैं।

बजट में जन भागेदारी का एक अन्य पक्ष यह भी है कि यदि किसी एक क्षेत्र या समुदाय की विशेष आवश्यकताएं किसी समय होती है तो कोई अन्य क्षेत्र या समुदाय उसे अपने संसाधन उपलब्ध करवा सकता है। साथ में यह ध्यान रखा जाता है कि जो संसाधन दे रहा है बाद में उसकी विशेष आवश्यकता की स्थिति का भी ध्यान रखा जाए व उसे अतिरिक्त संसाधन उस समय दिए जाएं।

इस भागेदारी से नाबॉन के लोग बजट के बारे में बहुत जागरुक हो गए हैं और इस बारे में उनकी जानकारी बहुत बढ़ गई है। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि कहां से कुछ अतिरिक्त खर्चा निकाला जा सकता है व वे समुदाय मेयर से इसके बारे में बात कर सकते हैं। इन नई बजट प्रक्रिया के साथ म्यूनिसिपेलिटी ने समग्र स्वास्थ्य, प्रकृति व जैव विविधता, पर्यटन, आर्थिक विकास, बच्चों व युवा आदि विषयों पर अनेक विमर्श चलाए हैं।

इन संस्थागत बदलावों से पहले के राष्ट्रीय कानूनों की परिधि का विस्तार कर उनमें स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने की जगह निकाली गई है और इसके फलस्वरूप

राजनीतिक प्रतिनिधियों की म्यूनिसिपेलिटी में भूमिका में बदलाव आया है। अब लोगों के बारे में स्वयं निर्णय लेने के स्थान पर लोगों द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन में मदद ही करते हैं। मेयर मागाली क्वेजादा ने कहा कि हम स्वयं तो एक पैसे का निर्णय नहीं लेते हैं। हम व परिषद तो बस लोगों के निर्णय स्वीकृत करते–करवाते हैं (मिरियम लांग से साक्षात्कार मार्च 23, 2017)।

"इस तरह किसी एक हित को साधने वाले पीछे रह गए हैं व जन–पक्षीय निर्णय प्रायः सबकी सहमति से लिए जाते हैं। ऊपर से केन्द्रीय सरकार के जो निर्देश आते हैं, उन पर जरूर विवाद उठता है। पर अंत में हम सहमति कर ही लेते हैं।"

इस तरह केवल अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजने के स्थान पर लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र में महत्त्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने में असरदार भागेदारी करते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं बनी हैं कि निर्णयों पर निहित स्वार्थों का असर हट गया है व उनमें स्थानीय भागेदारी बहुत बढ़ गई है। जब स्थानीय सभाओं में विस्तृत चर्चा होने के बाद लोगों की आम सहमति व जन–समर्थन का बल प्राप्त कर निर्णय ऊपर तक पहुंचते हैं तो म्यूनिसिपेलिटी में विभिन्न राजनीतिक दलों की उपस्थिति के बावजूद आम राय से निर्णय लेने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। मेयर ने बताया कि 99 प्रतिशत निर्णय इसी तरह आम सहमति से लिए गए।

जब समुदाय इस तरह सशक्त हो जाते हैं तब कोई नेता लोगों पर अपना प्रस्ताव थोपना भी चाहते हैं तो जागरुक लोग कहते हैं कि इस तरह मत कहिए, इस विषय पर तो हम निर्णय ले चुके हैं।

अनेक राष्ट्रीयताओं के तत्त्व

'अनेक राष्ट्रीयता' स्थानीय समुदायों की एक प्रमुख मांग रही है। 2008 के संविधान में अनेक राष्ट्रीयताओं के राज्य का संदेश शामिल हुआ। नाबॉन में यह अधिक व्यवहारिक रूप में स्थानीय स्तर पर अभिव्यक्त हो रहा है। मेयर क्वेजादा ने कहा, "हमने आरंभ में देशीय क्षेत्र से संगठित होना सीखा व इस सीख का उपयोग मेस्तिजो क्षेत्र में किया।"

सामुदायिक सभाओं में लिए गए निर्णयों को अधिक महत्त्व दिया जाता है। यहां अनेक तरह के विषयों पर विमर्श होता है जैसे कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण। लोग इन सभाओं को महत्त्व देते हैं। स्वैच्छिक श्रम का विभिन्न कार्यों में महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। यह देशीय परंपराओं की सीख है।

क्वेजादा के अनुसार अनेक राष्ट्रीयता का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि सामुदायिक सभाओं को अधिक महत्त्व दिया जाता है। अब लोगों को पता है कि यहां निर्णय से पहले अच्छा विमर्श जरूरी है, वे ही इस निर्णय के लिए जिम्मेदार हैं। सामूहिक निर्णय होता है तो सभी संकेतक बताते हैं कि इसका क्रियान्वयन उचित होगा। इन प्रक्रियाओं से जुड़े लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, स्वयं अपने खर्च से इन सभाओं में पहुंचते हैं। क्वेजादा ने बताया कि जब कुछ असरदार व्यक्तियों ने लोगों को सभा में लाने के लिए वाहन की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की तो उन्हें रोका गया क्योंकि लोगों को अपना कर्तव्य व जिम्मेदारी समझकर इनमें आना है।

मेयर क्वेजादा ने बताया कि शासन की ओर से साज–सामान उपलब्ध हो व लोग अपना श्रम–दान करें तो कई कार्य इस तरह पूरे हो जाते हैं।

एक देशीय समुदाय के पेट्रशिओ सगबे कहते हैं कि भागेदारी वाले बजट से हम बहुत सीख रहे हैं। यह सोच सुमक कवसे जैसी है। हम बहुत समय से एक सिंचाई योजना चाहते थे व 25 वर्ष बाद वह इस बजट पद्धति के कारण संभव हुई है। सगबे की इस समय सामुदायिक सिंचाई व्यवस्था की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि अब हम इस सिंचाई व्यवस्था को स्वयं बनाएंगे। भागेदारी वाले बजट से यह संभव होगा। वे बताते हैं कि हमें समतावादी व्यवस्था व स्वशासन को मजबूत करना है। केन्द्रीय सरकार हमारे कुछ अधिकार लेकर हमें कमजोर करना चाहती थी, पर अपने दृढ़ निश्चय के आधार पर हमने वहां भी सम्मान प्राप्त किया। (मिरियम लांग से साक्षात्कार, अक्टूबर 1 2017)

देशीय समुदायिक न्याय केवल देशीय क्षेत्र में प्रचलित है पर इसके निर्णय सामान्य न्याय व्यवस्था में भी स्वीकृत होते हैं। वर्ष 2008 के संविधान में देशीय न्याय व्यवस्थाओं को पहचान मिली, जो सजा के स्थान पर क्षतिपूर्ति व संतुलन स्थापित करने पर अधिक ध्यान देती हैं। पर कोर्रिया सरकार ने दोनों व्यवस्थाओं के सह–अस्तित्व को वास्तविकता नहीं बनने दिया। मीडिया में देशीय न्याय को बर्बर रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि सामान्य व्यवस्था में निहित नस्लवाद की आलोचना नहीं की जाती है (डी सोसा सांतोस व ग्रिजाल्वा जिमेनेज, 2012)। पर नाबॉन में देशीय न्याय व्यवस्था को महत्त्व देने के प्रयास हुए।

दूसरी ओर देशीय क्षेत्रों में भी कुछ सांस्कृतिक बदलावों से नए तनाव आ रहे हैं। प्रवासी व्यक्ति बाहर से धन कमा कर भेजते हैं तो उससे बहुत विलासिता के भवन बनाए जाते हैं जो परंपरागत सादे फार्म हाऊस से बहुत अलग नजर आते हैं। यहां कई

बार तो लोग रहते भी नहीं हैं, बस शान–शौकत व भविष्य में महंगा बेचने के लिए यह भव्य भवन बनाए जाते हैं। यहां पूंजीवादी संचय की सोच में व बुयेन विविर की सोच में टकराव होता है जो कि सद्भावनापूर्ण अच्छे जीवन पर आधारित है, जिसमें बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद भौतिक संपत्ति का उद्देश्य सामने नहीं रहता है। पर प्रवासियों में अपनी धन–संपदा प्रदर्शित करने की जो ललक होती है, वह इस सोच से दूर ले जाती हे।

एक देशीय कम्यून शाईना में ग्लोबल भूमंडलीय उत्तर से लौटे प्रवासी समुदायिक दैनिक जीवन की प्रवृत्तियों का विरोध कर रहे हैं और अच्छे जीवन की पश्चिमी/आधुनिक सोच को प्रत्यारोपित कर रहे हैं। व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व की होड़ में वे शाईना कम्यून के सामूहिक स्वामित्व को नकारते हैं। इस कारण कई अदालती केस हो चुके हैं, हिंसा भी हुई है। कुछ स्वार्थी तत्त्वों ने देशीय मांगों पर रोक लगाने के लिए भी इन लौटे हुए प्रवासियों को समर्थन दिया है। (वेगा, 2016 पृष्ठ 190) दूसरी ओर सेर्गियो मोरोशो का मानना है कि देशीय समुदाय इस समस्या को बेहतर ढंग से निबटा सकते थे (मिरियम लांग से साक्षात्कार सितंबर 18 2017)।

ऐसी समस्याओं से पता चलता है कि कुछ नए तरह के तनावों का सामना करने के लिए कम्यूनों में भी बेहतर तैयारी चाहिए। बाहर से आने वाले लोग बुयेन विविर की सोच को नकार सकते हैं, बाधा भी मान सकते हैं। ऐसे तनावों से पता चलता है कि अनेक राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के इक्वेडोर के वर्ष 2008 के संविधान में समावेश व म्यूनिसिपल सरकार द्वारा अपनाए जाने के बावजूद आधुनिक पश्चिमी विकास का आकर्षण भी अपने स्तर पर बना हुआ है जिससे अच्छे जीवन की विभिन्न सोचों में टकराव होता है व तनाव उत्पन्न होते हैं। कम्यून स्तर के परंपरागत नेतृत्व के लिए बहुत रचनात्मक ढंग से इन तनावों को सुलझाना एक चुनौती बना हुआ है।

समाज के प्रकृति से संबंध

फरनांडो वेगा ने नाबॉन में समाज के प्रकृति से संबंध के बारे में लिखा है – समुदाय की दृष्टि में बुयेन विविर के लिए प्रकृति का संरक्षण जरूरी है। इस सोच में समुदाय की पहचान से प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है व इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में समुदाय की एक जिम्मेदारी है प्रकृति की रक्षा करना और इसके साथ जुड़ी है जल या जल–स्रोत की रक्षा। यह खाद्य के मुख्य स्रोत से भी जुड़ा मुद्दा है (वेगा 2016 पृष्ठ 86)।

मिट्टी की उर्वरकता को बहाल करना

खाद्य संप्रभुता फिर प्राप्त करना

आत्म–निर्भरता प्राप्त करने में पहली प्राथमिकता समुदाय की जरूरतों के अनुकूल खाद्य उत्पादन करना था, व इसके लिए प्रकृति की रक्षा जरूरी है। पहला कदम तो यही था कि अधिक हरे–भरे वन तैयार कर पर्यावरण रक्षा के अनुकूल कृषि के तौर–तरीके (या एग्रो–इकोलोजिकल पद्धतियां) अपनाकर मिट्टी का प्राकृतिक उपजाऊपन फिर से प्राप्त किया जाए।

एलेक्सेंडरा ओचोआ के अनुसार इस प्रक्रिया से जुड़े लोग अपनी गलतियों से सीख कर उन्हें सुधार सके हैं। हमने कुछ गलतियां कीं। हमने पहले कहा कि जहां मिट्टी का क्षरण व कटाव अधिक है वहां हम अधिक बजट देंगे। पर आलोचना हुई कि इस तरह तो जिन्होंने अभी तक मिट्टी का कटाव रोकने का काम कम किया उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। तब हमने गलती से सीखकर यह रोक दिया और कहा कि जो अधिक पेड़ लगा रहे हैं, वन क्षेत्र बढ़ा रहे हैं उनको बजट अधिक देंगे। हमने वनीकरण का बड़ा अभियान चलाया, सभी लोग इससे जुड़े, म्यूनिसिपल कर्मचारी भी जुड़े। क्षेत्र को बांटा गया – यहां वनीकरण संगठन ने करना है, यहां समुदाय ने करना है, यहां म्यूनिसिपेलिटी ने करना है। यह प्रक्रिया अभी तक चल रही है। पर सवाल केवल मिट्टी को उपजाऊ बनाने का नहीं था, परंपराओं को बचाने व उनसे सीखने का भी था। अब हम फिर से स्थानीय (एंडियन) बीजों का उपयोग करने लगे हैं। इसलिए नाबॉन

को आज एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखा जाता है। (साक्षात्कार मार्च 29, 2017)।

अगला कदम था उत्पादकों के सब्जियों व पशुपालन से जुड़े समूह बनाना। इन्हें स्थानीय सरकार ने बेहतर बिक्री व बाजार के लिए सहयोग दिया। जैविक (आर्गेनिक) खाद्यों का स्थानीय ब्रांड तैयार हुआ व यहां के आर्गेनिक सट्राबेरी, सब्जी, जड़ी–बूटी वाली चाय की अच्छी पहचान बनी। स्थानीय व्यंजनों को अधिक प्रतिष्ठित किया गया। एक पर्यावरणीय कृषि का स्कूल स्थापित किया गया ताकि उत्पादन प्रक्रियाओं में पर्यावरण की रक्षा वाली तकनीकी की समझ बन सके।

स्थानीय बचत समूहों ने भी विशिष्ट पहचान बनाई। किसी परियोजना में कोई व्यक्ति प्रति माह एक डालर (लगभग 65 रुपए) जितने कम योगदान से भी शुरुआत कर सकता है। वह 200 डालर का कर्ज प्राप्त कर सकते हैं। प्रायः कर्ज व्यक्तियों को दिए जाते हैं पर यहां सामूहिक परियोजनाओं को बढ़ाया गया। इस समय काऊंटी में 90 से अधिक ऐसे बचत समूह हैं व वे प्रायः महिलाओं के नेत्तृत्व में हैं। वे स्वयं सब सदस्यों के विमर्श से ब्याज की दर तय करते हैं। इन सामूहिक परियोजनाओं का केवल आर्थिक लाभ ही नहीं है, उससे आगे यह समाज में एक जुटता व सहयोग बढ़ाते हैं। कुछ महिलाओं ने बताया कि साथ–साथ काम करने के कारण उन्हें एक–दूसरे की मदद प्राप्त कर बच्चों की देखरेख में कठिनाई नहीं होती है। यहां उद्देश्य पूंजी जोड़ना नहीं है अपितु लोगों को जोड़ना है। (मगाली क्वेजादा का विमर्श, मई 13 2017)। यह स्थानीय प्रयास उन परियोजनाओं का विकल्प है जो लोगों को गांवों से विस्थापित करती है।

खाद्य संप्रभुता से जुड़ा अन्य मुद्दा यह रहा कि घरेलू जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हुआ। औसतन नाबॉन की ग्रामीण महिलाओं की प्रतिदिन दो घंटों की बचत हुई है। 97 प्रतिशत घरों में मुख्य स्रोत से जल आपूर्ति है (क्वेजादा 2017)।

मेयर मागाली क्वेजादा का मानना है कि गरीबी दूर करने के नाम पर अनावश्यक रूप से सरकार पर निर्भरता बढ़ाने वाली नीतियां नहीं अपनानी चाहिए। बुयेन विविर की सोच से ऐसी नीतियों का मेल नहीं है। आर्गेनिक खेती से आत्म निर्भरता प्राप्त हो सकती है व इस दिशा में बढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि आर्गेनिक खेती को पर्याप्त समर्थन मिले तो इसके आधार पर संतोषजनक आजीविका प्राप्त हो सकती है। इसके प्रमाण उपलब्ध हैं। पर्याप्त खाद्य उत्पन्न करना एक बड़ा लक्ष्य है व आगे चलकर इससे ही स्वास्थ्य में सुधार होगा।

आज नाबॉन में 70 एग्रो इकालाजिकल एसोशिएसन हैं जिन्होंने कई बार सरकारी कृषि नीतियां बदलने के लिए कहा है। नाबॉन में केवल 24 प्रतिशत निवासी कहते हैं कि वे पेस्टीसाईड या रासायनिक कीटनाशक उपयोग करते हैं जबकि 80 प्रतिशत जैविक खाद का उपयोग करते हैं। (मोरोचो 2013, पृष्ठ 21)। सरकारी नीतियां कृषि से जुड़े उद्योगों के निर्यात को बढ़ावा देती हैं व गांववासियों के अपनी भूमि पर गरिमामयी जीवन में सहायता नहीं देती है। (मुनोज खारामिलो, 2014, पृष्ठ 14) केन्द्रीय सरकार उन फसलों को बढ़ावा देती है जिनकी इस समय विश्व बाजार में ऊंची कीमत है। इस तरह किनोआ की फसल को बढ़ाया जिसके लिए बाद में बाजार नहीं मिला। इस स्थिति में म्यूनिसिपेलिटी ने यह फसल खरीदकर इसे कुपोषण से पीड़ित बच्चों की माताओं में बांट दिया। यह चर्चित हुआ तो केन्द्रीय सरकार ने इसकी वाहवाही लेने का प्रयास किया, यह भूल कर कि उसकी कृषि नीति की विफलता से उत्पन्न दुष्परिणामों को कम करने के लिए ही यह कदम उठाया गया था।

खाद्य संप्रभुता के यह प्रयास मात्र गरीबी दूर करने से नहीं जुड़े हैं अपितु इनका उद्देश्य खाद्य को वस्तुतिकरण व मुनाफे की सोच से हटाकर उसके मूल उद्देश्य पोषण से जोड़ना है व कृषि को नवउदारीकृत भूमंडलीय बाजार से अलग करना है। निर्यात के लिए उत्पादन हो तो अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे विश्व बैंक की दखलंदाजी उनके नवउदारीकरण के कर्ज व पैकेज के साथ आ जाती है। नाबॉन के लोगों ने जब समझ लिया कि वे अपने प्रयासों, साधनों, पर्यावरण से जीवित रह सकते हैं तो उन्होंने यह भी सीख लिया कि उन्हें ऐसे कर्ज नहीं चाहिए जो उन्हें नवउदारीकरण के संरचनात्मक बदलाव के लिए मजबूर करेंगे। यह भी खुशकिस्मती रही कि स्विस कॉरपोशन ने अपने संसाधन उपलब्ध करवाते समय निर्णय प्रक्रिया में दखलंदाजी नहीं की, पर प्रायः अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान दखलंदाजी करते हैं।

खाद्य संप्रभुता व पोषण को प्राथमिकता देकर नाबॉन के स्थानीय समुदायों ने पैसे बनाने के पूंजीवादी विमर्श को तोड़ा है। उन्होंने गरीबी दूर करने व गरिमा प्राप्त करने की अपनी राह निकाली है। इस अनुभव से पता चलता है नवउदारवाद का प्रतिरोध तब असरदार ढंग से हो सकता है जब निर्णय की शक्ति प्रतिनिधियों को ही नहीं सौंपी जाती है अपितु सामूहिक रूप से जन–शक्ति द्वारा उपयोग की जाती है।

वनों व जल–स्रोतों की रक्षा; खनन के विरुद्ध संघर्ष

खाद्य संप्रभुता प्राप्त करने की रणनीति का एक केन्द्रीय पक्ष यह है कि जल स्रोतों व वनों की रक्षा की जाए। नाबॉन सहित इक्वेडोर एण्डस क्षेत्र में परामोस इकोसिस्टम (व

वन) जल संग्रहण का मुख्य स्रोत है। नाबॉन काऊंटी में 32 प्रतिशत क्षेत्र संवेदनशील व मूल्यवान परामोस जैसे इकोसिस्टम का है। (पाईउलोस, 2014, पृष्ठ 90)

हाल के वर्षों में नाबॉन में परामोस व वनों की रक्षा के लिए अनेक सामाजिक–पर्यावरणीय संघर्ष हुए हैं। क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण हिस्सा खनन के लिए दिया गया है – सोने, चांदी, चीनी मिट्टी व निर्माण सामग्री के खनन के लिए। म्यूनिसीपेलिटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2002 और 2014 के बीच 18 खनन ठेके दिए गए जिनमें सबसे खतरनाक सेरोदेल मोखो का है, जो क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिससे अनेक समुदायों को सिंचाई व पेयजल मिलता है। स्थानीय समुदाय के खनन विरोधी कार्यकर्ता रेमिजियो कापेलो के अनुसार, इस खनन परियोजना में पर्वत का ऊपर का पूरा हिस्सा ही मिट जाएगा। (मिरियम लांग के साथ साक्षात्कार सिंतबर 20, 2017)। यह ठेका मिनेरा काचाबी लिमिटेड को दिया गया है जो यू एस सेक्यूरिटी व एक्सचेंज कमीशन के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनी आयमगोल्ड कारपोरेशन के साथ कार्यरत है। अप्रैल 2016 में म्यूनिसिपेलिटी ने मिनेरा काचाबी को परियोजना व इसके लोगों पर पर्यावरणीय असर के बारे में बताने के लिए आमंत्रित किया। अप्रैल 19, 2017 को म्यूनिसिपेलिटी ने नाबॉन काऊंटी व इसके पेरामोस व संवेदनशील इकोसिस्टम को संविधान की भावना के अनुकूल खनन से मुक्त रखने के लिए सेरोदेल मोखो की खनन परियोजना व इससे जुड़े ठेकों को स्वीकृति न देने का निर्णय जारी किया। साथ में कहा कि यह खनन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र पर्यावरण के संरक्षण क्षेत्रों व संस्कृति–इतिहास के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थित है। इससे पहले म्यूनिसीपेलिटी ने पर्वतीय क्षेत्रों को संरक्षण क्षेत्र घोषित किया था जहां टिकाऊ खेती, पर्यावरण रक्षा के अनुकूल पर्यटन, विज्ञान संबंधी कार्य तो हो सकते हैं पर गैर–शाश्वत स्रोतों के दोहन के कार्य नहीं हो सकते हैं। जैविक, आर्गेनिक रूप में भूमि पर कार्य करने, स्थानीय प्रजातियों व लघु वन उपज का प्रबंधन करने, मिश्रित खेती के बारे में परंपरागत ज्ञान को नवजीवन देने की बात भी यहां कही गई है। विश्व के कुछ भागों में राष्ट्रीय पार्कों के कानून लोगों को प्रकृति से अलग करते हैं, पर नाबॉन में परंपरागत कार्यों, आजीविका, इससे जुड़े ज्ञान का सम्मान किया जाता है (गैड नाबॉन, 2014)।

इससे पहले मार्च 2008 में देश के अति शक्तिशाली व धनी एल खूरी परिवार से जुड़ी खनन कंपनी कोचापाटा पेरिस ऊपर के परामोस में खनिज की खोज करने वाली बड़ी मशीनें ले गई। पहले स्थानीय लोगों ने बातचीत से रोकना चाहा, पर कंपनी के कर्मचारियों ने नहीं सुना तो 70 स्थानीय व्यक्ति ऊपर आए और मशीनों को आग लगा दी। समुदायों के सात नेताओं को 8 वर्ष की जेल की सजा दी गई और उन्होंने बहुत कठिनाई से पर्वतों में 2 वर्षों तक छिपकर अपने को तब तक बचाया जब तक यह फैसला वापिस नहीं लिया गया।

रैफल कोर्रिया के शासनकाल में जन–प्रतिरोध को अपराध ठहराने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई।

इस समय भी सेरोदेल मोखो के आसपास के जल–स्रोतों के बारे में अनिश्चय की स्थिति है। नए राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो ने संरक्षित क्षेत्रों में खनन के प्रतिरोध को जनमत संग्रह के दायरे में लाने को कहा है। संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल बदला भी जा सकता है।

वर्ष 2011 में एक जनमत में जल–स्रोत क्षेत्र में खनन की एक परियोजना के विरुद्ध 92 प्रतिशत स्थानीय लोगों ने मतदान किया तो इसे उपेक्षित कर दूसरे जनमत की तैयारी की गई।

संस्कृति, ज्ञान व शिक्षा से जुड़े संघर्ष

नाबॉन में परिवर्तन की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पक्ष है। कुछ समुदायों को ग्रामीणता, निर्धनता व कुछ हद तक देशीयता के कारण तिरस्कृत होना पड़ता था। पर अमेलिया एर्रेज के समय में उनमें स्व–सम्मान की भावना को व अपने सामूहिक प्रयासों से स्थिति बेहतर करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला।

कृषि, स्वास्थ्य व प्रकृति से संबंध के बारे में पूर्वजों के ज्ञान को नए सिरे से समझने का प्रयास किया गया। नई तरह के शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनसे पहले म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों ने कुछ सीखा फिर वे इसे समुदायों के बीच ले गए। जहां पहले तकनीकी कर्मचारी लोगों से अलग रहते थे, इन कार्यक्रमों में उनसे नजदीकी सामाजिक संबंध बनाने पर विमर्श हुआ। उनसे लोगों के व्यवहारिक ज्ञान के महत्त्व को मूल्यवान मानने पर भी विमर्श हुआ। लोगों को केवल निर्देश नहीं देने चाहिए अपितु उनसे मिलकर सीखना और कार्य करना चाहिए। आधुनिक व परंपरागत, वैज्ञानिक व अनुभव–आधारित ज्ञान के संगम से, ज्ञान–प्राप्ति को ऊंच–नीच के बंधन से मुक्त करते हुए ज्ञान व शिक्षा को आगे बढ़ाने को रेखांकित किया गया। इसमें कुछ कठिनाईयां भी थीं क्योंकि सामान्यतः, इंजीनियरों व अन्य तकनीकी विशेषज्ञों को लोगों से सामाजिक संबंध बनाने के बारे में नहीं सिखाया जाता है। उनसे विशेष आग्रह

नाबॉन का एक नगरपालिका उद्यान जहां 80 से भी अधिक आर्किड फूलों की किस्में मौजूद हैं

करना पड़ा कि हमें लोगों के व्यवहारिक ज्ञान से भी सीखना है। उन्हें केवल समाधान नहीं बताने हैं, उनके समाधानों को भी समझना है व फिर मिलकर तय करना है कि समस्या सुलझाने में किस समाधान से अधिक मदद मिलेगी।

अमेलिया एर्रेज के कार्यकाल में म्यूनिसीपेलिटी में एक 'मानव प्रतिभा केन्द्र' की स्थापना की गई जहां अनेक तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं। यहां संगीत, नृत्य के साथ वित्त, उद्यम कुशलता के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। यहां से प्रशिक्षित युवा कुयेनका विश्वविद्यालय तक भी पहुंचे व वे अपने को नाबॉन निवासी के रूप में परिचय देने में गर्व करते थे।

औपचारिक सार्वजनिक शिक्षा में बाधाएं

ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश करना बहुत कठिन होता है। अतः म्यूनिसिपेलिटी ने यहां के छात्रों के लिए जरूरी परीक्षा पास करने हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की। यह व्यवस्था औपचारिक स्कूली शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न किए बिना की गई।

सरकार शिक्षा में कुछ सुधार सांस्कृतिक आदान–प्रदान के नाम पर लाई थी जिसका उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों को मजबूत करना था पर क्रियान्वयन इस तरह से हुआ कि कुछ संस्कृतियों की पहचान का संकट और बढ़ गया। स्कूलों में स्पेनिश भाषा ही छा गई, अन्य भाषाओं की उपस्थिति नगण्य हो गई। अनेक छात्रों से अपने समुदायों की सार्थक विशेषताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसके प्रति अरुचि जताई।

अधिक भाषाओं वाले स्कूलों व सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूलों में देशीय समुदायों के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाने, शिक्षा के प्रयोग करने की अधिक गुंजाईश थी पर वर्ष 2011 में आए नए कानून से ऐसी संभावनाएं कम हुईं। शिक्षा संयुक्त प्रबंधन में देशीय समुदायों की भूमिका कम हुई। देशीय समुदाय के अनेक अध्यापकों को हटना पड़ा – कभी राजनीतिक कारणों से तो कभी औपचारिक शिक्षा की सभी शर्ते पूरी न करने के कारण। पहले शिक्षक समुदाय के प्रति अधिक जिम्मेदार थे, उसके अधिक नजदीक थे। अनेक स्कूलों में 2011 के कानूनों से सामुदायिक संगठन सह–प्रबंधन से हटाए गए। सांस्कृतिक विविधता वाले कई स्कूल बंद हो गए। स्कूलों की संख्या तो बढ़ी पर कुछ आलोचकों के अनुसार शिक्षा में जरूरी सुधार नहीं हुए, शिक्षक–छात्र संबंधों में जरूरी सुधार नहीं हुए।

शिक्षा का आधुनिकीकरण देशीय समुदायों के ताने–बाने में मेल रख कर नहीं हुआ है। सामुदायिक स्कूल समुदाय के हिस्से के रूप में नजर नहीं आ रहे हैं। समुदाय और स्कूल के बीच के रिश्ते के बीच में दरार आई है। बच्चे पहले समुदाय के बीच स्थित स्कूल में टहलते हुए जाते थे, अब दूर के स्कूल में जाने के लिए रोज बस पर चढ़ते हैं। शिक्षा का केन्द्रीयकरण हो रहा है। वह समुदाय से दूर हट रही है। कई छोटे स्कूल बंद हो गए हैं। लगभग चालीस अन्य स्कूल बंद होने थे, पर समुदायों के विरोध के कारण इस पर रोक लग गई। शिक्षा में केन्द्रीय सरकार का निवेश तो बढ़ा पर जरूरी शिक्षा सुधार नहीं हुए।

यह बदलाव केन्द्रीय सरकार की ओर से आए हैं। म्युनिसिपेल्टि का औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में दखल कम हो गया है, पर यह एक युवा परियोजना के माध्यम से सांस्कृतिक क्षति को कम करने का प्रयास कर रही है। इससे आधुनिकता और परंपरा के टकराव के दौर में देशीय सांस्कृतिकता की पहचान को रेखांकित किया जाएगा। एक अन्य परियोजना में बच्चे बुजुर्गों से नाबॉन के बारे में कहानियां सुनते हैं व उन्हें लिखते हैं। वर्ष 2016 में इनमें से सबसे अच्छी कहानियों को एकत्र कर प्रकाशित किया गया। विभिन्न पीढ़ियों में ऐसा जुड़ाव परंपराओं की रक्षा में भी मददगार है व बुयेन विविर को भी इससे मजबूती मिलेगी। म्यूनिसिपेलिटी के औपचारिक स्कूल शिक्षा में दखल न होने से शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर सार्थक कार्य की संभावनाएं कम हुई है।

बुयेन विविर – एक अवधारणा पर विवाद

बुयेन विविर – सुमक कवसे – अच्छा जीवन जीना – इस सिद्धांत के वर्ष 2008 में संविधान में शामिल होने से यह विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बना। इससे कई संघर्षों को प्रेरणा मिली। कुछ लोगों ने कहा कि इससे इक्वेडोर व अन्य क्षेत्रों के सभ्यतामूलक संकट का समाधान मिल सकता है। इस बीच इक्वेडोर में इस देशीय अवधारणा को नए सिरे से रेखांकित करने व हथियाने की प्रक्रिया आरंभ हुई।

पाबलो देवलास ने सुमक कवसे की सोच को पूंजीवादी उत्पादन, वितरण व उपभोग के तौर–तरीकों के विकल्प के रूप में देखा। "सुमक कवसे अवधारणा में मनुष्यों के संबंध इससे अलग तरह के हैं जिसमें स्वार्थी व्यक्तिवाद के स्थान पर सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक प्रतिबद्धता है। इस सोच में प्रकृति से संबंध ऐसा है जिसमें वह मनुष्य की सामाजिकता का अभिन्न अंग है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति व विमर्श है जो पूंजीवाद संचय की आक्रमकता और अमानवीय प्रसार को रोक सकते हैं, ऐसे प्रसार को जो तेजी से बढ़ कर धरती पर मानव जीवन के लिए संकट उपस्थित कर रहा है" (पाबलो देवलास, प्रदा 2013 से उद्धृत, पृष्ठ 45)।

आरंभ में अन्य लोगों सहित देशीय आंदोलन द्वारा भी इस अवधारणा को वर्ष 2008 के संविधान में सम्मिलित करने को एक ऐतिहासिक महत्त्व के कदम के रूप में स्वागत किया गया। अमेजन की किच्छवा नेता मोनिका छूजी (जो कोर्रिया सरकार में संचार सचिव भी रहीं) ने कहा – यह पहली बार है कि पूर्वजों की प्रकृति, समाज, मनुष्यों के सम्मानजनक सहअस्तित्व की अवधारणा को राजनीतिक विमर्श में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। (छूजी, 2010 (2014) : पृष्ठ 232)

इस उपलब्धि का महत्त्व कम नहीं करना चाहिए। अनेक विद्वानों ने बाद में संविधान की इस उपलब्धि की तुलना में ही बुयेन विविर के बाद में क्रियान्वयन का या नए तरह से परिभाषित करने के प्रयासों का विश्लेषण किया।

पर पीछे मुड़कर देखें तो कहा जा सकता है कि 'राज्य के राजनीतिक संविधान' में सम्मिलित करते समय ही सुमक कावसे का महत्त्व व संदर्भ कुछ बदल गया था क्योंकि इसे प्रतिनिधित्व राजनीति की एक पूर्व स्थापित संरचना में एक विशेष संदर्भ में रखा गया। मूलतः यह अवधारणा विकास के विकल्प के रूप में थी, एक अन्य सभ्यतात्मक दिशा की ओर ले जाती थी, उसे अब ऐसे स्थान पर या ऐसे दस्तावेज में स्थापित किया गया जहां विकास को एक केन्द्रीय स्थान उपलब्ध था। इसे संविधान में एक ऐसी व्यापक सोच के रूप में रखा गया जिसकी ओर विकास का झुकाव होना चाहिए। पर धीरे–धीरे इस अवधारणा की एक अलग सभ्यात्मक पहचान मंद होने लगी। (वाल्श 2015)

बुयेन विविर के एक सेक्रेटरी का पद भी सृजित किया गया पर इसकी मात्र प्रतीकात्मक भूमिका ही थी। बुयेन–विविर की राष्ट्रीय योजना 2013–17 को 'ऊपर से नीचे की ओर' सोच के आधार पर तैयार किया गया व सरकारी विशेषज्ञों की देख–रेख में तैयार यह योजना बुयेन विविर की मूल अवधारणा के अनुकूल नहीं थी।

बुयेन विविर व सुमक कवसे की सोच को ऐसे व्यापक संदर्भ में फिट करने का सरकारी प्रयास हुआ, जो मूलतः इन देशीय अवधारणाओं के अनुकूल नहीं था, जिसमें सब कुछ नापने का प्रयास या आंकड़ों में बांधने का प्रयास होता था, जबकि प्रकृति से संबंध व अन्य महत्त्वपूर्ण संबध अलग तरह के थे। इस प्रक्रिया में इन अवधारणाओं को देशीय व्यवस्थाओं से जुड़ी उनकी समग्र सोच से, उनकी व्यापकता से भटकाया गया।

यह सच है कि इन अवधारणाओं को पूरी तरह मूल व अपरिवर्तित रूप में व्यवहारिकता में निरंतरता से उतारना कठिन है, पर अन्य विचारों के साथ इसका सह–अस्तित्व तो संभव है व इसके अर्थ को बदलना उचित नहीं है। जैसे कि कुछ व्यक्तियों ने सुमक कवसे को 'विकास' शब्द का किच्छवा भाषा में अनुवाद बताया तो यह अनुचित है क्योंकि इन दोनों अवधारणाओं व इनके संदर्भों में बुनियादी अंतर है।

अतः इक्वेडोर के सरकारी विकास व नीति विमर्श से धीरे–धीरे बुयेन विविर को जोड़ देना उचित नहीं है। विकास को उद्देश्य या जीवन की मूल सार्थकता मान लेना बुयेन विविर की सोच से अलग सोच है। पर सरकारी विमर्श में इसका अर्थ बदल देने से इससे जुड़ी सार्थक बदलाव की संभावनाओं की बहुत क्षति होती है। बुयेन विविर का यह बदला हुआ अर्थ ही इक्वेडोर के विमर्श में अधिक हावी हो रहा है। पर अनेक क्षेत्रों में अलग तरह की प्रवृत्तियां, संबंध, जीवन जीने के तरीके आज भी जीवित हैं और इन्हें जीवित रखने वाले वे हैं जिन्होंने सुकम कवसे की कई तरह से सभ्यतामूलक विकल्प के रूप में सामने रखा था, चाहे वे केम्पेसिनो हों, किच्छवा हों या देशीय समुदायों से हों। नाबॉन एक ऐसा क्षेत्र है जो बुयेन विविर के वास्तविक अर्थ के लिए प्रयासरत है।

मेयर मगाली क्वेजादा के अनुसार बुयेन विविर का अर्थ है – समुदाय का जीवन, सामाजिक कार्य, सहकारिता व सहयोग, मेस्तिजो व देशीय में संबंध, अच्छी परंपरागत प्रवृत्तियों को फिर प्राप्त करना, अच्छे सामुदायिक जीवन व सामूहिक निर्णय को फिर

प्राप्त करना, सभी क्षेत्रों में प्राप्त करना। इसका अर्थ यहां तक सीमित नहीं है कि गरीबों को कुछ और पैसे उपलब्ध करवाएं।

फरर्नेंडो वेगा ने इस विषय पर बहुत कार्य किया है वे बताते हैं – व्यक्तिगत प्रसन्नता कुछ नहीं है, सामुदायिक भलाई महत्त्वपूर्ण है। समुदाय को 'अच्छे स्वास्थ्य' में मानने के लिए इसकी पहचान मजबूत होनी चाहिए, इसका कार्य मजबूत होना चाहिए, इसके विभिन्न सदस्यों के संबंध, उनकी एकता मजबूत होने चाहिए। अपनी परंपराओं को फिर प्राप्त करना समुदाय की प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि इससे समुदाय के सदस्यों के संबंध मजबूत होते हैं। सामान्य उद्देश्यों के लिए संघर्ष करने हेतु एक सामान्य पहचान जरूरी है।" (वेगा, 2016 : पृष्ठ 83)।

साथ में बुयेन विविर एक समग्र सोच है जिसमें भौतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पक्ष व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर मिलते हैं। (वेगा 2016 : पृष्ठ 51)। पर साथ में वेगा का यह विचार अति महत्वपूर्ण है कि बुयेन विविर का कोई एक मात्र मॉडल नहीं है, कई तरह के बुयेन विविर इतिहास, क्षेत्र तथा संस्कृति की विविधता के साथ संभव हैं।

परिप्रेक्ष्य व चुनौतियां

केन्द्रीय सरकार से संबंध

इक्वेडोर के शक्ति के भूगोल में नाबॉन काऊंटी कुछ दूर का क्षेत्र है। संभवतः यही वजह थी कि जिस समय देश के मुख्य क्षेत्र मुख्यधारा के पश्चिमी आधुनिकीकरण की व्यवस्थात्मक प्रक्रिया से गुजर रहे थे उस समय एक स्थानीय प्रक्रिया स्थानीय जरूरतों पर ध्यान केंद्रित रख सकी। कोर्रिया के 10 वर्ष के शासनकाल की तुलना में नाबॉन की कुछ उपलब्धियां स्पष्ट उभर कर आती हैं। जहां राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की भागेदारी का संस्थानीकरण हुआ, इसे नौकरशाही की पद्धतियों में ढाल दिया गया और एक निष्क्रिय तरह से पुनर्परिभाषित किया गया, वहां नाबॉन ने नीचे से निर्णय लेने की प्रक्रिया को गहरा बनाया और उसकी संभावनाओं को व्यापक किया। जहां क्विटो स्थित केन्द्रीय सरकार ने देशीय आंदोलन को राजनीतिक शत्रु के रूप में पहचाना व इसे कमजोर करने के हर संभव प्रयास किए, नाबॉन में काऊंटी के देशीय और मेस्तिजो हिस्सों में समझौते से बदलाव लाने में बहुत सहायता मिली व यह समझौता यहां आज तक कायम है।

कुछ इस कारण से व कुछ नाबॉन की स्थानीय सरकार की पाचाकुटिक नाम के विरोधी राजनीतिक दल से नजदीकी के कारण वर्ष 2000 के चुनाव के बाद से इन राष्ट्रीय व

स्थानीय सरकारों में संबंध कुछ तनावपूर्ण रहे हैं। मेयर मगाली क्वेजादा के अनुसार नाबॉन की प्रक्रियाओं में केन्द्रीय सरकार ने कितनी बाधाएं उपस्थित कीं इसकी तो वे गिनती ही नहीं कर सकती है। राजधानी क्विटो में सार्वजनिक निर्माण मंत्रालय के अधिकारियों ने उन्हें वापस जाने को कहा क्योंकि वे राष्ट्रीय स्तर पर सत्ताधारी दल अलायंजा पाईस की सदस्या नहीं थीं। केन्द्रीय ऑडिट संस्थान ने 8 वर्ष में उनकी म्यूनिसिपेलिटी के 35 ऑडिट करवाए। इसमें उलझाए रखने से सार्थक बदलाव के कार्यों के लिए कम समय मिल सका। क्षेत्रीय संगठन के कानून कूटाड (2013) ने बदलाव की प्रक्रिया के लिए जरूरी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थानीय सरकारों को वैधानिक अधिकारों से वंचित किया व इन क्षेत्रों पर खर्च करने से भी वंचित किया।

नाबॉन में बदलाव की प्रक्रियाओं से निकले तौर–तरीकों को कई बार केन्द्रीय सरकार के संस्थानों की स्थानीय इकाईयों ने सहयोग नहीं दिया। जब नाबॉन ने सभी संस्थानों की संयुक्त मीटिंग का प्रारूप बेहतर समन्वय के लिए रखा तो वर्ष 2010 में केन्द्रीय सरकार के संस्थानों ने इसे अस्वीकार कर दिया।

बाएं से : देशीय समुदाय की नेता–एस्तेफानिया लालवे, खुआना मोरोको और ग्लोबल कार्य समूह सदस्य–आशीष कोठारी (भारत)

राष्ट्रपति कोर्रिया व उनके मंत्रियों ने विभिन्न दूर–दराज के क्षेत्रों में मंत्रिमंडल मीटिंग शुरु की पर इनसे नाबॉन की दीर्घकालीन, संतुलित प्रक्रियाओं में अनावश्यक

दखलंदाजी हुई। क्वेजादा ने कहा कि इसमें उचित नियोजन व स्थानीय संस्थानों व क्षेत्र से समन्वय का अभाव था। यह नियोजन की सही राह नहीं थी। बस तरह–तरह के वायदे कर दिए जाते थे। (मिरियम लांग से साक्षात्कार सितंबर 20, 2017)।

परिवर्तन का टिकाऊपन व कठिन समय में मजबूती

नाबॉन में 1990 के दशक के मध्य में आरंभ की गई बहुपक्षीय बदलाव की प्रक्रियाएं कई आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक बाधाओं व प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद अपनी मजबूती बनाए रखने में सफल हुई हैं। इस बदलाव ने वर्ष 1999–2000 के बड़े आर्थिक संकट का सामना किया। इस बदलाव ने कोरिया के शासनकाल में आधुनिकीकरण व नियंत्रण की आक्रमक राजनीति का सामना किया। इसने प्रवास से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना किया है। खाद्य संप्रभुता, प्रकृति से संबंध, वनों व जल स्रोतों की रक्षा के संदर्भ में पूंजीवादी, पश्चिमी/आधुनिक सोच के विकल्प सामने रखे हैं। नस्लवाद को कम किया है। देशीय समुदायों की समावेशिता से उनकी कई सार्थक परंपराओं को नवजीवन देते हुए बढ़ाया है। पित्तृसत्तात्मकता को कम करने, लिंग–आधारित संबंधों को सुधारने व उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में समाज की समझ बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ है। संकीर्ण स्वार्थ से जुड़े व्यक्तिवाद के स्थान पर सामूहिकता, सामुदायिकता व एकजुटता को प्रतिष्ठित किया गया है। बजट में भागेदारी बढ़ाकर सामुदायिक अधिकारों व न्यायसंगत पुनर्वितरण को बढ़ाया है। आत्म–निर्भरता को बढ़ाने व लोकतंत्र को गहरा करने में सफलताएं प्राप्त हुई हैं। सामान्य लोगों की गरिमा को प्रतिष्ठित करने व अपने जीवन को अपने नियंत्रण में लेने (विशेषकर सामुदायिक स्तर पर) की सोच विकसित करने में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रही है। मुनाफेखोरी की सोच से बहुत अलग सोच, वैकल्पिक सोच बुयेन विविर के रूप में मजबूत हुई है। पश्चिम आधुनिकता का सामना करने में व परंपरागत संस्कृति व ज्ञान के आधार पर समुदायों के सह–अस्तित्व को आगे बढ़ाने में इस सोच से सहायता मिली है। यहां के परंपरागत आवासों व खाद्यों के प्रचलन के रूप में इस सोच की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है।

आध्यात्मिकता की भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है, विशेषकर प्रकृति से संबंध में बदलाव के संदर्भ में। नाबॉन के लोगों व म्यूनिसिपेल्टि ने सिंचाई व कृषि–वानिकी को जो परियोजनाएं आरंभ की उनका उद्देश्य केवल खाद्य उत्पादन बढ़ाना ही नहीं था, इनका उद्देश्य प्रकृति व सभी जीवों की भलाई के लिए है, मनुष्यों के लिए भी व जीवन के अन्य रूपों के लिए भी ताकि सभी जीवन रूप अभी व भविष्य में बेहतर तरह से पनप सकें। कैथरीन वाल्श ने लिखा है कि बुयेन विविर ज्ञान और जीवन की ऐसी सोच है जो विभिन्न स्तरों पर प्रकृति और मनुष्यों में सामंजस्य लाती है। (वाल्श, 2010, पृष्ठ 18)।

नाबॉन की प्रक्रियाओं के लिए समस्याएं भी हैं। लोकतांत्रिक चुनावों के समय भी कभी–कभी एकजुटता टूटती है, पुराने साथी अलग होते हैं। पूर्व मेयर अमेलिया एर्रेज अलियांसा पाईस से 2013 में जुड़ गई और वर्ष 2014 में अपनी पूर्व उप–मेयर मगाली क्वेजादा के विरुद्ध चुनाव लड़ा। (इस बार क्वेजादा की जीत हुई)। बाहरी फंड व केन्द्रीय सरकार के फंड पर निर्भरता भी एक समस्या है, हालांकि बजट–सुधार से इस समस्या को कम किया गया है। पूंजीवाद के केन्द्रों में जाने वाले अनेक प्रवासी बदलाव की अलग सोच लाते हैं। नाबॉन के कुछ युवाओं को यहां रोजगार न मिल पाना भी एक समस्या है। ऊंचे पर्वतों पर खनन से कृषि के लिए खतरा है। देश के अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का स्थानीय छोटे किसानों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

आने वाली स्थितियों के बारे में अभी कहना कठिन है, पर राफेल कोर्रिया के बाद निर्वाचित उन्हीं के दल के नए राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो ने कई नीतिगत बदलावों का वायदा किया है। ऐसे संकेत है कि नीचे से आ रहे नाबॉन जैसे बदलावों के लिए स्थिति कुछ अनुकूल हो सकती है, पर यदि बड़े पैमाने पर खनन हुआ तो कठिनाईयां बहुत बढ़ जाएंगी। मेयर क्वेजादा ने कहा कि केन्द्रीय सरकार से उन्हें पहले से बेहतर सहयोग मिल रहा है।

वामपंथ से कुछ अलग राह

वेनेजुएला में चावेज ने तो 21 वीं शताब्दी के समाजवाद की बहुत बड़ी बातें की, पर नाबॉन में जो बदलाव आया यह अपेक्षाकृत बहुत शांत माहौल में आया है। अधिक केन्द्रीयकरण को तो नाबॉन ने चुनौती दी है पर अनेक पहले जैसे संस्थानों के बने रहते हुए उसके माध्यम से भी बदलाव लाए गए है। प्रतिकूल स्थितियों में भी नाबॉन के नगरिकों ने सार्थक बदलाव की सरल, सीधी राह निकाल ली। वामपंथ की राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता प्राप्त करने की जो सोच रही है वह बुयेन विविर की सोच के अनुकूल नहीं है क्योंकि यह सोच तो सामुदायिकता को बनाने–बढ़ाने व संतुलन, सामांजस्य प्राप्त करने की राह पर चलती हैं। राष्ट्र–राज्य को केवल इस सीमित संदर्भ में ही चुनौती दी गई कि न्याय, शिक्षा व पुनर्वितरण पर उसका एकमात्र व केन्द्रीकृत अधिकार नहीं है। जैसा की आयालोगा के देशीय नेता एस्तेफेनिया लालवे कहते हैं,

नाबॉन के लोग यहां बने रहने, अपने अच्छे स्वास्थ्य वाले आर्गेनिक खाद्यों को खाने–खिलाने, बांटने, स्थानीय पोषाक में बुयेन विविर की भावना से प्रसन्न रहने को ही सार्थक मानते हैं।

संदर्भ :

Brand, U., Görg, C., Hirsch, J. & Wissen, M. (2008) Conflicts in Environmental Regulation and the Internationali-zation of the State. New York: Routledge.

Brassel, F., Herrera, S. & Laforge, M. (2008) Reforma agraria en Ecuador? Viejos temas, nuevos argumentos. Quito: SIPAE.

Campaña Defensores (ed.) (2011) Informe del estado de salud de los compañeros criminalizados, parroquia Cochapata, Nabón, Azuay, Ecuador. Campaña de defensores de la Naturaleza y Derechos Humanos. July 20. Available at: http://campanadefensores.blogspot.com/2011/07/informe-del-estado-de-salud-de-los.html [accessed October 11 2017].

Carpio Benalcázar, P. (ed.). (2009) El desarrollo económico local: La experiencia de Nabón. Nabón: Municipio de Nabón, Gobierno Local.

De Sousa Santos, B. & Jiménez, A. G. (2012) Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador. Quito: Abya Yala, Fundación Rosa Luxemburg.

El Mercurio (ed.). (2011) Defensor pedirá amnistía a favor de comuneros de Nabón. El Mercurio. October 1. Available at: https://www.elmercurio.com. ec/301145-defensor-pedira-amnistia-a-favor-de-comuneros-de- nabon/ [accessed October 11, 2017].

GAD Nabón. (2014) Ordenanza mediante la cual se declara área de protección municipal "Guardia de la Paz". Nabón: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón.

GAD Nabón. (2017) Resolución No. 35-CMN-2017. Declaratoria del territorio del Cantón Nabón, sus páramos y ecosis-temas frágiles y amenazados , que se encuentran dentro del área de bosque y vegetación protectora ubicada en la subcuenca alta del río León y microcuencas de los. Nabón: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón.

Herrera, S. (2008) Alternativas económicas, tenencia de la tierra y género: El caso de Nabón. In: Brassel, F., Herrera, S. & Laforge, M. (eds.) Reforma agraria en Ecuador? Viejos temas, nuevos argumentos. Quito: SIPAE. pp. 77-102.

Herrera, S. (2009) Nabón: Entre las mujeres y el gobierno local. Quito: IEE, IRDC, PRIGEPP.

Hidalgo, C., Luis, A., Guillén García A., & Ghuaza, N. D. (2014) Sumak Kawsay Yuyay: Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre Sumak Kawsay. Huelva y Cuenca: CIM, PYDLOS, FIUCUHU.

INREDH (ed.). (2011) Amnistía para los 7 defensores criminalizados de Nabón. Inredh. December 6. Available at: https://www.inredh.org/index.php/en/ boletines/defensoras-es-de-ddhh-y-la-naturaleza/134-amnistia-para- los-7defensores-criminalizados-de-nabon [accessed November 10, 2017].

Lang, M. (2017) ¿Erradicar la pobreza o empobrecer las alternativas? Quito: Universidad Andina Simón Bolívar and Abya Yala.

Lang, M. & Mokrani, D. (2013) Beyond Development: Alternative visions from Latin America. Quito/Amsterdam: Transnational Institute, Fundación Rosa Luxemburg.

Lang, M. & Mokrani, D. (2011) Más allá del desarrollo. Quito: Abya Yala and Fundación Rosa Luxemburg.

Martínez Valle, L. (2002) Economía política de las comunas indígenas. Quito: Abya Yala, ILDIS, OXFAM, FLACSO.

Morocho, P. (2013) Encuesta de bienestar subjetivo. Proyecto piloto Nabón y Pucará 2012-2013. Cuenca, Nabón y Pucará: PYDLOS, Gobierno Autónomo Descentralizado de Nabón, Gobierno Autónomo Descentralizado de Pucará.

Municipio de Nabón, Gobierno Local. (2006) Plan de Desarrollo Local del Cantón Nabón 2007-2012. Nabón: Municipio de Nabón.

Muñoz Jaramillo, F. (ed.). (2014) Balance crítico del gobierno de Rafael Correa. Quito: Universidad Central del Ecuador.

PYDLOS. (2014) Plan de ordenamiento territorial del Cantón Nabón: Diagnóstico y diagnóstico integrado. Nabón y Cuenca: PYDLOS y Gobierno Autónomo Descentralizado de Nabón.

Quezada, M. (2017) Participación Ciudanada, Modelo de Gestion, Presupuesto Participativo. Presentación en el conversatorio: Gobiernos locales alternativos y construcción del Sumak Kawsay en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, el 23 de marzo 2017. Nabón: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

Samaniego, A. (2009) Paso a paso se construyen grandes historias. Quito: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE.

Shiva, V. (1991) The Violence of the Green Revolution. Third World Agriculture, Ecology and Politics. London/ New Jersey: Zed Books.

SIISE-INEC, Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2001): Censo de población y vivienda. Available at: http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# [accessed march 14th, 2018]

SIISE-INEC, (2010): Censo de población y vivienda. Available at: http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb. html?sistema=1# [accessed march 14th, 2018]

Torres, R. M. (2017) Educación: una "revolución" sobrevalorada. Editado por Gkillcity. Gkillcity. May 23. Avail-able at: http://gkillcity.com/articulos/10-anos-rafael-correa-el-balance/educacion-revolucion-sobrevalorada [accessed October 11 2017].

Unda, R. & Jácome, R. (2009) Del clientelismo político a la participación ciudadana. Experiencia del presupuesto participativo en el cantón Nabón. 2. Nabón: Municipio de Nabón; PDDL cooperación.

Ura, K., Alkire, S., Zangmo, T. & Wangdi, K. (2012) A Short Guide to Gross National Happiness Index. Thimphu: The Centre for Bhutan Studies.

Urena Rivas, M. (2017) La mujer en la participación ciudadana del cantón Nabón. Trabajo de titulación para la licenciatura en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible, Cuenca: Universidad Politécnica Salesiana.

Vega, F. (2016) El Buen Vivir en el territorio y comunidades de Nabón 2011-2015. Cuenca: Programa de Población y Desarrollo Local Sustentable – PYDLOS.

Walsh, C. (2010) Development as Buen Vivir: Institutional arrangements and (de) colonial entanglements. Development, 53 (1), 15-21.

भारत

मेंधा-लेखा : वन अधिकार व स्वशक्तिकरण

नीमा पाठक ब्रूमे, पुणे स्थित 'कल्पवृक्ष' की सदस्य

(लेखन में सहयोग – मोहन हीराबाई हीरालाल, देवाजी तोफा व मेंधा ग्राम–सभा के अन्य सदस्य)

इस केस स्टडी को लिखने में अनेक व्यक्तियों ने योगदान किया। मेंधा के संघर्षों के इतिहास को व यहां के लोगों के भविष्य निरुपण को समझने के लिए देवाजी तोफा व मोहन हीराबाई हीरालाल से अनेक वर्षों में समय–समय पर हुई बातचीत बहुत जरूरी थी। इस अध्ययन में ग्राम सभा के अनेक सदस्यों विशेषकर दुक्कू दुर्गा, सुमन दुग्गा, शिवराम दुग्गा, शांताबाई दुग्गा, चरणदास से मिलनसारिता के माहौल में हुई बातचीत की प्रमुख भूमिका है। यहां की मेरी दो अंतिम यात्राओं में मेरी सहकर्मियों श्रुति अजित व सृष्टि बाजपेई का सहयोग उल्लेखनीय है। विनोद कोष्टी, मधुरेश कुमार व आशीष कोठारी ने अध्ययन पर जो विचार दिए उससे इसे बेहतर करने में बहुत सहायता मिली। रोजा लुक्जमबर्ग फाऊंडेशन के प्रति यह अध्ययन करने का अवसर देने का आभार। मिरियम लांग के मूल्यवान सहयोग के लिए धन्यवाद।

प्रस्तावना

मेंधा–लेखा गांव गढ़चिरोली जिले (महाराष्ट्र) के धनोरा तालुक में स्थित है। यहां 400 लोग रहते हैं। वे सभी गोंड आदिवासी या कोया आदिवासी हैं। अधिकांश अन्य देशीय लोगों या भारत के आदिवासियों की तरह, इस क्षेत्र के लोग भी अपनी गुजर–बसर व आजीविका के लिए आसपास के वनों पर बहुत आश्रित हैं। परम्पराओं में इन समुदायों व वनों के नजदीकी संबंध रहे हैं। औपनिवेशिक राज के अंतर्गत व फिर वैसी ही औपनिवेशिक नीतियों व प्रवृत्तियों के चलते रहने से स्वतंत्र भारत की सरकार के अंतर्गत, भी, वनों को राष्ट्रीयकृत किया गया। आदिवासियों तथा वनों में परंपरागत तौर पर रहने वाले अन्य समुदायों की वनों तक पहुंच को व्यवस्थित ढंग से व निरंतरता से कम कर दिया गया व इसे कानूनी तौर पर बहुत सीमित किया गया। लगभग 200 से अधिक वर्षों तक इन समुदायों को पहले औपनिवेशिक व फिर गैर–औपनिवेशिक सरकारों के अधीन केन्द्रीकृत व भ्रष्ट नौकरशाही द्वारा शोषित किया गया। साथ में आर्थिक व औद्योगिक हितों द्वारा हाशिए पर धकेला गया। इस संदर्भ में, यह महत्त्वपूर्ण है कि अगस्त 2009 में मेंधा भारत का पहला गांव बना जिसकी सीमा में आने वाले 1800 हैक्टेयर के वन का उपयोग, प्रबंधन व संरक्षित करने के कानूनी अधिकार व उत्तरदायित्व वन अधिकार कानून (अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन आवासी – वन अधिकार मान्यता अधिनियम) 2006 के अंतर्गत मान्य हुए। यह वन प्रबंधन के इतिहास में राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर था।

यह कानूनी बदलाव दो दशक के संघर्षों का परिणाम था। यह संघर्ष एक अधिक व्यापक क्षेत्रीय आंदोलन (जंगल बचाओ मानव बचाओ आंदोलन) का हिस्सा थे। 1980 के दशक के अंतिम दौर में यह आंदोलन आरंभ हुआ। इसने केन्द्रीकृत शासन, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन व सामान्य संपदा संसाधनों के छिनने पर आधारित व्यवस्था व इस व्यवस्था से जुड़े सांस्कृतिक, सामाजिक व पर्यावरणीय अन्यायों को चुनौती दी। इस निरंतरता से चले संघर्ष के कारण सरकार को इस क्षेत्र के लिए अपनी कुछ योजनाओं को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण असर यह हुआ कि क्षेत्र के अनेक गांवों में इन प्रयासों ने स्व–निर्धारण व स्व–शासन के एक मजबूत आंदोलन का रूप ले लिया। यह आदिवासी सांस्कृतिक पहचान तथा भूमि व संसाधनों पर स्थानीय समुदाय के नियंत्रण पर आधारित था। मेंधा में भी यही स्थिति थी।

मेंधा में आए बदलाव का प्रेरक संदेश है कि कमजोर लगने वाला छोटा आदिवासी गांव सार्थक प्रयासों से कितना सशक्त हो सकता है। कुछ दशक पहले तक बाहरी लोग आते थे तो यहां के गांववासी भागकर वन में छिप जाते थे। आज यह स्थिति है कि किसी बड़ी प्रशासनिक ताकत द्वारा भी गांववासियों की पूर्व जानकारी–भरी सहमति के बिना गांव में कोई कार्य नहीं हो सकता है। यह राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक चुनौतियों का सामना ऐसी निर्णय प्रक्रिया से करने की कहानी है जो परस्पर सम्मान, समता, अहिंसा और पारदर्शिता पर आधारित है। इन चुनौतियों का सामना गांववासियों ने आंतरिक व बाहरी दोनों स्तरों पर किया। आंतरिक स्तर पर गहरी सोच–समझ पर आधारित विमर्श हुआ। बाहरी स्तर पर कभी विमर्श हुआ, कभी संभव हो तो सहयोग हुआ, जहां जरूरत पड़ी वहां अहिंसक प्रतिरोध हुआ। अपने प्रतिरोध से इस गांव ने आधिपत्य की मान्यताओं पर आधारित कानूनों और नीतियों पर सवाल उठाए, उन्हें चुनौती दी व उनमें बदलाव के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। गढ़चिरोली जिले में मेंधा अब उन तीस से अधिक ग्राम सभाओं का हिस्सा है जो राजनीतिक व आर्थिक दबाव के समूह के रूप में प्रयासरत हैं।

मेंधा के संघर्ष ने भारत के ऐसे ही हजारों वन–निर्भर गांवों व समुदायों के जीवन को प्रभावित किया है। ऐसे अनेक गांवों के लिए, सरकारी व गैर–सरकारी एजेंसियों के लिए मेंधा अनौपचारिक शिक्षा का एक केंद्र बन गया है। देश से सैंकड़ों लोग यहां आते हैं व मेंधा के प्रयोगों तथा अनुभवों से सीखते हैं। पर मेंधा में संघर्ष के मुख्य कार्यकर्ता मानते हैं कि ऐसी किसी भी पहल को दूसरे स्थान पर इसी रूप में दोहराया नहीं जा सकता है क्योंकि हर स्थान की स्थितियां, संदर्भ, लोग भिन्न होते हैं। हां, मेंधा जैसी पहल से अन्य संघर्ष महत्त्वपूर्ण सबक ले सकते हैं व फिर अपनी स्थिति के अनुकूल अपने प्रयास आगे बढ़ा सकते हैं।

इस केस स्टडी में मेंधा की पहल के संघर्ष, संदर्भ व विकल्पों का व इन प्रयासों के परिणाम का विश्लेषण है। इस अध्ययन का मूल मुद्दा यह है कि मेंधा कैसे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक शोषण व अलगाव से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सशक्तीकरण की ओर बढ़ा। अध्ययन ने बताया है कि यह अनेक आपसी संबंधित प्रक्रियाओं, व्यापक क्षेत्रीय आंदोलन के असर, अनेक राजनीतिक विचारधाराओं व कार्यकर्ताओं के मिलन से संभव हुआ। इसके मूल में गांव के लोगों की शोषण की व्यवस्था से बाहर निकलने की गहरी इच्छा थी। आंतरिक और बाहरी दोनों स्तर पर मेंधा में बदलाव आ सका व यहां के लोगों ने पर्यावरणीय, सामाजिक व आजीविका की सुरक्षा, आर्थिक आजादी व राजनीतिक सक्षमता प्राप्त की।

अध्ययन के पहले भाग में संघर्ष की पृष्ठभूमि बताई गई है। इसके बाद समयानुसार विभिन्न संघर्षों के बारे में बताया गया है व फिर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। गांव में आए बदलावों के बारे में बताने के साथ इसे राजनीतिक व प्रशासनिक स्थिति व राज्य से संबंध के व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। निष्कर्ष में जिले में इस आंदोलन के आरंभ की स्थिति की तुलना आज की स्थिति से की गई है, जबकि वन अधिकारों को मान्यता मिल चुकी है पर साथ में वही वन खनन के लिए लीज पर दिए जा रहे हैं। अंत में भविष्य के बारे में कुछ सवाल उठाए गए हैं।

पृष्ठभूमि

औपनिवेशिक वन नीतियां व जबरदस्ती से किया गया विस्थापन

मेंधा को जिन संघर्षों से गुजरना पड़ा वह उन सैंकड़ों समुदायों के व्यापक संघर्ष का हिस्सा हैं जो संसाधनों संबंधी राज्य, कारपोरेट क्षेत्र व गांव समुदायों के अलग–अलग दृष्टिकोण से जगह–जगह उत्पन्न हो रहे हैं। गढ़चिरोली जिले के कुल क्षेत्रफल का 76 प्रतिशत हिस्सा वन है। इनमें से अधिकतर घने वन हैं और लकड़ी, बांस व अन्य वन उपज की दृष्टि से समृद्ध हैं। राज्य का 85 प्रतिशत बांस गढ़चिरोली जिले से ही प्राप्त होता हे। कुछ समय पहले तक इन वनों का राज्य के वन–विभाग द्वारा बहुत व्यापारिक दोहन होता था। यह अधिकतर दोहन विभिन्न उद्योगों को दी गई लीज के माध्यम से होता था। उदाहरण के लिए वर्ष 1968 से अधिकांश बांस के वन बल्लरपुर उद्योग लिमिटेड को लीज पर दिए जाते थे। यह कागज बनाने की कंपनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में चिह्नित की गई है। उसे जो लीज दी जाती थी उसमे मेंधा के वन भी शामिल थे। इस संसाधन राजनीति की जड़ें औपनिवेशिक राज में हैं व उसके द्वारा राज्य के आर्थिक हितों के लिए सामान्य संपदा संसाधनों का अधिग्रहण करने में है।

ऐतिहासिक स्तर पर देखें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय वन अधिनियम बनाकर वर्ष 1865 में भारतीय वन अधिग्रहण कर लिए व इनके प्रबंधन के लिए नौकरशाही स्थापित की। औपनिवेशिक हित मूलतः दोहन व व्यापारिक उपयोग से जुड़े थे। स्थानीय वन आवश्यकताओं को तो महज एक समस्या या रुकावट माना जाता था। स्थानीय परंपरागत उपयोगों को अनेक स्थानों पर समाप्त कर दिया गया या फीस के बदले में कुछ विशेष उपयोग की व्यवस्था की गई। (गुहा 1994)

गढ़चिरोली जिले में भी वनों का अधिग्रहण तो ब्रिटिश सरकार ने कर लिया पर यहां इनका प्रबंधन स्थानीय जमींदारों के पास ही छोड़ दिया। आदिवासियों का जीवन बहुत नजदीकी तौर पर वनों से जुड़ा था। चूंकि जमींदार भी आदिवासी ही थे, अतः आदिवासियों के वन उपयोग पर बहुत रोक नहीं लगी, हालांकि कभी–कभी इस उपयोग के लिए उनसे बेगार ली जाती थी (पैसे के बिना की मजदूरी)।

जमींदारी की समाप्ति के बाद वर्ष 1951 में यह वन क्षेत्र वन–विभाग को सौंप दिए गए। शीघ्र की इन वनों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत संरक्षित (प्रोटेक्टेड) वन घोषित कर दिया गया। इसका अर्थ यह था कि वनों का नियंत्रण एक केंद्रीयकृत वन नौकरशाही के हाथ में होगा पर स्थानीय लोग गुजर–बसर के लिए वन–संसाधन प्राप्त कर सकेंगे। इसी समय स्थानीय लोगों के परंपरागत हकों को तय करने का कार्य सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने वर्ष 1951–56 के बीच किया। वर्ष 1956 में सभी गांवों के अधिकारों का 'निस्तार पत्रक' जारी हुआ। केन्द्रीय प्रान्त व बरार की सरकार ने यहां जैसे सामूहिक अधिकारों के विस्तृत पत्रक विभिन्न गांवों के लिए तैयार किए वैसा कार्य देश में बहुत कम हुआ है। पर यह पत्रक गांव को न देकर सबसे निकट के भू राजस्व कार्यालय में रखे गए। जब वर्ष 1960 में महाराष्ट्र राज्य बना तो इन अधिकारों को इस राज्य सरकार की भी कानूनी मान्यता मिली (पाठक व गौर, – ब्रूमे 2001)।

वर्ष 1959 में भारतीय सरकार ने केन्द्रीय प्रान्त व बरार के वनों के बड़े हिस्से (गढ़चिरोली सहित) को रिजर्वड या आरक्षित वन घोषित कर दिया। आरक्षित वनों में स्थानीय लोगों के वन संसाधन उपयोग पर बहुत रोक लग जाती है। इस घोषणा की प्रक्रिया में अधिकारों की सैटलमैंट की जाती है, पर प्रायः बहुत कम अधिकार स्वीकृत होते हैं व होते भी हैं तो टैक्स भुगतान के बाद। इस प्रक्रिया में सरकारी कार्यालयों में बंद निस्तार पत्रकों को सरकार भूलने लगी व लोगों की याद से भी यह पत्रक धीरे–धीरे निकलने लगे। इन्हें उपेक्षित कर आरक्षित वनों की तरह ही प्रबंधन होने लगा, हालांकि कानूनी तौर पर आरक्षित वनों की घोषणा वर्ष 1992 में ही हुई।

इन अधिकारों को कम करने वाली, लोगों की उपेक्षा कर ऊपर से नीचे आदेश भेजने वाली नीतियों का प्रतिकूल असर जिन सैंकड़ों गांवों पर हुआ उनमें मेंधा भी था। उसके परंपरागत वन के 1800 एकड़ का बड़ा भाग प्रस्तावित आरक्षित वन में आ गया। अतः वन–विभाग वन में प्रवेश के लिए पास जारी करने लगा पर पहले की तुलना में एक बड़ा बदलाव यह आया कि टैक्स देने पर ही अब पास मिलता था। किसी भी परिवार की जरूरतों के लिए वन में जाना जरूरी था व जो टैक्स मांगे जा रहे थे वे इन परिवारों की देय क्षमता से बाहर थे। अतः स्थानीय वन अधिकारियों को छोटी–मोटी रिश्वत देकर वन में प्रवेश एक सामान्य प्रवृत्ति बनने लगी। यह प्रचलन हुआ कि फसल का

एक हिस्सा (खलदा) सीधे वन–विभाग के कार्यालय में पहुंचाना था व इसे विभिन्न कर्मचारी व अधिकारी बांट लेते थे। इसके अतिरिक्त समय–समय पर मुर्गा, शराब, एकत्रित वन–उपज भी देने पड़ते थे। यह समय बहुत कठिनाई और अपमान भरा था। रिश्वत देकर भी लोग वन कर्मचारियों की मनमानी सहने को मजबूर थे।

वन नीति व कानून में बड़ा बदलाव

भारत के अनेक क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के अन्यायपूर्ण वन नीतियों व कानूनों के विरुद्ध संघर्ष के बाद भारतीय सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण कानून वर्ष 2006 में बनाया – अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन आवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 जिसे संक्षेप में वन अधिकार कानून भी कहा जाता है। यह कानून इस मामले में क्रान्तिकारी है कि यह औपनिवेशिक काल व उसके बाद के समय में वन आवासी समुदायों से हुए ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करता है व यह घोषित करता है कि समुदायों के उनके परंपरागत वनों में अधिकार पहले से तय हैं, अब तो केवल रिकार्ड तैयार करने की प्रक्रिया पूरी करनी है। ऐसे 14 अधिकारों को स्वीकार किया गया है जैसे कि ऐसी जोती जा रही भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार जिसके अभी कानूनी अधिकार नहीं हैं, व वनों के उपयोग संबंधी सामुदायिक अधिकार। इस कानून के अंतर्गत ग्राम सभाएं भी अपने परंपरागत वनों (समुदाय वन संसाधनों) के उपयोग, प्रबंधन व संरक्षण के अधिकार को व उन्हें बाहरी व आंतरिक क्षति या खतरे से बचाने के अधिकार को प्राप्त कर सकती हैं। इस कानून में वनों के अन्य उपयोग से पहले सामुदायिक वन संसाधनों व सामुदायिक वन संसाधनों के सामुदायिक अधिकारों की रक्षा के लिए ग्राम सभा की स्वीकार्यता प्राप्त करने की भी व्यवस्था है। इस कानून के इन विभिन्न प्रावधानों में वन प्रबंधन व संरक्षण व्यवस्थाओं को लोकतांत्रिक बनाने की क्षमता है जिससे देश के 20 करोड़ वन–निर्भर लोगों को सहायता मिल सकती है। कुछ ग्राम सभाओं ने (कभी सफलता से तो कभी उतनी सफलता से नहीं) इस कानूनों के प्रावधानों का उपयोग कर अपने परंपरागत वनों को खनन या अन्य दोहन उपयोगों के लिए देने को कानूनी तौर पर चुनौती दी है। इस कारण ही इस अधिनियम का क्रियान्वयन बहुत कठिन सिद्ध हुआ है। वर्ष 2006 में यह कानून बनने के एक दशक बाद इसका 3 प्रतिशत संभावित लाभ ही प्राप्त हो सका है। इसके महत्त्वपूर्ण बदलाव लाने वाले प्रावधानों के लिए प्रशासनिक व राजनीतिक समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है। केवल उन क्षेत्रों में बेहतर क्रियान्वयन हो सका है जहां स्थानीय वन आबादी समुदायों को जन आंदोलनों ने संगठित किया है, या जहां इसके लिए कुछ संस्थाओं व अधिकारियों का सक्रिय सहयोग रहा है।

महाराष्ट्र में वन अधिकार कानून के दस वर्ष के क्रियान्वयन पर एक रिपोर्ट (महाराष्ट्र सी एफ आर – एल ए, 2017) से पता चलता है कि महाराष्ट्र इस कानून के क्रियान्वयन में आगे रहने वाला राज्य है, जहां सामुदायिक वन अधिकारों की न्यूनतम संभावना के 20 प्रतिशत को स्वीकृति मिल गई है। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, पर इनमें से केवल एक जिले गढ़चिरोली में ऐसी 60 प्रतिशत स्वीकृति प्राप्त हुई है। मार्च 2017 तक शासन व प्रबंधन अधिकार 1355 गांवों को हस्तांतरित हो गए थे जिससे जिले का 433,995 हैक्टेयर वन क्षेत्र कवर होता है। गढ़चिरोली में इस कानून की सफलता के कई कारण रहे हैं – एक मजबूत जन–आंदोलन, एक जिले स्तर का स्टडी सर्कल जो दावा (क्लेम) दाखिल करने की प्रक्रिया में सहायता देता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायक भूमिका व कभी–कभी जिला प्रशासन की भी सहयोगी भूमिका। स्टडी सर्कल ने उपेक्षित निस्तार पत्रकों को गांवों तक पहुंचाया जिससे उनके अधिकारों को कानूनी मजबूती मिली। इसी तरह सर्कल ने अन्य सहायक सरकारी रिकार्ड भी गांववासियों को उपलब्ध करवाए। इस संदर्भ में मेंधा गांव विशेष तौर पर एक प्रेरक उदाहरण के रूप में सामने आया। सबसे पहले देश में सामुदायिक वन अधिकार यहीं स्वीकृत हुए। इसके बाद तो जिले व देश में सैंकड़ों गांवों में अधिकार स्वीकृत हुए। अधिकारों को क्लेम करने व उनका उपयोग करने में मेंधा के अनुभवों से वन कानूनों व नियमों को बेहतर करने में भी योगदान मिला।

क्षेत्रीय व स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध व बदलाव

वैसे तो यहां के आदिवासी समुदाय पहले ही अन्यायपूर्ण वन–नीति से परेशान थे, पर 1980 के दशक के मध्य में जब सरकार ने कई तथाकथित 'विकास' योजनाओं की घोषणा की तो उनकी चिंताएं और बढ़ गईं। वनों का व्यापारिक दोहन जारी रखने के अतिरिक्त यह कहा गया कि मुख्य रूप से इन्द्रावती नदी पर 17–18 पनबिजली बांध बनाए जाएंगे। यह नदी जिले के दक्षिण क्षेत्र में बहती है। इस कारण आदिवासियों के बहुत बड़े स्तर के विस्थापन का खतरा उत्पन्न हो गया। अतः इसके विरोध में बहुत सी जन–सभाओं का आयोजन किया गया।

गढ़चिरोली के इस जंगल बचाओ मानव बचाओ आंदोलन ने विकास के मॉडल के बारे में अनेक सवाल उठाए। इन जन सभाओं में लोगों ने जो नारे लगाए उनमें उनकी विचार धारा व्यक्त होती थी – 'जंगल जीने का आधार', 'जंगल कटेंगे हम कटेंगे, जंगल बचेंगे हम बचेंगे', 'पानी चाहिए बांध नहीं, कुंआ चहिए मृत्यु नहीं'। इन बांधों से प्रभावित होने वाले लोगों के अतिरिक्त इन जन सभाओं से बाहर से भी बहुत से लोग

अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए आए व अन्यायपूर्ण विकास के मॉडल का विरोध करने आए। राजनीतिक व सामाजिक स्तर पर महत्त्वपूर्ण माने जाने वाले अनेक व्यक्तियों का सहयोग इस आंदोलन को मिला। इनमें कुछ व्यक्ति हैं – लालश्याम शाह महाराज (यहां के पूर्व जमींदार), डा.बी.डी.शर्मा – एक विख्यात सरकारी अधिकारी, अनुसूचित जातियों व जन–जातियों के राष्ट्रीय आयोग के आयुक्त, आदिवासी अधिकारों के कार्यकर्ता, बाबा आमटे – विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, गांधीवादी कार्यकर्ता सुन्दरलाल बहुगुणा – विख्यात सामाजिक, गांधीवादी कार्यकर्ता सर्मथन देने वालों में गांधीवादी, समाजवादी व वामपंथी सोच के कार्यकर्ता थे। इन विचारधाराओं का गढ़चिरोली आंदोलन पर असर रहा।

गढ़चिरोली आंदोलन ने सरकार को जन–शक्ति का अहसास करवाया और अंत में बांध परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया। किन्तु वनों पर वन–विभाग का नियंत्रण बना रहा और वनों की लीज व्यापारिक दोहन के लिए दी जाती रही।

मेंधा में स्व–राज व स्व–निर्धारण की ओर

मेंधा से गांववासियों के एक समूह (जिनमें देवाजी तोफा भी शामिल थे) ने जंगल बचाओ मानव बचाओ आंदोलन की सभी रैलियों व मीटिंगों में भाग लिया। एक जुटता व्यक्त करने के अतिरिक्त उनका उद्देश्य अपनी समस्याओं (परंपरागत वन पर कम होती पंहुच व बढ़ता उत्पीड़न) का समाधान प्राप्त करना भी था। इससे पहले वे गांव में विमर्श करने के अतिरिक्त स्थानीय राजनीतिक व सामाजिक नेताओं के पास भी सहायता के लिए जा चुके थे। उनसे किए वायदे तो पूरे नहीं हुए और समस्याएं हकीकत में बढ़ती जा रही थीं। पड़ौसी गांवों हेती और देवपुर द्वारा आयोजित मीटिंग में देवाजी तोफा की मुलाकात मोहन हीराबाई हीरालाल से हुई। वह गढ़चिरोली आंदोलन के एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। मोहन और उनकी पत्नी सविता ने आंदोलन के विचारों को मेंधा तक पहुंचाने में व बाद में स्वराज की ओर के संघर्ष में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मोहन और सविता महात्मा गांधी के हिन्द–स्वराज व विनोभा भावे के सर्वयतन (रूल बाय ऑल) के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे छात्रों के सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे थे व मौजूदा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की कमजोरियों से परिचित थे। जनसाधारण कमजोर हो रहे हैं व उनके शोषण की संभावना बढ़ रही है। वास्तविक शक्ति तो लोगों के पास होनी चाहिए, पर वे इसे अपने प्रतिनिधियों को सौंप देते हैं जिससे शक्ति का केन्द्रीकरण हो रहा है। निर्णय लेने की क्षमता का समुदायों के सभी सदस्यों तक पंहुचना वे आवश्यक मानते थे।

- स्थानीय स्थितियों में विशेषकर वनों व वन संबंधी निर्णयों पर लोगों का नियंत्रण जरूरी था।
- जन व वन से अन्याय शक्ति के केंद्रीयकरण के कारण हो रहा था। इस केन्द्रीयकरण में संरचनात्मक हिंसा निहित है। यह हिंसा दूर करने के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र या निर्णय प्रक्रियाओं में सबको शामिल करना जरूरी है।

राजधानी में बैठे निर्णयकर्ता जन–हित का ध्यान नहीं रखते थे। मौजूदा चिंताजनक स्थिति के आंतरिक व बाहरी दोनों कारण थे। आंतरिक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कमजोरियों को दूर करने के लिए भी विमर्श जरूरी था ताकि टिकाऊ व व्यापक बदलाव की राह प्रशस्त हो सके।

इस तरह के व्यापक बदलाव की बेहतर समझ बनाने के लिए मोहन व सविता ने जिले के 65 गांवों का दौरा किया व इनमें से 22 गांवों ने इस विषय पर भागेदारी के अध्ययन के लिए सहमति दी। इन गांवों में मेंधा भी था। देवाजी स्वयं भी इस बदलाव की प्रक्रिया को समझने में नजदीकी से जुडे थे और मोहन व सविता के साथ सभी गांवों में गए थे। वे ऐसा गांव खोज रहे थे जो इस तरह की एक्शन रिसर्च से जुड़ना चाहे व जिसमें ऐसे बदलाव के अनुकूल कुछ तत्त्व पहले से मौजूद हों।

मेंधा को इस अध्ययन में शामिल करने की एक वजह यहां की परंपरागत न्याय व्यवस्था थी। गोंड समुदाय की परंपरागत न्याय व्यवस्था में किसी झगड़े पर निर्णय सभी सदस्यों (झगड़े के दोनों पक्षों सहित) की भागेदारी से लिया जाता है। झगड़े सुलझाने में मेंधा में अभी तक यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी पर अन्य निर्णय परंपरागत पुरुष नेतृत्व द्वारा लिए जाते थे। सविता व मोहन के निवेदन पर उन्हें मेंधा में विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने यहां 'स्टडी सर्कल डिसकशन' आरंभ किया जिसमें समुदाय के कोई भी सदस्य भाग ले सकते थे। इस तरह मेंधा में सभी विषयों पर खुले में, विस्तार से, ईमानदारी से विमर्श करने व सर्वमान्यता से निर्णय लेने की प्रवृत्ति मजबूत हुई जिसने सामूहिक निर्णय लेने में व स्वराज की ओर जाने में सहायता की।

एक्शन रिसर्च का सर्वप्रथम उपयोग वन–जन संबंधों के सभी पक्ष समझने के लिए किया गया। गांववासियों ने इसमें जमकर भागेदारी की व वन तक पंहुच कम होने व वन कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न की समस्याओं को सामने रखा। इससे संबंधित सभी सवाल उठाए गए जैसे निस्तार अधिकारों का क्या हुआ, वनों पर वन–विभाग ही सब

निर्णय क्यों ले रहा है, वन विभाग है कौन, आदि।

आंतरिक कमजोरियों को समझने व दूर करने से सशक्तीकरण का आरंभ होता है

स्टडी सर्कल ने कुछ समय में समझ बनाई कि गांववासी पर्याप्त सशक्त नहीं थे। अशक्त होने के कारण हैं बाहरी अन्याय व आंतरिक कमजोरियाँ।

विमर्श से अशक्त होने के चार आंतरिक कारणों की समझ बनी –

> परंपरागत निर्णय प्रक्रिया में बुजुर्ग पुरुषों को लिया जाता था (अध्यक्षता गांव के पुजारी की रहती थी), जबकि युवाओं व महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था।

> महिलाओं को शामिल न करने का अर्थ था कि निर्णय प्रक्रिया गांव की 50 प्रतिशत बुद्धि, ज्ञान व समझ से वंचित रह जाती थी।

> पुरुषों में शराब के नशे से महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा बढ़ रही थी, जिससे संसाधन आधार कम हो रहा था व उचित निर्णय लेने की क्षमता में भी गिरावट आ रही थी,

> प्रशासनिक व कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी न होने के कारण भी निर्णय लेने में बाधा आ रही थी।

अशक्त होने के इन सभी कारणों को दूर करना आवश्यक समझा गया। स्टडी सर्कल के सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वनों में बेहतर पहुंच सुनिश्चित होने का अर्थ है कि निर्णय लेने का अधिकार व शक्ति बढ़ेंगे। इस शक्ति को बढ़ाने के लिए मजबूत संरचनात्मक व कानूनी व्यवस्थाओं के विरुद्ध लंबा व कठिन संघर्ष आवश्यक है। यह स्व–शक्तिकरण की प्रक्रिया है जो तभी पूरी हो सकती है जब महिलाएं भी इसका जरूरी हिस्सा हों।

महिलाओं के लिए शराब एक बड़ा मुद्दा

जब महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कहा गया तो सबसे पहले उन्होंने शराब के नशे का मुद्दा उठाया। महुआ से बनाई गई स्थानीय शराब को परंपरागत गोंड संस्कृति व रीति–रिवाजों का हिस्सा माना गया है। पर महिलाओं ने कहा कि अब शराब का उपभोग रीति–रिवाजों तक सीमित नहीं रह गया था अपितु इतना बढ़ गया था कि घरेलू हिंसा, गरीबी और महिलाओं की उपेक्षा की समस्याएं उत्पन्न कर रहा था। इस कारण लोग जानकारी भरे व असरदार निर्णय नहीं ले पा रहे थे। महिलाओं ने मांग रखी कि गांव में शराब के उत्पादन, बिक्री व उपभोग पर रोक लगाई जाए। इससे गांव के कई आपसी टकराव सामने आए व बाहरी ताकतों का असर भी स्पष्ट हुआ।

जो पुरुष शराब पीते थे या जो इसकी बिक्री से लाभ कमाते थे, वे निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागेदारी का विरोध करने लगे (कुछ हद तक यह आज तक हो रहा है), जो पहले से शक्तिशाली स्थिति में थे वे महिलाओं की उभरती भागेदारी अपनी स्थिति के लिए खतरा मानने लगे। इस स्थिति में 'शराब के समाज की भलाई पर असर' के बारे में चर्चा आयोजित की गई व शराब पीने वालों या इसकी बिक्री में लगे व्यक्तियों को इस चर्चा में विशेष तौर पर शामिल किया गया। ऐसे सवाल उठाए गए कि गांव में शराब का क्या असर है, इससे लाभ कौन कमाता है, इसका बच्चों, महिलाओं, परिवार पर क्या असर पड़ता है, शराब प्रतिबंधित करने का क्या असर होगा आदि।

कुछ लोगों ने कहा कि शराब समुदाय के रीति–रिवाज से जुड़ी है अतः प्रतिबंधित नहीं हो सकती है। इसपर आगे साल भर तक चली विस्तृत चर्चा में यह सामने आया कि इस समय शराब से बहुत क्षति हो रही है और रीति–रिवाजों का नाम लेकर इस क्षति के बावजूद शराब के उपभोग को जारी रखने का बहाना बनाया जा रहा है।

इस चर्चा के बाद ग्राम–सभा ने यह निर्णय लिए –

> गांव में शराब सामान्यतः नहीं बनाई जाएगी पर रीति–रिवाज के लिए केवल ग्राम–सभा की अनुमति प्राप्त कर थोड़ी सी बनाई जाएगी।

> शराब की बिक्री गांव में नहीं होगी।

> शराब गांव में केवल बुजुर्गों द्वारा रीति–रिवाज निभाने के लिए पी जाएगी (युवाओं में शराब बिल्कुल नहीं पी जाएगी)

> जो कोई बाहर से शराब पीकर आएगा तो हिंसा नहीं करेगा।

इन नियमों का उल्लंघन होने पर सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर पर सजा दी जाएगी। इस निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने से महिलाओं ने प्रोत्साहित होकर उनकी सहायता के लिए समूह बनाया जिन्हें शराब के कारण घरेलू हिंसा या उत्पीड़न सहना पड़ा हो। इस तरह महिलाओं के संगठन की शुरुआत गांव में हुई व महिलाएं गांव की सभी निर्णय प्रक्रियाओं व संघर्षों में भागेदारी करने लगीं।

गढ़चिरोली में जिला स्तर पर शराब–विरोधी आंदोलन

जब मेंधा में शराब पर यह बहस चल रही थी, गढ़चिरोली जिले में जगह–जगह से शराब के विरुद्ध आवाज उठने लगी व यह आवाज पड़ौसी राज्य आंध्र प्रदेश में भी पंहुच गई। यहां शराब से मुक्त जिले की मांग को सशक्तिकरण व विकास से जुड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया गया। जिले स्तर पर इस विषय की बेहतर समझ के लिए एक अध्ययन समूह बनाया गया। इस अध्ययन से शराब से हो रही अत्यधिक क्षति और स्पष्ट हुई। जिले की 150 ग्राम सभाओं ने शराब की खपत कम करने के लिए अपने–अपने नियम जारी किए। अंत में जिला प्रशासन ने शराब के व्यापक सामाजिक दुष्परिणामों को स्वीकार करते हुए रीति–रिवाजों व स्व–उपयोग के अतिरिक्त शराब के उपभोग पर रोक लगाई। जिले का अध्ययन कर पता लगाया गया कि 65 प्रतिशत लोगों ने शराब छोड़ दी है व उनके परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, उनके बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं व घरेलू हिंसा में बहुत कमी आई है। जिले के कई भागों में धीरे–धीरे शराब–विरोधी आंदोलन कमजोर पड़ गया, पर मेंधा में शराब का विरोध व प्रतिबंध मजबूत बना रहा।

एक राजनीतिक व विकास विचारधारा तैयार करना

इस विचारधारा को तैयार करने में जहां एक ओर गोंड समुदाय की परंपरागत जीवन पद्धति का असर रहा वहां दूसरी ओर महात्मा गांधी की हिंद स्वराज को मोहन ने जिस तरह सामने रखा उसका असर रहा। विनोभा भावे के सर्वयतन के सिद्धांत की भी चर्चा हुई। इस चर्चा में कहा गया कि वास्तविक लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सर्वयतन समझदारी, अच्छी क्षमता, नफरत व मोह से मुक्ति तथा सभी की भलाई पर आधारित होना चाहिए।

कुछ मूल सिद्धांत हैं –

- सभी का बहुआयामी व समान विकास
- राजनीतिक शक्ति का अधिकतम वितरण
- न्यूनतम शासन
- प्रशासन की सबसे सरल व्यवस्था
- न्यूनतम खर्च
- ज्ञान सब तक निर्बाध व निशुल्क पहुंचे

इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए 'विकास' व 'शासन' को परिभाषित करने व समझने पर व्यापक चर्चा हुई। इस विमर्श में इस तरह के सवाल उठाए गए – सरकार क्या है? विकास क्या है? क्या विकास सड़कों, स्कूलों व अस्पतालों का निर्माण है? कौन विकास करेगा व किस के लिए? गांववासियों को पता था कि मौजूदा स्थितियों में सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, व इसमें ग्रामीण विकास व संसाधनों पर नियंत्रण व उनके उपयोग के निर्णय भी हैं। सभी सरकार से सही कार्य की उम्मीद करते थे, पर गांव में किसी को भी नहीं पता था कि सरकार कौन है व क्या है। लोगों के सामूहिक अनुभव से यह पता चलता था कि सरकार लोगों की भलाई के लिए बहुत कम कार्य करती है। सरकारी अधिकारियों से संपर्क में उत्पीड़न, रिश्वत, छीना–छपटी के अनुभव अधिक रहे थे। गांववासी इस बारे में सवाल उठाने लगे कि अपने विकास के लिए वे सरकार का इंतजार क्यों करें, क्यों न वे स्वयं ही अपनी जरूरतों को परिभाषित करें व उन्हें पूरा करने का प्रयास करें।

व्यापक विमर्ष के बाद गांव समुदाय ने दो नारे तैयार किए – दिल्ली, मुम्बई मावा सरकार, मावा नाटे माटे सरकार (हमारे प्रतिनिधि दिल्ली व मुंबई की सरकार बनाते हैं और हम अपने गांव की सरकार हैं)। दूसरा नारा यह तैयार हुआ – जंगल नष्ट करके विकास नहीं, संस्कृति नष्ट करके सुधार नहीं। इन नारों में मेंधा की राजनीतिक व

ग्राम सभा, मेंधा

विकास विचारधारा संक्षिप्त रूप में प्रकट हुई। इन नारों से स्वराज की ओर बढ़ने व अपने वनों का नियंत्रण प्राप्त करने के संघर्ष की राह तैयार की।

सशक्तीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में ग्रामीण संस्थान

स्टडी सर्कल के विचार–विमर्श से कई सिद्धान्त उभर कर आए व मेंधा की निर्णय प्रक्रियाओं व संस्थानों का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बने – आपसी भागेदारी से ज्ञान अर्जन जिसमें नई व परंपरागत ज्ञान व्यवस्थाओं का मिलन हो, गांववासियों व बाहरी व्यक्तियों तत्वों का हस्तक्षेप न हो, सभी गांववासियों को सर्वमान्यता की निर्णय प्रक्रिया में समानता का स्थान मिलना, ग्राम सभा की देखरेख में अहिंसक कार्यवाहियों के लिए स्थान उपलब्ध रहना।

अभ्यास गत या स्टडी सर्कल

मेंधा के बदलाव में स्टडी सर्कल/अभ्यासगत/विमर्श समूहों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। वन व जन विषय पर स्टडी सर्कल 1987 से 1989 तक चला। इस विमर्श से निकले परिणाम गांव में स्व–राज के संघर्ष की बुनियाद बने।

इन समूहों में मोहन और सविता ने बाहरी दुनिया की, नए कानूनों और नीतियों की भी बहुत सी जानकारी देनी आरंभ की जिससे गांववासियों की चर्चा और समृद्ध हुई। गांव में आने वाले व्यक्तियों को भी स्थिति व जरूरत के अनुसार विमर्श का हिस्सा बनाया गया। बाहर से कुछ विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया। इस विमर्श से ग्रामसभा के विमर्श को भी नई व अधिक जानकारियों का लाभ मिला, व सरकारी अधिकारियों या गैर–सरकारी संस्थाओं से बातचीत में भी सहायता मिली।

ग्राम–सभा

ग्राम सभा गांव की मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है व प्रत्येक परिवार से इसमें न्यूनतम दो प्रतिनिधि आते हैं (एक पुरुष व एक महिला)। निर्णय एकमत से या सर्वमान्यता से लिए जाते हैं व अलिखित पर मजबूत सामाजिक मान्यताओं के आधार पर कार्यान्वित किए जाते हैं। ग्राम सभा के कई नियम हैं, जिनमें से कुछ लिखित हैं व इसके कार्यालय में रखे जाते हैं, पर सब नियम लिखित नहीं हैं। गांववासियों को लगता है सब कुछ लिख देने से कार्यवाही में लचीलापन नहीं रह जाता है। हर पूर्णिमा को 12 बजे के आसपास ग्राम–सभा की बैठक आरंभ होती है। वैसे गांववासी विभिन्न विषयों पर मिलते ही रहते हैं। और कोई बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा आने पर सब को जानकारी देकर ग्राम सभा की मीटिंग पहले भी की जा सकती है। ग्राम सभा में उपस्थिति अनिवार्य है क्योंकि गांववासी नियमित संवाद व जानकारी आधारित निर्णय प्रक्रिया को अपने सशक्तीकरण का हिस्सा मानते हैं। औसतन 75 प्रतिशत उपस्थिति ग्राम सभा में दर्ज होती है। ग्राम सभा का निर्धारित दिन समुदाय के लिए छुट्टी का दिन रखा जाता है। देवाजी को हाल के समय समन्वयक बनाया गया, पर प्रायः ग्राम सभा के कोई पदाधिकारी नहीं होते हैं व एक दिन की मीटिंग के लिए किसी को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। चर्चा रिकार्ड सावधानी से रखा जाता है।

ग्राम–सभा का एक कार्यालय है जहां गांव के सभी रिकार्ड रखे जाते हैं, मीटिंगों के रिकार्ड रखे जाते हैं, हिसाब–किताब रखा जाता है व ग्रामीण संगठन के अन्य कार्य किए जाते हैं। गांव से एक व्यक्ति को नियमित कार्यालय प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है व उसे ग्राम सभा द्वारा इस कार्य के लिए वेतन भी दिया जाता है।

ग्राम–सभा के नियम :–

- वृक्षों को काटना व उनकी मुख्य टहनियों को काटना प्रतिबंधित है।
- शराब उत्पादन व उपभोग प्रतिबंधित है। उल्लंघन होने पर जुर्माना लगता है। पर ग्राम–सभा की अनुमति से परंपरागत रीति–रिवाज के लिए शराब बनाई जा सकती है।
- ग्राम–सभा की अनुमति के बिना गांव में सरकारी एजेंसियां, ठेकेदार, एनजीओ कार्य नहीं कर सकते हैं।
- सभी गांववासी ग्राम प्रशासन के लिए अवैतनिक सहयोग करने के लिए अपेक्षित हैं।
- किसी व्यक्ति की कठिनाई समुदाय की कठिनाई मानी जाती है व समुदाय की कठिनाई व्यक्ति की कठिनाई मानी जाती है।
- गांव के सभी आंतरिक झगड़ों को ग्राम–सभा में सर्वमान्यता से सुलझाया जाता है। इनमें पुलिस व अदालत की दखलंदाजी को यथासंभसव रोकने का प्रयास होता है।
- सरकारी स्कीमों के लाभार्थियों का चुनाव ग्राम–सभा द्वारा सर्वमान्यता से होता है।
- कोई व्यक्ति चाहे तो किसी अधिकारी को रिश्वत दे सकता है, पर इसकी रसीद लेनी होगी या इतनी ही राशि ग्राम सभा में जमा करवानी होगी।
- सरकारी अधिकारी या अन्य बाहरी व्यक्ति गांव में बिना जानकारी दिए आ जाएं तो उनसे मिलना किसी गांववासी की मजबूरी नही है।

- श्रमदान का बोझ चंद व्यक्तियों पर नहीं पड़ना चाहिए, इसमें सबकी भागेदारी होनी चाहिए।
- सभी जीवों का जीने का समान हक है। मनुष्य को संसाधन उपयोग ऐसे करना चाहिए ताकि अन्य जीवों पर प्रतिकूल असर न हो।
- भूमि–स्वामित्व किसी का भी हो, इस पर या इसके नीचे के पानी पर सभी गांववासियों का समान हक है।
- सभी ग्राम सभा सदस्यों की 10 प्रतिशत आय गांव के बैंक खाते में सामूहिक उपयोग के लिए जमा करवाई जाएगी।
- फसल का 2.5 प्रतिशत हिस्सा गांव के अनाज बैंक में जमा करवाया जाएगा।

यदि ग्राम–सभा में किसी विषय पर सर्वमान्यता प्राप्त न हो तो निर्णय को स्थगित कर दिया जाता है। कोई निर्णय ले लिया गया है तो कोई सदस्य इसके पुनर्विचार के लिए कह सकता/सकती है। सर्वमान्यता की व्यवस्था यहां मेंधा में समुदाय की एकजुटता के कारण संभव है व यहां जाति–आधारित विषमताएं नहीं हैं। किसी सरकारी या गैर सरकारी आदेश से ऊपर ग्राम–सभा के निर्णय माने जाते हैं। बाहरी (सरकारी सहित) एजेंसियों को गांव में अपने कार्य या परियोजना के लिए ग्राम–सभा की स्वीकृति प्राप्त करनी होती हे।

उपसमितियों पर क्रियान्वयन

ग्राम–सभा के निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए कई उप–समितियां बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए वन सुरक्षा समिति, वन प्रबंधन समिति निर्णय को क्रियान्वित करती हैं। हाल में गांव के सभी सदस्य स्वयं सहायता समूहों में संगठित किए गए हैं। वे गांव के सामान्य संसाधनों की विभिन्न जिम्मेदारियों व अन्य जिम्मेदारियों को सामूहिक रूप से संभालते हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य छोटे समूह हैं जैसे कि पानी के लिए समूह या नरेगा के लिए समूह। ग्राम सभा के विभिन्न कार्य कभी–कभी पूरी तरह स्वैच्छिक होते हैं व सामान्यतः उनके लिए कार्य एक निश्चित दैनिक मजदूरी की दर तय होती है। जब साधन उपलब्ध न हों तब श्रमदान होता है। अनेक सामाजिक कार्य सामूहिक तौर पर किए जाते हैं जैसे गांव की सफाई, वन अग्नि को बुझाना, पशु चराना, वन रक्षा आदि।

स्व–शक्तिकरण व संस्थान

भारत में त्रि–स्तरीय संघीय शासन की व्यवस्था है – केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार व

पंचायती राज व्यवस्था। सबसे छोटी इकाई पंचायत है। गांव की जनसंख्या को देखते हुए पंचायत एक या अनेक गांवों की हो सकती है। छोटे–छोटे गांव हों तो विभिन्न गांवों के एक–दो प्रतिनिधि हों यह संभावना भी है। पंचायत पांच वर्ष के लिए चुनी जाती हैं, उसके शीर्ष पर सरपंच होता है। एक सरकारी कर्मचारी सेक्रेटरी के रूप में पंचायत में होता है। वर्ष में आठ बार सभी व्यस्क गांववासियों की मीटिंग या ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए।

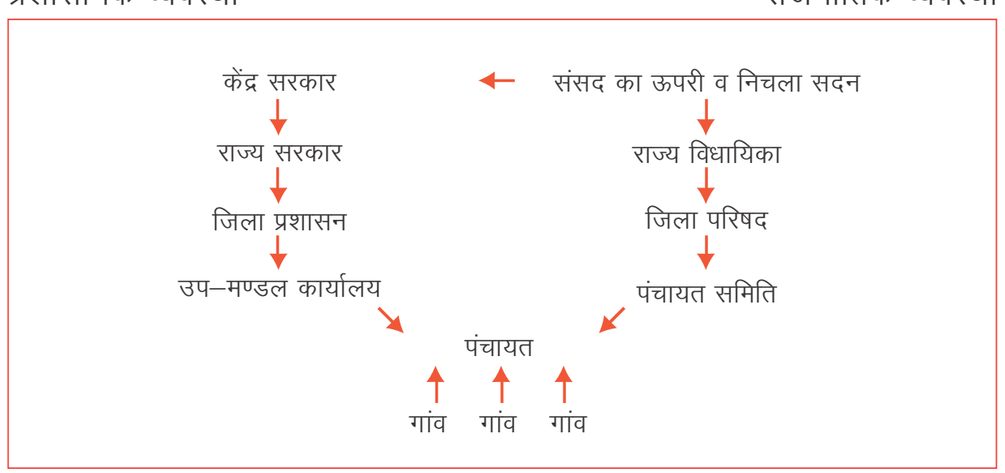

इस व्यवस्था की एक आलोचना यह रही है कि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, गांव समुदायों को सशक्त नहीं करती है। ग्राम सभा की मीटिंगों में बहुत कम गांववासी आते हैं व गहराई से उनके द्वारा महत्त्वपूर्ण विषयों की चर्चा भी नहीं होती है। कई बार सरकारी ढांचे में एक अन्य भ्रष्ट विस्तार के रूप में ही पंचायत की भूमिका रह जाती है। राजनीतिक दल भी पंचायती चुनावों को अपने हितों से जोड़ते हैं। इससे गांवों में राजनीतिक विभाजन होता है। गुटबंदी बढ़ती है, गांव की भलाई के कार्यों पर सबकी एक राय नहीं बन सकती है।

सरकारी रिकार्ड में मेंधा दो पड़ौसी गांवों के साथ लेखा पंचायत में दर्ज है। इस पंचायत में आने वाले तीन गांव मिलकर पांच सदस्य चुनते हैं। सामान्यतः यह निर्णय की पहली इकाई होती है। मेंधा में तो पहली इकाई यहां की ग्राम सभा है। यहां सर्वमान्यता से (चुनाव से नहीं) यहां के पंचायत प्रतिनिधि चुने जाते हैं। यह परंपरा से जुड़ा तरीका क्षेत्र के अनेक गोंड गांवों में अपनाया जाता है ताकि गांव समुदाय पार्टी या गुट के आधार पर बंट न जाए।

मेंधा में अपनी ग्राम सभा के निर्णयों का पालन सरकारी स्तर की पंचायत के निर्णयों से अधिक महत्त्वपूर्ण है। आरंभ में कुछ टकराव तो हुआ था, लेकिन इन संस्थानों में अभी कोई बड़ा मतभेद उत्पन्न नहीं हुआ है व पंचायत से महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर ग्रामसभा का सहयोग बना रहा है। समय बीतने के साथ पंचायत ने मेंधा के लोगों के लिए यहां की ग्राम–सभा का महत्त्व स्वीकार कर लिया है। आंतरिक व बाहरी स्तर पर ग्राम–सभा ने अनौपचारिक पर सशक्त संस्थान का स्थान प्राप्त कर लिया है। ग्राम–सभा ने प्रायः इस संदर्भ में पंचायत से समन्वय बनाया है ताकि राज्य की एजेंसियों से प्राप्त होने वाले लाभ पंचायत के माध्यम से प्राप्त हों व इनके गांव में वितरण को पारदर्शी व समता–आधारित बनाने के लिए यह ग्राम–सभा की देख–रेख में हो।

ग्राम प्रशासन व कानूनी दस्तावेजों पर नियंत्रण

इस बारे में सक्रियता बढ़ा कर ग्राम सभा के कार्यालय में गांव के जरूरी सभी कानूनी दस्तावेज, निस्तार के नक्शे आदि प्राप्त किए गए क्योंकि इनके अभाव में ग्राम सभा अशक्त होती है। राजस्व व वन–अधिकारियों को गांव में बुलाकर उचित सीमांकन आदि में सहयोग के लिए कहा गया। यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। यहां से प्रेरणा प्राप्त कर अन्य गांव भी निस्तार पत्रक प्राप्त करने के लिए सक्रिय हुए।

जब यह स्पष्ट हुआ कि अधिकारों संबंधी जरूरी दस्तावेजों के अभाव में इन अधिकारों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ग्राम–सभा ने अपना कार्यालय स्थापित किया व विभिन्न ग्रामीण, राजस्व व निस्तार नक्शों सहित अनेक जरूरी जानकारियों व दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रियाएं आरंभ की। इसमें आरंभ में प्रशासन का विरोध सहना पड़ा पर बाद में सफलता मिली। यह गांववासियों की एक महत्त्वपूर्ण सफलता थी जो उन्होंने पारदर्शी, जानकारी – आधारित व अहिंसक सामूहिक कार्यवाही से प्राप्त की। वन अधिकार कानून के अन्तर्गत किए गए दावों में यह दस्तावेज बहुत उपयोगी सिद्ध हुए।

स्व–राज की दिशा में दूसरा महत्त्वपूर्ण कदम यह था कि किसी भी बाहरी एजेंसी (चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो, राज्य सरकार, ठेकेदार या एन.जी.ओ.) पर गांव की जानकारी भरी अनुमति के बिना गांव में कोई कार्यवाही करने पर रोक लगाने की घोषणा की गई।

वनों पर नियंत्रण व घोटुल पुनर्निर्माण से सांस्कृतिक पहचान की अभियक्ति

अपने निस्तार वनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के साथ मेंधा गांव ने घोषणा की कि वे सरकारी अधिकारियों को रिश्वत नहीं देंगे व अपने वनों का व्यापारिक दोहन नहीं होने देंगे। मेंधा की घोषणा का शक्ति के सामान्य केन्द्रों में व विशेषकर वन–विभाग द्वारा

विरोध हुआ। वन–विभाग मेंधा के वनों के दोहन की प्रक्रिया में था व इसके लिए बाहर से मजदूर लाए गए थे। मेंधा गांव ने इस दोहन की रोकने का निर्णय लिया। गांव के सभी लोग शान्त भाव से वन में गए और जहां पेड़ गिराए जा रहे थे उस क्षेत्र को घेर लिया। उन्होंने मजदूरों को कहा कि पेड़ काटना रोक दो। किसी हिंसा का उपयोग गांववासियों ने नहीं किया। उन्होंने वन–विभाग को कहा कि दोहन रोक दो और लौट जाओ। पुलिस बुला ली गई और गांववासियों को अगले कुछ दिनों में कई धमकियां दी गई। पर गांववासी अपने निर्णय पर अडिग रहे। जब पुलिस गांव में आ गई तो गांववासियों ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया। उन्हें समझाया कि वे क्या कर रहे हैं व क्यों। अंत में वन–विभाग ने कार्य रोक दिया। यह वन–विभाग से द्वंद्व जारी रहा व तेज होता गया।

गांववासियों का अगला कदम था टीक की लकड़ी प्राप्त कर घोटुल नाम की परंपरागत संरचना का पुनर्निर्माण करना। प्रायः आदिवासी संस्कृतियों को पिछड़ा मानकर उन्हें अन्य धर्मों के प्रभाव में लाने के प्रयास सुधार के नाम पर हुए हैं। इस दबाव में या अन्य तरह से आदिवासी समुदाय ने बाहरी सांस्कृतिक प्रभाव को अपनाया है व अपने कुछ महत्त्वपूर्ण परंपरागत सांस्कृतिक संदर्भ भुला दिए हैं। स्टडी सर्कल के विमर्श से घोटुल के सांस्कृतिक महत्त्व की समझ मेंधा में नए सिरे से बनाई गई।

घोटुल गोंड संस्कृति का भाग रहा था जिससे ज्ञान, संस्कृति, विचारों का आदान–प्रदान होता था। घोटुल एक झोंपड़ी है जिसमें अविवाहित युवा लड़के–लड़कियां एकत्र होते हैं, बातचीत करते हैं, सीखते हैं, नाचते–गाते हैं व सो जाते हैं। इसमें परंपरागत तौर पर एक बुजुर्ग की भी मौजूदगी रहती थी। इसके माध्यम से पंरपरागत ज्ञान का प्रवाह होता था। स्वच्छता, अनुशासन, मेहनत, शरीर की देखरेख, आत्म–सम्मान, बुजुर्गों के सम्मान, समुदाय की सेवा की सीख को महत्त्व दिया जाता था। स्वतंत्रता और प्रसन्नता को भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि से ऊपर रखना, एकता, मित्रता व सहानुभूति को महत्त्व देना, मानवीय प्रेम और उसकी अभिव्यक्ति को प्रतिष्ठित करना यह सब घोटुल की संस्कृति से जुड़ा था। घोटुल की इस समझ के साथ इसे सांस्कृतिक पहचान व संप्रभुता से जोड़ा गया व स्वराज की राह में इसे स्थान दिया गया।

हाल के समय में घोटुल के प्रचलन में कमी आई थी व मेंधा के लोगों ने इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हुए इसे फिर बनाने के लिए अपने निस्तार हकों का उपयोग करते हुए वनों से टीक की लकड़ी प्राप्त करने का निर्णय लिया। पर वन

विभाग टीक लेना कानून–उल्लंघन मानता था। वन–विभाग ने पुलिस भेजी तो गांववासियों ने शांतिपूर्ण ढंग से लकड़ी को घेर लिया। महिलाओं ने पुलिस को कहा गांववासी कोई हिंसा नहीं करेंगे पर पुलिस लकड़ी ले गई तो फिर इसे वन से लाएंगे क्योंकि इसका अधिकार उन्हें है। वन–विभाग लकड़ी ले गया। गांववासी फिर लकड़ी लाए व घोटुल बनाया। वन–विभाग ने इसे नष्ट कर दिया। इससे आसपास के अनेक गांवों में रोष फैल गया व 12 गांवों के लोगों ने टीक लाकर घोटुल बनाए। वन–विभाग ने अब इन्हें नष्ट नहीं किया। मेंधा में घोटुल बना हुआ है पर परंपरा की तरह इसका सामाजिक–सांस्कृतिक उपयोग नहीं हो रहा है।

इसके साथ वनों के आदिवासी समुदाय के लिए वन की रक्षा के महत्त्व पर चर्चा चलती रही। ग्राम सभा ने अपने सदस्यों द्वारा वन के अनियमित उपयोग पर रोक लगाई व गहरे विमर्श के बाद वनों की रक्षा के लिए कई नियम बनाए।

इनमें से कुछ यह थे –

- गांव के लोगों की घरेलू जरूरतों को आसपास के वनों से पूरा किया जाएगा। इसके लिए कोई फीस या रिश्वत नहीं दी जाएगी।
- घरेलू उपयोग के लिए प्राप्त वन उत्पाद का नियमन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।
- वन उपज केवल घरेलू उपयोग के लिए व आजीविका के लिए प्राप्त की जाएगी किसी बड़े व्यापारिक उपयोग के लिए नहीं।
- किसी बाहरी व्यक्ति या सरकारी अधिकारी को गांव में ग्राम सभा की अनुमति के बिना कार्य करने पर रोक है।
- बाहरी व्यक्तियों को कोई संसाधन यहां से प्राप्त करने के लिए गांव सभा से अनुमति लेनी होगी, अन्यथा उन पर जुर्माना लगेगा।
- स्वैच्छिक तौर पर गांव के दो व्यक्ति प्रतिदिन वन की चौकीदारी करेंगे।

हालांकि कानूनी तौर पर वन इस समय भी वन विभाग के कार्य क्षेत्र में थे पर गांव सभा का उनपर व्यवहारिक नियंत्रण था। गांववासियों ने बाहरी तत्त्वों, वन–विभाग व पेपर मिल द्वारा वनों के व्यापारिक दोहन को रोकने का निर्णय लिया। कानूनी स्थिति कुछ भी हो पर गांववासियों के अहिंसक प्रतिरोध से यह मान्य हुआ।

वर्ष 1990 में मेंधा ने पेपर मिल द्वारा बांस लेने पर रोक लगाई हालांकि मिल के पास

लाइसेंस था। मिल को आर्थिक हानि हुई तो उसने कहा कि हम गांव को डोनेशन देंगे, रोजगार देंगे, अन्य लाभ देंगे पर उसके प्रस्तावों को गांववासियों ने स्वीकार नहीं किया। इस काम के रुकने से दोहन में लगे गांववासियों का रोजगार भी कम हुआ पर उन्होंने इसको सहन किया। वर्ष 1991 में मिल की लीज समाप्त हुई। गांववासियों ने सरकार को लिखा कि हमारे वन का बांस मिल को हमारी अनुमति के बिना न दिया जाए व इस लीज का नवीनीकरण हो भी गया तो हम बांस नहीं लेने देंगे। एक विकल्प के रूप में उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत वन–विभाग के सहयोग से इस तरह बांस निकाल सकते हैं जो नियमित हो व जिससे वन को क्षति न हो। उनकी मांग अस्वीकृत हो गई। मेंधा का विरोध जारी रहा व मिल को बांस लेने से रोका गया। मेंधा देश के उन थोड़े से गांवों में है जिन्होंने अपने परंपरागत वनों से व्यापारिक दोहन को रोकने में सफलता प्राप्त की।

संयुक्त वन प्रबंध में शामिल करने के लिए संघर्ष

भारतीय वन–नीति वर्ष 1988 में बदली गई व पहली बार यह माना गया कि देश में वनों का पहला उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना व स्थानीय जरूरतों को पूरा करना है। यह पहली नीति से भिन्न था जिसने कि व्यापारिक दोहन को सबसे अधिक महत्त्व दिया था। वर्ष 1990 में एक नई स्कीम संयुक्त वन प्रबंध आरंभ की गई जिसका क्रियान्वयन वन–विभाग ने करना था। इस स्कीम का उद्देश्य था कि उजड़ते वनों को स्थानीय लोगों के सहयोग से हरा–भरा किया जाए व इसके लाभ उनके साथ बांटे जाएं।

इस स्कीम में भागेदारी के लिए मेंधा गांव ने सरकार को लिखा था तो पहले सरकार ने यह कह अस्वीकृत कर दिया कि मेंधा के वन घने हैं जबकि स्कीम उजड़ते वनों के लिए है। पर 1993 में इस कानून को बदल कर मेंधा का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इस तरह घने वन में संयुक्त वन प्रबंधन वाला जिले का व संभवतः राज्य का पहला गांव मेंधा बना। कई बार बातचीत के बाद मेंधा गांव ने वन–विभाग के साथ मिलकर बांस निकालना आरंभ किया।

इस बीच राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त बन प्रबंध की काफी आलोचना होने लगी थी कि इसमें निर्णय क्षमता लोगों तक नहीं पहुंचती है, उनके अधिकार नहीं बढ़ते हैं व उनका उपयोग मुख्यतः मजदूरी के लिए होता है। अनेक गांवों में इस स्कीम को लेकर वन–विभाग से द्वंद्व भी चल रहा था कि 50 प्रतिशत लाभ को गांवों से बांटने का वायदा वास्तव में नहीं निभाया जा रहा है।

अतः इस स्कीम को स्वीकार करने के लिए मेंधा गांववासियों की आलोचना भी हुई। पर इस मामले में मेंधा की स्थिति देश के अधिकांश अन्य गांवों से भिन्न थी। यहां निर्णय की क्षमता ग्राम सभा के पास बनी रही व इसे वन–विभाग की मान्यता मिली। यह स्कीम 2006 तक यहां जारी रही।

आर्थिक सशक्तीकरण के लिए व प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष

ग्राम सभा में राजनीतिक सशक्तीकरण के साथ आर्थिक सशक्तीकरण के महत्त्व को तो समझा जा रहा था पर इसके अवसर ग्राम सभा को नहीं मिल रहे थे। पंचायत को सरकारी स्कीम मिलती थी। जब मेंधा ग्राम सभा ने मांग रखी कि यह स्कीमें सीधे ग्राम सभा को भेजी जाएं तो यह मांग अस्वीकृत कर दी गई। तब मेंधा ने ग्रामीण नियोजन व विकास परिषद नाम से एनजीओ रजिस्टर करवाई व ग्राम सभा को इसकी जनरल बॉडी व निर्णय लेने वाली इकाई बनाया गया। इसके बैंक एकाऊंट में कुछ सरकारी पैसे आने लगे। इसमें पारदर्शिता लाने की व्यवस्था भी की गई। यह तय किया गया कि ग्राम–सभा द्वारा किए गए सब भुगतान चेक से किए जाएंगे व हस्ताक्षर किए गए दस्तावेजों के आधार पर किए जाएंगे। बारी–बारी से दो व्यक्तियों को चेक पर हस्ताक्षर करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, दो व्यक्तियों को पैसे निकालने की जिम्मेदारी दी जाएगी व दो व्यक्तियों को पैसा जमा करने व निकालने का रिकार्ड रखने की जिम्मेदारी दी जाएगी। ग्राम सभा में विस्तृत हिसाब–किताब नियमित तौर पर पढ़ कर सुनाया जाएगा व बाहरी ऑडीटर द्वारा इसका ऑडिट भी किया जाएगा।

रिश्वत देने पर रोक पहले ही लगा दी गई थी। रसीद लिए बिना कोई भुगतान सरकारी अधिकारी को नहीं करने का निर्णय लिया गया व यदि इसका उल्लंघन हुआ तो इतना ही पैसा ग्रामसभा में भी जमा करवाना होगा। सरकारी स्कीमों के क्रियान्वयन पर प्रायः मजदूरी का कम भुगतान होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मेंधा ने भुगतान के लिए सरकारी अधिकारियों को पहले से तय दिन को गांव आने के लिए कहा जिससे गांववासियों को पूरी मजदूरी मिल सकी। गांववासियों को पूरी जानकारी दी गई जिससे उन्हें पता चल सके कि उन्हें सही मजदूरी मिली है या नहीं। सरकारी अधिकारियों ने गांव में पैसे की गड़बड़ी की तो उनसे भी जुर्माना लेकर ग्राम सभा में जमा करवाया गया।

वन अधिकार कानून का क्रियान्वयन व राजनीतिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण की ओर बुनियादी मोड़

राष्ट्रीय स्तर पर वन अधिकार कानून चाहे बहुत सफल न रहा हो पर गढ़चिरोली जिले व मेंधा गांव की इस संदर्भ में उपलब्धि प्रेरक रही है। मेंधा की सफलता से अन्य गांवों को भी सहायता व प्रेरणा मिली। चूंकि देश के अनेक भागों में इस कानून का क्रियान्वयन कमजोर रहा है, अतः गढ़चिरोली व विशेषकर मेंधा के प्रयासों व अनुभवों से इस संदर्भ में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ग्राम–सभा के सशक्तीकरण, सामूहिक प्रयास, बेहतर पैरवी व तकनीकी मुद्दों पर सिविल सोसाईटी की सहायता से इस बेहतर क्रियान्वयन में योगदान मिला। कुछ हद तक कुछ सहयोगी प्रशासकों की सहायता की भी इस सफलता में भूमिका रही। इस जिले के स्टडी सर्कल ने इस कानून की बेहतर समझ बनाई व विमर्श हुआ कि पहले से जिन अधिकारों की मांगों को उठाया गया है उन्हें आगे बढ़ाने में इस कानून से क्या सहायता मिल सकती है। जिले, राज्य व अन्य राज्यों के गांववासी मेंधा में यह समझने के लिए यहां आते रहे हैं कि दावे किस तरह प्रस्तुत किए गए व फिर वे ऐसे प्रयास अपने गांवों में भी करते हैं।

इस गांव में स्व–राज का सफर वन–अधिकार कानून संबंधी सफलता के बाद रुक नहीं गया। वर्ष 2010 में अपने वनों से अपने स्तर पर (वन–विभाग की भागेदारी के बिना) बांस निकालने का निर्णय लिया गया। इसके लिए प्रवेश पत्र का आवेदन वन–विभाग को दिया तो उसने मना कर दिया। विभाग ने कहा कि संयुक्त वन प्रबंधन में ही काम जारी रखो तो गांव ने मना कर दिया।

मेंधा ने अपने प्रयास जारी रखे, राज्य सरकार व केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखे। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने मार्च 21, 2011 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि बांस को 'गैर–लकड़ी वन उपज' माना जाए व वन अधिकार कानून के अंतर्गत समुदायों के अधिकारों को सम्मान दिया जाए। इस पत्र में लिखा था कि समुदाय वन संसाधनों की मान्यता वाले क्षेत्र में ग्राम सभा को बांस ले जाने के पास दिए जाएं।

इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो ग्रामसभा ने निर्णय लिया कि 80 परिवारों में हर एक परिवार से एक वयस्क जंगल में जाएगा और एक पोल बांस लेकर आएगा/आएगी (पल्लवी, 2011)। उन्होंने एक प्रतीकात्मक बिक्री केन्द्र का आयोजन किया जिसमें अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों सहित देश के लोगों को अपना बांस खरीदने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री व राज्य के मुख्यमंत्री गांव में आए और उन्होंने समस्या सुलझाने में मदद का वायदा किया।

अप्रैल 27 2011 को वन–विभाग ने ग्राम समुदाय के वरिष्ठ व्यक्तियों को एक पास बुक दी जिससे यह सिद्ध हुआ कि अब गांव सभा को अपने वन से बांस लाने व इसके लिए

पास जारी करने का अधिकार है। इस तरह बांस के उपयोग का राज्य व देश में एक नया अध्याय भी इसी गांव से आरंभ हुआ।

संयुक्त वन प्रबंधन के तहत मेंधा द्वारा की गई बांस की कटाई

इस तरह व अन्य संदर्भों में जो राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श आरंभ हुआ उसके आधार पर जुलाई 2012 में कानून में बदलाव कर सभी लघु वन उपज के संदर्भ में ऐसे ही बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर किए गए। अगस्त 2014 ने महाराष्ट्र के राज्यपाल ने इसे आगे बढ़ाते हुए औपनिवेशिक कानून द्वारा बांस को जो पेड़ के रूप में दर्शाया गया था, इसे समाप्त करवाया। इस तरह लघु वन उपज से आजीविका प्राप्त करने की संभावनाओं को मजबूत करने में बहुत सहायता मिली। मेंधा में आंरभ हुए संघर्ष का लाभ देश के सैंकड़ों गांवों को मिला व उन्हें भी इस तरह की हकदारी के संघर्ष के लिए प्रेरित किया।

बांस की पहली निकासी से गांववासियों ने 23 रुपए प्रति पोल की कीमत पर बांस बेचा। वन विभाग ने कभी इतनी कीमत प्राप्त नहीं की थी। अगले सीजन में गांववासियों ने इसकी अच्छी व्यवस्था की। वन–विभाग से भी सहयोग मांगा, पर यह स्वीकृत नहीं हुआ। गांववासियों ने ऐसे ठेकेदार का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जो पैसे अधिक दे रहा था पर पर्यावरण रक्षा के नियम नहीं मान रहा था। दूसरे ठेकेदार ने माना तो उसे स्वीकृति मिली। बांस निकासी की देखरेख के लिए बुजुर्ग, इस कार्य के अनुभवी गांववासियों की 4 सदस्यों (महिला व पुरुष) की टीम बनाई गई। मजदूरों को वन–विभाग से अधिक मजदूरी ग्राम सभा ने दी। वन–विभाग मजदूरों को कम दे पाता था क्योंकि प्रशासनिक खर्च व भ्रष्टाचार दोनों में पैसा जाता था। सीजन की समाप्ति पर ग्राम सभा की बैठक में पूरा हिसाब–किताब रखा गया तो पता चला कि गांववासियों व पड़ौसी गांववासियों की पूरी मजदूरी देने के बाद भी ग्राम सभा को 50 लाख रुपए की आय एक सीजन में हुई। गांववासियों ने इस पैसे का निवेश कर इसके ब्याज को गांव व वन विकास में लगाने का निर्णय किया। बांस निकासी और बिक्री की जो व्यवस्था मेंधा ने तैयार की वह अन्य गांवों के लिए प्रेरक बन गई। कुछ समय बाद वन–विभाग भी इस गांव को अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के स्थान के लिए उपयोग करने लगा।

कुछ वर्षों की निकासी के बाद मेंधा की ग्राम सभा ने निर्णय लिया कि वह बांस निकासी छोड़ कर वन प्रबंधन की ओर बढ़ेगी। इसका अर्थ यह है कि एक सीजन में बड़े पैमाने पर बांस निकासी के स्थान पर वर्ष भर जरूरत के अनुसार थोड़े–थोड़े बांस प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने संरक्षण के कार्यों पर अधिक ध्यान देना आरंभ किया जैसे बांस पुंज प्रबंधन, मिट्टी व नमी संरक्षण, आग से वन की रक्षा, नई पौध लगाना आदि। इस कार्य को नरेगा से भी जोड़ दिया गया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि अपने गांव व वन प्रबंधन कार्यों पर प्रयासरत रहते हुए ही गांववासी वर्ष भर आय अर्जन भी कर सकेंगे। मेंधा की ग्राम–सभा ने अब गांववासियों की एक टीम को लिखित विकास, संरक्षण व प्रबंधन योजना बनाने के लिए कहा है। बाहर से डा. माधव गाडगिल जैसे विशेषज्ञ को सहायता के लिए आमंत्रित किया गया है। इन अनुभवों के आधार पर अन्य गांवों के लिए वन–प्रबंधन पर एक मार्गदर्शिका भी विदर्भ विकास बोर्ड के सहयोग से तैयार की गई है।

व्यक्तिगत संपत्ति से सामूहिक संपत्ति संसाधन की एक अद्वितीय यात्रा

एक ऐसे समय जब दुनिया सामान्य संपत्ति संसाधनों के निजीकरण की ओर बढ़ रही है और भूमि हथियाने की प्रवृत्ति जगह–जगह तेज हो रही है, मेंधा ने इन दोनों प्रवृत्तियों से दूर होने का क्रांतिकारी कदम उठाया है। यह उसकी विचारधारा के अनुकूल है कि जल, जंगल जमीन सामान्य संपत्ति संसाधन हैं, उनका उपयोग समता व दीर्घकालीन टिकाऊपन के आधार पर होना चाहिए। वर्ष 2013 में मेंधा ने 100 प्रतिशत सहमति से अपने को एक ग्राम दान गांव घोषित किया (महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम 1964 के अंतर्गत) जिसके अनुसार गांव की सभी निजी स्वामित्व की संपत्ति अब ग्राम सभा के

सामूहिक स्वामित्व में हैं। ग्राम सभा ही सभी भूमि व संसाधनों की स्वामी है। पूरे राज्य में मात्र 20 गांवों ने ऐसी घोषणा की है।

इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम दान गांव की यह विशेषता है –

- सभी व्यक्तिगत स्वामित्व की भूमि का स्वामित्व ग्राम–सभा को सौंप दिया जाता है।
- व्यक्तिगत भू–स्वामियों की कुल भूमि में से 5 प्रतिशत भूमि से गांव में एक भूमि पूल बनाया जाए जो भूमिहीनों के लिए हो।
- जो किसान भूमि स्वामित्व को ग्राम सभा को सौंपते हैं वे ग्रामदान किसान कहलाते हैं। उनकी अगली पीढ़ी को भी यह जमीन मिलेगी पर स्वामित्व ग्राम सभा के पास ही रहेगा।
- इस भूमि को बेचा नहीं जा सकता है।
- यदि 75 प्रतिशत परिवार ग्राम दान की घोषणा के लिए तैयार हों तो ग्राम दान घोषित हो सकता है।
- ऐसे ग्रामदान की ग्राम सभा किसी पंचायत में हो तो भी वह उससे स्वतंत्र हो जाती है व ग्राम–सभा मुख्य निर्णय लेने व प्रशासन कार्य की इकाई बन जाती है।
- राज्य स्तर पर ग्राम दान गांवों के लिए ग्राम दान बोर्ड हैं।

ग्रामदान का विचार गांव में मोहन जी ने वर्ष 1986 में स्टडी सर्कल चर्चा में रखा। वर्ष 2006 तक 80 प्रतिशत परिवार इसके लिए स्वीकृति दे चुके थे। कुछ समय और इंतजार कर 100 प्रतिशत स्वीकृति प्राप्त की गई। फिर ध्यान आया कि यह स्वीकृति तो 18 वर्ष के ऊपर के वयस्कों की है। अतः 14 से 18 वर्ष के लड़के–लड़कियों से भी विमर्श कर उनकी भी स्वीकृति प्राप्त की गई व अंत में वर्ष 2017 में ग्रामदान का निर्णय राजस्व व प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में घोषित हुआ। इसके कुछ नियम गांव ने बनाए हैं जो ग्रामदान बोर्ड ने स्वीकार किए हैं।

आत्म–निर्भरता व जीवन की बेहतर गुणवत्ता

अपने संघर्षों, विमर्शों, बहसों व बदलाव की प्रक्रियाओं (जिसमें संस्थागत, व्यवस्थात्मक बदलाव भी शामिल हैं) से इस गांव ने राजनीतिक सशक्तीकरण, लैंगिक समानता, सुरक्षित आजीविका, आर्थिक स्वतंत्रता, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों तक पंहुच, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय सुरक्षा प्राप्त की है।

वन संरक्षण से पर्यावरणीय सुरक्षा प्राप्त करना

ग्राम–सभा ने प्रशिक्षित चार स्वैच्छिक वन रक्षकों की व्यवस्था की है (जो बारी–बारी से विभिन्न परिवारों से आते हैं) ताकि वनों का अनुचित दोहन न हो। लघु वन–उपज व ईंधन की प्राप्ति नियमानुसार की जा सकती है। नियम उल्लंघन करने पर जुर्माना लगता है। वन–अग्नि बुझाने में सभी गांववासी सहयोग करते हैं। अनेक वनों में खाली जगह पर विभिन्न सरकारी स्कीमों का लाभ लेते हुए स्थानीय प्रजातियों के नए पौधे भी खूब लगाए गए हैं।

10 प्रतिशत वनों को जैव विविधता पनपाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। वहां कोई दोहन नहीं होता है। इसे धार्मिक महत्त्व भी दिया गया है। इससे वन्य जीवों की रक्षा होती है। इसके लिए नियम बनाए गए हैं।

पशुओं को चराने की जिम्मेदारी भी बारी–बारी से प्रतिदिन दो व्यक्तियों को दी जाती है। बकरियों की संख्या बढ़ने से वन पर दबाव बना है तो यह मामला भी ग्राम सभा के विमर्श में आ गया है।

गांव के कुछ युवा वैज्ञानिक डा. माधव गाडगिल के माध्यम से समुदाय का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने से जुड़े हैं व वे इस विषय में अन्य गांववासियों को भी बताते रहते हैं। इस जानकारी से डा. गाडगिल के मार्गदर्शन में वन प्रबंधन योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

आर्थिक आजादी से समूह की वित्तीय सुरक्षा

मेंधा बाहरी फंड देने वालों व एनजीओ पर आश्रित नहीं रहा है। यहां के लोगों ने सरकारी स्कीमों से आजीविका सुरक्षित करने के लिए संघर्ष किए हैं। कुछ सरकारी परियोजनाओं से मेंधा की ग्राम सभा को भी कुछ धन मिलता है जैसे कि मिट्टी व नमी संरक्षण के लिए या सामूहिक सिंचाई के लिए। ग्राम सभा जो आजीविका की व्यवस्था करती है उसकी आय के 10 प्रतिशत भाग को ग्राम सभा के खाते में जमा करने के लिए कहा जाता है। जो गांव में आते हैं वे भी अपने रहने की व्यवस्था के लिए स्वेच्छा से कुछ धनराशि देते हैं।

वन अधिकार कानून आने से भी यह आर्थिक सुरक्षा बढ़ी। वर्ष 2011–12 में बांस निकासी से प्राप्त 50 लाख रुपए को ग्राम सभा के खाते में जमा करवाया व इसके ब्याज से भी गांवसभा के कुछ कार्य होते हैं। तेंदु पत्ते की नीलामी से भी गांववासियों को मजदूरी मिलती है। इसकी रायल्टी का कुछ हिस्सा तेंदु पत्ता एकत्र करने वालों में ही बांट दिया जाता है व कुछ हिस्सा ग्राम सभा में रखा जाता है।

लोगों के लिए आजीविका सुरक्षा

यहां लोगों की आजीविका कृषि व वन उपज पर आश्रित है। जल को सामान्य संपदा समझा जाता है अतः इसका समता आधारित उपयोग सबके हित में करना संभव है। लघु वन उपज जैसे पत्तों, फूल, बांस, शहद से अतिरिक्त आय हो जाती है। पहले लघु वन–उपज बहुत सस्ते में बेचनी पड़ती थी क्योंकि सभी व्यक्ति अपने स्तर पर बिक्री करते थे व खरीदने वाले उनकी शीघ्र बेचने की जरूरत का लाभ उठा कर उनका शोषण करते थे। अब ग्राम सभा द्वारा नियमन है व कुछ उत्पाद तो ग्राम सभा द्वारा ही खरीद लिए जाते हैं। सामूहिक बिक्री से ग्रामसभा अच्छा रेट प्राप्त कर सकती है। जो अतिरिक्त लाभ मिलता है वह वन उपज एकत्र करने वालों में ही बांट दिया जाता है। विशेषकर बांस व तेंदु पत्ते से अब पहले से कहीं अधिक आय होती है। यह ठेकेदारों को अधिक रेट पर बेचा जाता है, गांवासियों को मजदूरी मिलती है व लाभ का हिस्सा भी।

सरकार के नरेगा कार्यक्रम को गांव शासन व वन प्रबंधन कार्यों से बहुत भली–भांति जोड़ा गया है। मेंधा ने सरकार से विशेष निर्देश प्राप्त किया कि ग्राम पंचायत के स्थान पर यहां ग्राम सभा नरेगा का क्रियान्वयन करेगी। वर्ष 2011 में गांव में एक समिति स्थापित की गई जो यह निर्धारित करती है कि नरेगा के अन्तर्गत क्या कार्य होने हैं। यह कार्य, विशेषकर वन संबंधी कार्य, ग्राम सभा के विमर्श के आधार पर होते हैं। वर्ष 2012 में वाटरशैड विकास का कार्य हुआ। ग्राम–सभा बारी–बारी से रोजगार सेवक नियुक्त करती है जो समिति के साथ मिलकर कार्य का बजट, मस्टर रोल आदि तैयार करता है। फिर सरकारी एजेंसी से समन्वय बनाकर फंड ग्रामसभा द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसके आधार पर ग्राम सभा किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर रोजगार उपलब्ध करवाती है (इस गांव में इसे 100 दिनों तक सीमित नहीं रखा जाता है)। अतः यहां रोजगार के अभाव में प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर जाने की मजबूरी समाप्त हो गई है। लोग गांव में रहते हैं तो गांव को बेहतर करने के अनेक रचनात्मक कार्यों से भी जुड़ सकते हैं। शिक्षित युवाओं को भी ग्राम शासन की लिखा–पढ़ी, हिसाब–किताब, मेहमाननवाजी के कार्य से जोड़ा जाता है।

जहां अन्य गांवों में सरकारी स्कीम कई तरह के भ्रष्टाचार व समस्याओं से त्रस्त हैं, मेंधा ने इन स्कीमों के उचित क्रियान्वयन के लिए सामूहिक जिम्मेदारी ली है। इसके पीछे यह सोच है कि सरकारी धन हमारे अपने टैक्स का ही धन है और हमें उसका उचित उपयोग करना चाहिए। सरकारी अधिकारियों को भी ग्राम सभा में आमंत्रित किया गया व उनसे उपलब्ध सरकारी स्कीम व उसके बजट के बारे में जानकारी प्राप्त की गई व विभिन्न तरह की योजनाओं को कैसे आपसी समन्वय से गांव की भलाई के लिए उपयोग किया जाए इसकी योजना बनाई गई। बाद में वर्ष 2014 में इसी पद्धति से महाराष्ट्र सरकार ने वन अधिकार कानून से लाभान्वित होने वाले अनेक गांवों के लिए योजना बनाई।

लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा

निर्णय प्रक्रियाओ, स्टडी सर्कल विमर्श व उप–समितियों में महिलाओं की बढ़ती भागेदारी से महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ है व उनकी आवाज सुनी जाती है। महिलाओं के समूह बनाए गए हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ उन्हें घरेलू हिंसा से सुरक्षा मिली है व साथ में उनकी आर्थिक आजादी भी बढ़ी है। कुछ सामूहिक संपदाओं जैसे ट्रैक्टर व पत्थर की खान का प्रबंधन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के पास है।

गांव में अनाज बैंक बनाया गया है। यह अनाज फसल की कटाई के बाद गांववासी अनाज बैंक को देते हैं। यह किसी भी जरूरतमंद द्वारा फसल खराब होने पर या किसी अन्य कठिन स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है व जब उसकी स्थिति सुधर जाए तो इससे थोड़ा सा अधिक अनाज वह अनाज बैंक को लौटा देता है।

साहूकारों व बंधक मजदूरों जैसे शोषण को दूर रखने के लिए कोई जरूरतमंद अपनी आवश्यकता के वक्त सीधे ग्राम सभा से कर्ज ले सकते हैं। पहले वर्ष कोई ब्याज नहीं लगता, दूसरे वर्ष 2 प्रतिशत ब्याज लगता है व समय बढ़ने पर ब्याज भी बढ़ता है पर यह साहूकारों से बहुत कम है। यह व्यवस्था ठीक से चले, कर्ज समय पर वापस हो, इसमें स्वयं सहायता समूहों का सहयोग मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी आपदा स्थिति उत्पन्न होने पर भी ग्राम सभा सहायता करती है।

पानी का संरक्षण हो व यह सामान्य संपदा के रूप में सबको समानता के आधार पर उपलब्ध हो, यह ग्रामसभा का विशेष प्रयास है। मेंधा की ग्रामसभा ने व्यक्तिगत व सामूहिक भूमि पर मिट्टी व जल संरक्षण व भूजल रीचार्ज के लिए अनेक चैक डैम बनाए हैं। यहां ग्राम सभा ने 1000 गली प्लग, 17 खेत तालाब, 1 वन तालाब व एक सामुदायिक कुंआ बनवाए हैं।

ग्राम सभा किसी भेदभाव के बिना सभी गांववासियों के लिए समान अवसर देने के सिद्धांत पर चलती है। भविष्य की योजनाओं में 100 प्रतिशत जैविक खेती व स्थानीय फसलों के साथ गोंड भाषा, संस्कृति व परंपराओं को नवजीवन देना, पशु चरान को

नियंत्रित कर मिट्टी का कटाव रोकना, क्षेत्र में ग्राम सभाओं की फेडरेशन स्थापित करना शामिल हैं। शिक्षा व्यवस्था में परंपरा और आधुनिकता का समन्वय भी एक उद्देश्य है।

मेंधा लेखा की नर्सरी

मेंधा के बदलाव को संदर्भित करना

मेंधा का राज्य से संबंध

'दिल्ली, मुम्बई हमारी सरकार, हमारे गांव में हम हैं सरकार' – इस नारे से मेंधा का राज्य से संबंध परिभाषित होता है। यहां के लोगों का मानना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र व जबावदेही वाले प्रतिनिधित्व लोकतंत्र दोनों की जरूरत है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आवाज को ऊपर तक पहुंचाना चाहिए। जो ग्राम सभाओं में निर्णय हो रहे हैं उनके अनुकूल ही निर्णय जिले, राज्य व राष्ट्र स्तर पर होने चाहिए।

यदि लोकतंत्र ठीक से नहीं चल रहा है तो गांव सभा स्तर पर समुदाय को सशक्त करने की जरूरत है। बहुत से गांवों में ऐसे सशक्तीकरण से ही स्थिति बदलेगी। इसके लिए समुदायों की आंतरिक कमजोरियों व विषमताओं को भी दूर करना होगा।

राज्य के केन्द्रीयकृत रूप व उसकी दोहन की नीतियों–प्रवृत्तियों का विरोध यहां हुआ है, पर राज्य व राज्य की भूमिका को स्वीकृति मिली है। जब संभव हुआ हो व जरूरत रही हो, राज्य की एजेंसियों से सहयोग भी हुआ है। हां, यह ध्यान बराबर रखा गया है कि इससे ग्राम–सभा के नियमों, निर्णयों व सिद्धान्तों का उल्लंघन न हो। सरकारी स्कीमों का बहुत अच्छा व सार्थक उपयोग यहां हुआ है। अपने हाथों में राजनीतिक शक्ति रखते हुए कभी राज्य से सहयोग तो कभी विमर्श तो कभी प्रतिरोध के संबंध रहे हैं।

मेंधा व राजनीतिक वामपंथ

मेंधा के संघर्ष की जड़ें एक जिले स्तर के आन्दोलन में है जो स्वयं समाजवादी चेतना से उत्प्रेरित हुआ। यह क्षेत्र माओवादी आंदोलन के असर में रहा है। क्षेत्र में माओवादी, समाजवादी व गांधीवादी समूहों में मतभेद रहे हैं। मेंधा ग्राम स्व–निर्धारण में विश्वास रखता है, पर इसे प्राप्त करने के हिंसक तौर–तरीकों को उसने कभी स्वीकार नहीं किया है। अहिंसा यहां का मूल मूल्य रहा है व यहां के संघर्षों की ताकत रहा है।

मेंधा ने समय–समय पर राज्य व राष्ट्रीय सरकार से महत्त्वपूर्ण सहयोग भी किया है – इसके महत्त्वपूर्ण लाभ भी मिले हैं – पर माओवादी इस सहयोग को नकारते हैं। माओवादियों ने वन अधिकार कानून के अंतर्गत क्लेम दाखिल करने का भी विरोध किया।

इस समय गढ़चिरोली में एक ओर वन अधिकार कानून के अंतर्गत अधिक सफलता प्राप्त हुई है, दूसरी ओर सरकार ग्राम सभा से पहले जानकारी भरी अनुमति लेने के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए खनन निगमों को खनन की लीज दे रही है व प्रस्तावित कर रही है। (पाठक ब्रूमे व राउत, 2017)। जहां एक ओर अनेक समुदाय अपनी वन आधारित आजीविकाओं को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं, वहां राज्य की ओर से खनन व उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी चल रही है। इस संदर्भ में मेंधा का दृष्टिकोण अभी स्पष्ट नहीं है और उसे कुछ आलोचना भी सहनी पड़ी है।

मेंधा के बदलाव में बाहरी व्यक्तियों की भूमिका

मोहन व उनके साथियों ने स्टडी सर्कल के माध्यम से बदलाव में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर अनेक बाहरी व्यक्तियों ने ज्ञान संवृद्धि, तकनीकी सहायता, हिसाब–किताब, जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने में सहयोग दिया, पर निर्णय लेने की प्रक्रियाएं मेंधा निवासियों व उनकी ग्राम सभा तक की रही।

मेंधा ने एनजीओ व फंडिंग संस्थाओं पर आर्थिक निर्भरता से बचने का निर्णय लिया।

मेंधा के सामने रुकावटें

मेंधा को अपने पड़ौसी गांवों से भी कुछ समस्याएं सहनी पड़ी। मेंधा के वनों का उपयोग पड़ौसी गांव भी करते रहे हैं। उनके वनों की रक्षा के प्रयास अधिक नहीं हुए तो मेंधा के वनों का उपयोग उन्होंने अधिक करना आरंभ किया। जब मेंधा ने अपने वनों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से नियम बनाए तो इस व्यवस्था में शामिल होने के लिए पड़ौसी गांवों को भी कहा गया पर मेंधा की यह भूमिका कुछ पड़ौसी गांवों को स्वीकार्य नहीं थी। इस कारण मेंधा के युवाओं को बाहर कुछ अकेलापन झेलना पड़ा। पर वन–अधिकार कानून बनने के बाद मेंधा की सोच को अधिक मान्यता मिलने लगी। क्षेत्र के तीस गांवों में ग्राम–सभा के सशक्तीकरण को ध्यान में रखते हुए एक फेडरेशन भी बनाई गई है।

पहले जो व्यवस्था थी उसमें ठेकेदार बिना रोक–टोक के शोषण करते थे व अधिक धन अर्जित करते थे। मेंधा ने नए नियम बनाए, पारदर्शी व्यवस्था बनाई तो ठेकेदारों की मनमानी व मुनाफा कम हुए। अब कुछ ठेकेदार प्रयास करते हैं कि मेंधा जैसे गांवों की वन उपज की बिक्री में बाधा उपस्थित की जाए। अतः मेंधा ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की मांग की है।

निष्कर्ष

मेंधा की यात्रा में कहीं संघर्ष है तो कहीं विकल्प है, कहीं अहिंसक प्रतिरोध है तो कहीं सहयोग है। यहां के विभिन्न संघर्षों से केवल इस गांव के लिए ही नहीं अन्य समुदायों के लिए भी विकल्प निकलते हैं (कभी–कभी तो राष्ट्रीय स्तर पर) – कभी संयुक्त वन प्रबंधन के क्षेत्र में, कभी वन–अधिकार कानून के संदर्भ में कभी नरेगा के संदर्भ में। कभी इन संघर्षों में मौजूदा कानून के उचित क्रियान्वयन की मांग रहती है, कभी कानून बदलने की मांग रहती है और कभी अपने ही निर्णयों के क्रियान्वयन की मांग रहती है।

इसकी सफलता के पीछे बहुत व्यापक व निरंतरता से होने वाला विमर्श है, उचित जानकारी अपने लोगों तक पंहुचाकर सबकी मान्यता प्राप्त करने के प्रयास हैं, महिलाओं सहित सभी को निर्णय प्रक्रिया में समान अवसर देने की प्रवृत्ति है, अहिंसा में विश्वास है, व्यापक समुदाय की एकजुटता प्राप्त करने की क्षमता है – गांव से जिले, व्यक्ति से देश के अनेक समूहों तक पहुंचने की क्षमता। सटडी सर्कल ने गांववासियों की जानकारी भरी समझ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आधार पर ही विभिन्न सरकारी स्कीमों का बेहतर उपयोग यहां संभव हुआ।

अब आगे बड़ी चुनौती 25 प्रस्तावित खनन लीजों के रूप में है जिनसे क्षेत्र के वनों की बहुत क्षति हो सकती है। इस क्षेत्र में 1000 से अधिक गांवों के वन अधिकार स्वीकृत हुए। सरकार की किसी स्कीम की अपेक्षा ग्राम सभाएं वनों में अधिक आय अर्जन कर रही है। पर दूसरी ओर वनों पर बड़े पैमाने पर खनन का खतरा अब मंडरा रहा है। इस स्थिति में मेंधा की क्या भूमिका रहेगी यह सवाल सामने है। मौजूदा स्थिति में अनिश्चय है। क्या खनन से वनों की बहुत क्षति होगी, या मेंधा जैसे अनेक गांव वनों की रक्षा के लिए आगे आएंगे?

संदर्भ :

Pathak Broome, N. & Raut, M. (2017) Mining in Gadchiroli – Building a Castle of Injustices. Countercurrents. org. June 17. Available at: https://countercurrents. org/2017/06/17/mining-in-gadchiroli-building-a-castle-of- injustices/[accessed February 13, 2018].

Community Forest Rights – Learning and Advocacy. (2016) Promise and Performance: Ten Years of the Forest Rights Act in India. Citizens' Report on Promise and Performance of The Scheduled Tribes and Other Tradi-tional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, after 10 years of its Enactment. Community Forest Rights – Learning and Advocacy Process, India. Available at: http://www.cfrla.org.in/uploads_acrvr/ X36BEPromise%20and%20Performance%20National%20Report.pdf [accessed February 13, 2018].

Down to Earth. (2011). Rural communities win right over bamboo, finally. =Down to Earth. April 27. Available at: http://www.downtoearth.org.in/news/rural-communities-win-right-over-bamboo-finally-33392 [accessed February 13, 2018].

Elwin, V. (1947). The Muria and Their Ghotul. London: Oxford University Press.

Guha, R. (1994) Colonialism and Conflict in the Himalayan Forest. In: Guha, R. (ed.) Social Ecology. Delhi: Oxford University Press, pp. 275-302.

Maharashtra Community Forest Rights – Learning and Advocacy. (2017). Promise and Performance: Ten Years of the Forest Rights Act in Maharashtra. Citizens' Report on Promise and Performance of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. Produced by CFR Learning and Advocacy Group Maharashtra, as part of National Community Forest Rights – Learning and Advocacy Process (CFR-LA). Available at: http://www.cfrla.org.in/uploads_acrvr/XK2RDMaharashtra%20Promise%20and%20 Performance.pdf [accessed February 13, 2018].

Ministry of Rural Development. (2005) The Mahatma Gandhi National Rural Employment Act 2005. Available at: http://www.nrega.nic.in/ netnrega/home.aspx [accessed February 13, 2018].

Pallavi, A. (2011) Bamboo sale for bamboo rights. Down to Earth. March 31. Available at: http://www.down-toearth.org.in/news/bamboo-sale-for-bamboo-rights-33167 [accessed February 13, 2018].

Pathak, N. & Gour-Broome, V. (2001) Tribal Self-rule and Natural Resource Management: Community Based Conservation at Mendha-Lekha, Maharashtra, India. New Delhi: Kalpavriksh / London: International Institute for Environment and Development.

Tofa, D. & Mohan, H. H. (2006) Mendha (Lekha) – The village that declared that “we have our government in Delhi and Mumbai, but in our village we ourselves are the government”. Vrikshamitra: Chandrapur/Gadchiroli.

बार्सीलोना एन कोमू : संस्थानों को हथियाने का आंदोलन

माओरो कास्त्रो

मैं मिरियम लांग व एडगैर्डो लैंडर को इस अध्ययन के पहले ड्राफ्ट पर विस्तृत सुझाव व टिप्पणी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ व विकास के आगे ग्लोबल कार्य समूह के अन्य सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी बहसें और चर्चाएं प्रेरणा का स्रोत रही हैं। ब्कोमू अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों लारा रोथ व केट शिया के योगदान के लिए भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने इस दस्तावेज के पहले रूप में योगदान दिया। मैं ला हिदरा कोआपरेटिवा के अपने सहकर्मियों को उनके सुझावों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई गलती रह गई हो तो उसकी जिम्मेदारी लेखक की है।

भूमिका

मई 15, 2011 को स्पेन के मुख्य शहरों में बड़ी रैलियां व कब्जे देखे गए। इस तिथि को प्रायः 'इंडिगनादो आंदोलन' (जिसे 15 एम भी कहा जाता है) का जन्म दिवस माना जाता है। 15 एम के व्यापक असर को ठीक–ठीक बताना कठिन है पर इसकी एक ठोस उपलब्धि यह थी कि वर्ष 2015 के स्पेन के म्युनिसिपल चुनावों में 'नागरिक प्लेटफार्मों' की जीत हुई। यह यूरोप के हाल के राजनीतिक इतिहास में चुनावी लोकतंत्र में एक प्रमुख प्रयोग था। एक वर्ष से कम समय में विभिन्न प्लेटफार्म (इनमें से अधिकांश का चुनावी राजनीति संबंधी कोई पूर्व अनुभव नहीं था) कुछ बड़ी म्यूनिसिपेलिटियों में चुनाव जीतने में सफल हुए, जैसे कि मैड्रिड, बार्सीलोना, जरागोजा और कोरुना में। वास्तविकता तो यह है कि नागरिक आधारित चुनावी प्लेटफार्म लगभग सभी शहरों व गांवों में बनाए गए। कुछ शहरों में वे सरकारों में गठबंधन पार्टनर की तरह जुड़ गए, जैसा कि वेलेंसिया व बाडालोना में हुआ। कुछ शहरों में वे सरकार के विरोधी पक्ष की भूमिका में हैं। 15 एम के बाद की 'नई राजनीति' में मैड्रिड में पोदेमोस नामक वामपंथी राजनीतिक दल की स्थापना की गई। इसकी राष्ट्रीय स्तर की उपस्थिति बन गई है व इसका प्रमुख उद्देश्य स्पेन राष्ट्र–राज्य में सत्ता प्राप्त करना है।[1]

इस अध्ययन का उद्देश्य है कि आंदोलन के 'संस्थागत टेक ओवर' से बदलाव की समझ बनाना। यह अध्ययन म्यूनिसिपल राजनीति की सीमाओं और संभावनाओं पर फोकस करता है, व शहर में राजनीतिक शक्ति संबंध बदलने में 'राडिकल म्यूनिसिपलवाद' की संभावनाओं की चर्चा करता है। ऐसा व्यापक सामाजिक आंदोलन यदि बनाना है जो चुनावी व संस्थागत उद्देश्यों तक सीमित न रह जाए तो इसके लिए किस तरह की रणनीति चाहिए?

बार्सीलोना एन कोमू (बार्सीलोना इन कॉमन या संक्षेप में बीइसी) देश में सामाजिक आंदोलनों के संस्थागत सत्ता तक पंहुचने का प्रतीक है। यह एक सिटीजन प्लेटफार्म है जो म्यूनिसिपेलिटी में निर्वाचित संस्थागत इकाई बन सका और शहर के कई तरह के सामाजिक आंदोलनों का प्लेटफार्म बन सका। अनेक लोगों में उम्मीद है कि इस पहल से आगे ऐसे अवसर खुलेंगे जिससे संपत्ति का पुनर्वितरण होगा, सामाजिक संघर्ष आगे बढ़ेंगे, सामाजिक उभार से संस्थागत नीतियों के जुड़ने से लोकतंत्र में गहराई आएगी।

मेरा विश्लेषण राजनीतिक चक्र की अवधारणा (रोड्रीगेज, 2016) का उपयोग करेगा जिसमें तीन स्पष्ट चरण होते हैं। इन तीन चरणों से एक उपयोगी फ्रेमवर्क मिलेगा जिसमें आंदोलन के अनुभव व विकास व इसकी चुनौतियों की बेहतर समझ बन सकेगी।

राजनीतिक चक्र यह हैं –

- आंदोलन का दौर : मई 15, 2011 के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से राजनीतिक चक्र शुरू हुआ।
- राजनीतिक दल का दौर : इस दौर में संस्थागत रणनीति अपनाई गई। इस दौर में नए राजनीतिक उपकरण, नए राजनीतिक दल व नागरिकों के चुनावी प्लेटफार्म नजर आते हैं।
- संस्थागत दौर : तीसरे चरण में आंदोलन के कुछ हिस्से के संस्थानीकरण का दौर है। यह राज्य को राजनीति क्रियान्वयन के संप्रभु उपाय के रूप में पुनः प्राप्ति पर आधारित है।

इंडिगनाडो आंदोलन गतिरोध के दौर में

मौजूदा राजनीतिक चक्र में 15 एम या इंडिगनाडो आंदोलन टिपिंग प्वाईंट सिद्ध हुआ, एक निर्णयक समय जिसकी पृष्ठभूमि काफी समय से बन रही थी। वर्ष 2008 में आर्थिक संकट आरंभ होने के बाद स्पेन बहुत असाधारण दौर से गुजरा है जिसमें आर्थिक कटौतियों के बीच बढ़ती बेरोजगारी व निर्धनता देखी गई जिससे प्रमुख राजनीतिक दलों व श्रमिक या कर्मचारी संगठनों की राजनीतिक स्वीकृति क्षरित हुई। इस स्थिति में सामाजिक आंदोलन आगे आए। 15एम ने इनके लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाई व उन्हें आगे चलकर अधिक व्यापक बनाया (जैसे कि पड़ौस की सभाओं का प्रसार, स्वास्थ्य व शिक्षा के सामाजिक अधिकारों की रक्षा के आंदोलनों का प्रसार आदि)।

जब स्थापित राजनीतिक संस्थान बदलाव के प्रस्तावों के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, आंदोलन ने एक आर्थिक और सामाजिक संकट को एक राजनीतिक संकट में बदलते हुए इन्हीं स्थापित राजनीतिक संस्थानों के टेकओवर के प्रयत्न से मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी।

एक लोकतांत्रिक क्रांति का आरंभ

15 एम एक शान्तिपूर्ण और लोकतांत्रिक उभार था जो मई 15 2011 को (स्थानीय चुनावों से एक सप्ताह पहले) स्पेन के मुख्य शहरों के चौराहों के कब्जे से आरंभ हुआ।

यह अपेक्षाकृत छोटे, युवा केंद्रित आंदोलन के रूप में हुआ जिसकी आवाज आर्थिक तंगी की नीतियों व मौजूदा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की कमियों के विरुद्ध थी। ऐसे नारे चुने गए – अब वास्तविक लोकतंत्र चाहिए – वे हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं – वे इसे लोकतंत्र कहते हैं , पर यह लोकतंत्र नहीं है – हम राजनीतिज्ञों और बैंकरों के हाथ में निर्जीव वस्तुएं नहीं हैं – यह दक्षिणपंथी या वामपंथी नहीं है, यह तो नीचे के लोगों की ऊपर के लोगों के विरुद्ध आवाज है। इन नारों से किसी विशिष्ट विचारधारा से न जुड़ी हुई राजनीति व किसी विशेष राजनीतिक दल से न जुड़ी हुई राजनीति सामने आती है जिसमें विमर्श के केन्द्र में लोकतंत्र की पहचान को रखा गया है। (रोड्रीगेज, 2016)

15 एम ने यह विचार भी फैलाया कि राजनीति केवल प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों के लिए नहीं है अपितु साधारण नागरिकों की भागेदारी के लिए है। विभिन्न आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं ने चौराहों में एकत्र होकर केवल मौजूदा व्यवस्था की आलोचना नहीं की अपितु प्रत्यक्ष लोकतंत्र को आगे बढ़ाया, उन्होंने एक–दूसरे से चर्चा की, बहस की व एक दूसरे से सीखा। यहां उन्होंने लोकतंत्र को नए सिरे से समझने की व प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव की व प्रकट की। इस सामूहिक अनुभव से लोग अपनी शक्ति के प्रति सचेत हुए व ऐसी एक सामूहिक शक्ति की संभावित क्षमताओं के प्रति भी सचेत हुए जो अन्याय के कारणों पर सवाल उठा सकती है व उन्हें चुनौती दे सकती है। (चारनॉक व अन्य, 2012)

चौराहों के अतिरिक्त 15 एम आंदोलन आभासी दुनिया में ट्विटर व फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्क पर भी सक्रिय था। विरोध प्रदर्शन जुटाने व खुले विचार प्रकट करने में इससे मदद मिली। इस क्षेत्र में आंदोलन के संदेश बहुत प्रसारित हुए, नारों को एक दूसरे तक पहुंचाया गया और कार्यकर्ताओं ने अपने राजनीतिक प्रस्तावों व माहौल का जायजा लिया।(टोरे 2013)।

उस समय के सर्वेक्षणों से पता चला कि दो तिहाई जनसंख्या विरोध प्रदर्शनों से सहानुभूति रखती थी। अधिक संख्या में लोगों के जुटने, युवाओं व मध्य वर्ग की अधिक उपस्थिति, आर्थिक तंगी की नीतियों के विरोध इन कारकों से जन समर्थन अधिक हुआ। 'लोकतंत्र पुनः प्राप्त करने' की मांग से अधिसंख्य लोग सहमत थे।

अब तक के सामाजिक आंदोलनों की तुलना में 15 एम में अवश्य कुछ नया था, कुछ नई ताजगी थी कि यह आंदोलन पहले के जन–उभारों की परिधि से कहीं आगे जा सका व स्थापित राजनीति के स्तंभों को हिलाने में इतना सफल हो सका।

15 एम आंदोलन, 2011

मई 2011 से आगे अनेक आंदोलन निकले। इनमें आर्थिक तंगी की नीतियों व सार्वजनिक सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, जल, ऊर्जा आपूर्ति) के निजीकरण का विरोध कर रहे समूह थे। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में बड़े बदलाव करने या वास्तविक लोकतंत्र की मांग करने वाले समूह थे, भ्रष्टाचार व बैंकों में गड़बड़ी पर नियंत्रण की मांग करने वाले समूह थे।

अवसर की खिड़की

दो वर्षों के उभार व कई शक्तिशाली संघर्षों के बावजूद 15 एम कुछ सीमाओं में सिमटने लगा था। इसकी संस्थागत पहुंच मजबूत नहीं थी। इसकी मांगों को सुना नहीं जा रहा था व न ही संवैधानिक व्यवस्था पर इनका विशेष असर पड़ रहा था। मौजूदा राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं ने कहा कि यह कब्जे और प्रदर्शन समाप्त करो और लोग आपके साथ हैं तो चुनाव में भाग लेकर आगे बढ़ो। जन–उभार के बावजूद मुख्य राजनीतिक दलों ने 15 लाख हस्ताक्षरों वाले आवास प्रस्ताव को बुरी तरह उपेक्षित किया। आंदोलन के कई कार्यकर्ताओं को भी लग रहा था कि आखिर कब तक विरोध प्रदर्शन जारी रख पाएंगे। पर अनेक कार्यकर्ताओं ने साहस बनाए रखा। उन्होंने बढ़ती कठिनाईयों के बीच मौजूदा सत्ता व्यवस्था की कमजोरियों को भी समझा व इसे हटा कर नई लोकतांत्रिक जगह बनाने की संभावनाओं को सामने लाए। उन्होंने यह विचार सामने रखा कि मौजूदा गतिरोध को तोड़ने व आगे बढ़ने के लिए संस्थानों को

हथियाना चाहिए ताकि आर्थिक तंगी समाप्त हो व लोगों की बढ़ती बेचैनी को पीछे छोड़ नई सफलता की ओर बढ़ा जाए। इसकी व्यवहारिक अभिव्यक्ति यह हुई कि नागरिकों के व्यापक प्लेटफार्म व गठबंधन बनाए गए जो चुनावी प्रणाली का उपयोग सार्थक बदलाव के लिए कर सकें। पोदेमोस को मई 25 के यूरोपीय चुनावों में जो सफलता मिली उससे यह प्रक्रिया और तेज हो गई।

सामाजिक आंदोलनों का व्यवहारिक मोड़

आरंभ में यह कोई स्पष्ट सोच नहीं थी कि कार्यकर्ता चुनाव में खड़े होंगे। पर आर्थिक व राजनीतिक संकट की गंभीरता को देखते हुए व संस्थागत ढांचे से बाहर कुछ हासिल करने की सीमाओं को देखते हुए ही चुनावों में खड़े होने का निर्णय लिया गया।

आगे यह तय करना था कि किस स्तर पर चुनाव लड़ा जाए – आम चुनाव के स्तर पर, म्यूनिसिपल स्तर पर या समुदाय स्वशासन (कैटालन) स्तर पर। म्यूनिसिपल चुनावों को प्राथमिकता देने वालों ने कहा कि हमें स्थानीय स्तर पर राजनीतिक ताकत लानी चाहिए व फिर बाद में अन्य स्तरों पर अपना प्रयास व्यापक करने का विकल्प खुला है। आर्थिक विषमता को कम करने, भागेदारी का लोकतंत्र बनाने व पारदर्शिता लाने के कई कार्य म्यूनिसिपल स्तर पर हो सकते हैं।

इन विचारों को एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 'ला एपयुएस्ता म्यूनिसिपलिस्ता' में वर्ष 2014 में प्रकाशित किया गया जिसका संदेश था – "म्यूनिसिपेलिटी नागरिकों के अधिक नजदीक है व हम उन्हें प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रिया का स्थान बना दें तो हम वास्तविक लोकतंत्र का सृजन कर सकते हैं।" (आवसर्वाटोरियो मेट्रोपोलिटानो, 2014 : पृष्ठ 143)।

म्यूनिसिपलवाद एक राजनीतिक रणनीति है जिसे कई तरह के राजनीतिक प्लेटफार्म (सामाजिक आंदोलनों से राजनीतिक दल तक) अपना सकते हैं। 'रेडिकल या लोकतांत्रिक म्यूनिसिपल रणनीति' का पूर्व की संस्थागत व दल राजनीति से तनाव बना रहेगा जिसमें उसे प्रवेश करना है। जैसा कि ला एपयुएस्ता म्यूनिसिपलिस्ता के लेखकों ने कहा है, "चुनावों की यह उम्मीदवारी पहले के राजनीतिक दल की तरह नहीं है अपितु यह आंदोलनों से निकली है। पहले के सत्ताधारी राजनीतिक वर्ग के पापों को हमें दोहराना कतई नहीं है, अपितु नीचे (जनता) से नियंत्रित व सामाजिक जवावदेही को समर्पित कार्य करना है।"

म्यूनिसिपल के अपेक्षाकृत छोटे स्तर पर अपना संदेश पंहुचाना भी अपेक्षाकृत आसान था (राष्ट्रीय चुनावों के बड़े क्षेत्रों की तुलना में) कैटालन की आजादी का राष्ट्रीय मुद्दा लोगों को, वामपंथियों को भी विभाजित करना हैं जबकि स्थानीय स्तर पर यह मुद्दा महत्त्वपूर्ण नहीं है, स्थानीय स्तर के मुद्दों पर एकता बनाना अधिक संभव है।

बार्सिलोना एन कोमु में संगम की प्रक्रिया

2015 के म्यूनिसिपल चुनावों में उद्देश्य यह रखा गया कि खुले प्लेटफार्म बनाए जाएं जिनमें मौजूदा दलों से जुड़े व्यक्ति भी आ सकते हैं पर जो विशेषकर उन नागरिकों को आकर्षित करेंगे जिनकी मौजूदा दलों के लिए कोई निश्चित प्रतिबद्धता नहीं है। मैनिफेस्टों में लिखा गया – हम राजनीतिक दलों का मिश्रण या गठबंधन नहीं चाहते हैं। हम दलों की पुरानी स्थिति नहीं चाहते हैं और एक नई जगह बनाना चाहते हैं जो सब भागीदारों की पहचान को सम्मान देते हुए भी केवल उनका योग नहीं रह जाती बल्कि उससे आगे जा सकती है, उससे व्यापक पंहुच बनाती है।"

यह प्रस्ताव बार्सीलोना के नागरिकों के सामने जून 2014 में रखा गया। इसे आगे ले जाने के लिए 30000 समर्थक चाहिए थे। इस प्रस्ताव को प्रसारित कर रहे कार्यकर्ताओं ने पहले पड़ौस के 30000 लोगों का समर्थन प्राप्त किया। बाद में इसे अन्य प्लेटफार्मों व पार्टियों का समर्थन मिला।

इस तरह कई ताकतों का एक व्यापक गठबंधन बना जिसमें किसी के नाम से बड़े आंदोलन के उद्देश्य थे। निम्न पार्टियों ने जुड़ाव किया – पोदेमोस, आई.सी.वी. (कैटेलेन ग्रीन पार्टी), ई.यू.आई.ए. (एक वामपंथी पार्टी) ई.क्यऊ.यू.ओ. (स्पेन की एक ग्रीन पार्टी) व प्रोसेस कान्सूच्यिंट (कैटेलोनिया में संविधान निर्माण प्रक्रिया को आगे ले जाने वाला वामपंथी प्लेटफार्म)। आई.सी.वी. का पहले से म्यूनिसिपल प्रतिनिधित्व होने के कारण बार्सीलोना एन कोमू को टीवी पर मेयर के चुनाव की बहस में भागेदारी का अवसर मिल गया। इससे आंदोलन को लोगों में पहचान बढ़ाने में मदद मिली

बार्सीलोना एन कोमू में सामाजिक आंदोलनों का बहुत योगदान रहा। आरंभ में सामाजिक आंदोलन के कार्यकर्ताओं का म्यूनिसिपल आंदोलन में नेत्तृत्व रहा, पार्टियां औपचारिक तौर पर बाद में आईं। पी.ए.एच., पड़ौसी एसोसिएशन, स्वतंत्र संस्कृति आदि सामाजिक आंदोलनों के कार्यकर्ताओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। अनेक विद्वानों व प्रतिष्ठित नागरिकों का समर्थन भी प्राप्त हुआ जो पहले राजनीतिक दलों व सामाजिक आंदोलनों से नहीं जुड़े थे।

संगम या कान्लूयंस की अवधारणा के दो पक्ष महत्त्वपूर्ण हैं। सामाजिक आंदोलन के कार्यकर्ताओं की भागेदारी ने चुनावी सफलता की संभावना को बढ़ाया। नए मतदाता व

कार्यकर्ता भी चुनावी मैदान में आए। चुनावों में सामान्यतः भाग न लेने वाले लोग भी वोट देने पंहुचे। वोट न देने वालों की संख्या 8 प्रतिशत कम हुई, जिससे बीइसी की चुनावी सफलता में मदद मिली। संगम का दूसरा पक्ष था कि पूर्व प्रमुख राजनीतिक दलों के सक्रिय सदस्यों की बराबरी करते हुए बहुत से नागरिकों ने चुनाव में हिस्सा लिया।

राजनीतिक वामपंथ से संबंध

15 एम ने वामपंथ की कुछ पुरानी सोचों को पीछे छोड़ा। वामपंथ व दक्षिणपंथ में विभाजन के स्थान पर प्रक्रियाओं, उद्देश्यों व व्यवहारिकता पर ध्यान दिया गया। किसी संकीर्ण, पुरानी विचारधारा व राजनीति से बाहर आकर वर्त्तमान की जरूरत के अनुसार ठोस प्रयासों व उद्देश्यों की ओर झुकाव बढ़ा।

15 एम आंदोलन ने वामपंथी दलों व श्रमिक संगठनों में आ गई समस्याओं और मौजूदा स्थिति के लिए उनकी जिम्मेदारी की भी समझ बनाई और खोखली विचारधारा, विभाजन–टूटन, भ्रष्टाचार, बेकार के शक्ति परीक्षणों की आलोचना की।

15 एम के नारों में पुराने वामपंथ की सीमाओं को पार कर अधिक लोगों तक पंहुचने का प्रयास था। एक नारा था – हम 99 प्रतिशत है। यह सोच वर्ग संघर्ष या औद्योगिक मजदूरों के संघर्ष से कहीं अधिक व्यापक थी। वर्ग संघर्ष व सर्वहारा क्रान्ति की जगह अब मुख्य फोकस लोकतंत्र पर था व पुरानी पड़ चुकी अवधारणों से मोहभंग हो चुका था। वामपंथ के दलों ने सामाजिक समानता के वायदों को पूरा नहीं किया था और मध्यम वर्ग, युवाओं को नई राह की तलाश थी। अब अधिक लोगों तक, जनसाधारण तक, आम नागरिक तक पहुंच पाने पर जोर दिया गया। इस आधार पर नई उम्मीद, बदलाव, जीत की आशा थी।

पोदेमोस व बार्सीलोना एन कोमू आदि के चुनावों में प्रवेश से स्पेन की पहले से चली आ रही राजनीतिक दल व्यवस्था अस्त–व्यस्त हो गई थी। पोदेमोस राजनीति में एक लोक लुभावनी सोच लाई जिसके विमर्श में सरलीकरण की महत्त्वपूर्ण चुनावी भूमिका थी। बार्सीलोना एन कोमू का कहना था कि जनसाधारण की वास्तविक मांगों पर फोकस करो। इस तरह शक्ति की संरचना स्थानीय स्तर पर बदलो ताकि जनसाधारण राजनीति में सक्रिय भूमिका में आए। दूसरी ओर पोदेमोस में लोगों के विचारों के साथ नेत्तृत्व द्वारा इनकी जो व्याख्या की जाती है उसके लिए स्थान था।

बार्सीलोना एन कोमू ने सहयोग व रचनात्मकता को सीधे–सीधे उलझने–लड़ने से कहीं अधिक महत्त्व दिया। इसने सबके सामान्य हित खोजने, प्रतिष्ठित करने, उसकी जगह बनाने का प्रयास किया। यह पहले के वामपंथी दलों व पोदेमोस से भी अलग प्रवृत्ति रही है।

मिलन या संगम की सोच में यह निहित है कि उद्देश्य पहले के वामपंथी दलों को नई पहचान देना नहीं है अपितु ऐसी खुली, समावेशी व लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं आरंभ करना है जो एक अलग तरह की राजनीतिक जगह तैयार कर सकती हैं।

संगम की प्रक्रिया आगे बढ़े इसके लिए ए. रेकियों ने लिखा है कि इस प्रक्रिया में नए मॉडल को साम्यवादी के रूप में रखने या मात्र मजदूर वर्ग तक सीमित रखने से बचना होगा और इसके स्थान पर आर्थिक लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण, सामूहिकता व सार्वजनिकता को महत्त्व देना, समतावाद को महत्त्व देना होगा। (रेकियो 2016)।

राजनीति का नारीकरण

म्यूनिसिपल आंदोलन का नारीगत रूप विशेष रूप में ध्यान देने योग्य है। बार्सीलोना में नागरिक प्लेटफार्म ने अदा कलाउ को चुना जो कुछ महीने बाद बार्सीलोना की पहली महिला मेयर बन गई। इससे पहले वे एक युवा कार्यकर्ता के रूप में पी.ए.एच की अध्यक्ष व प्रवक्ता थीं। 15 एम की शुरुआत के समय से उनकी लोगों में नए सामाजिक आंदोलनों की एक प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में अधिक पहचान बनी। उनकी व पी.ए.एच. की लोकप्रियता व उनके लिए उपलब्ध व्यापक समर्थन ने उन्हें चुनावों के समय नए गठबंधन के नेत्तृत्व के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार बनाया। वे नई म्यूनिसिपल उम्मीदवारी के इन मूल विचारों से नजदीकी तौर पर जुड़ी थीं – लोगों की बुनियादी जरूरतों के लिए कार्य करो न कि निजी कंपनियों के हितों के लिए, नए तरह के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की तैयारी करो, 15 एम के नीचे से लोकतंत्र बनाने के दावे के अनुरूप कार्य करो, राजनीति को नौकरशाहों व विशेषज्ञों के हाथ में मत छोड़ो, शब्दों के जाल को छोड़कर वास्तविक कार्यों से राजनीतिक विश्वास उत्पन्न करो।

यह केवल नेत्तृत्व का मामला नहीं था अपितु आंदोलन के सभी भागों में महिलाओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई – पड़ौसी समूहों से लेकर नीति–निर्धारण तक। यह राजनीति को पित्तृसत्ता से मुक्त करने व उसे नारीगत करने की सोची–समझी रणनीति थी। बार्सीलोना एन कोमू की दो संगठन शाखाएं हैं व इनके 2 समन्वयक हैं, इनमें से 50 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।

पर जैसा कि नारीवादी आंदोलन ने स्वयं कहा है, लिंग आधारित आरक्षण ही पर्याप्त नहीं है। दार्शनिक मांटसेरन गलकेरन के अनुसार, राजनीति के महिलाकरण के तीन

महिलाओं के लिए समान अधिकार के दावों के लिए आंदोलन, 2015

तत्त्व हैं। पहला संस्थागत प्रतिनिधित्व व सार्वजनिक भागेदारी के स्तर पर लैंगिक समानता, दूसरा, पित्तृसत्तात्मकता को तोड़ने वाली व लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देने वाली सार्वजनिक नीतियों के लिए प्रतिबद्धता; तीसरा, राजनीति के नए तौर–तरीके जो दैनिक जीवन, संबंधों, समुदाय की भूमिका, व सब की सामान्य भलाई को महत्त्व देते हैं (गलकेरन व बारमोना, 2017)। इससे जुड़ी बात है कि सभी क्षेत्रों में नारीवादी सार्वजनिक नीतियों को विकसित किया जाए व विविधता, सह–जिम्मेदारी, सहयोग व गैर–प्रतिस्पर्धता के विचारों व देख–रेख का प्रचार किया जाए जिससे शक्ति संबंधी पुराने विचारों को बदला जा सकेगा। बार्सीलोना एन कोमू ने इन तीन तत्त्वों का समावेश किया है, व राजनीति के नारीकरण को अपना एक प्रमुख नारा बताया है। मेयर के लिए महिला उम्मीदवार प्रस्तुत करने से आरंभ करते हुए शहरी व शहरी जिला परिषद चुनावों में इसने बहुत से महिला उम्मीदवार उतारे। इसके चुनाव अभियान में सामान्यतः महिलाओं की मजबूत उपस्थिति थी, और शहरी सरकार में उनका प्रतिनिधित्व 60 प्रतिशत है।

संगठन के विभिन्न हिस्सों में हर स्तर में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं हर स्तर पर हैं। शहरी सरकार ने शहरी नियोजन का एक मैनुअल तैयार किया है जिसमें जेंडर पक्ष पर समुचित ध्यान दिया गया है। एक जेंडर न्याय योजना बनाई है, एक लैंगिक विविधता व जेंडर योजना बनाई है व निर्धनता के नारीकरण के विरुद्ध एक रणनीति तैयार की है। इन सभी योजनाओं से विशिष्ट कार्य जुड़े हैं जो अब कार्यान्वित हो रहे हैं। पित्तृसत्तात्मक कार्यशैली को बदलने, गलतियों को स्वीकार करने व इस आधार पर विचार बदलने, अनाश्यक टकराव के विमर्श से बचने के प्रयास भी इस दिशा में हो रहे हैं।

कदम–दर–कदम लोकतंत्र बनाना

बार्सीलोना एन कोमू एक नई राजनीति बनाने व एक सामाजिक–राजनीतिक आंदोलन बनाने का प्रयास था जिसमें पहले से कहीं अधिक नागरिक भागेदारी थी। उससे उम्मीद थी कि लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील सरकार बनाए, राजनीति करने का तरीका बदला जाए जिससे लोगों के हाथ में शक्ति आए। इससे बहुत से लोगों की उम्मीदें बनी व वे संगठन, सहयोग व वित्तीय सहायता के लिए आगे आए।

फिर ऐसी चुनौतियां सामने आई कि एक बड़े लोकतांत्रिक जन–संगठन व नई तरह की पार्टी की संरचना का सृजन कैसे हो? चुनाव से पहले इन चुनौतियों का सामना शीघ्र ही करना था। मात्र कुछ महीने उपलब्ध थे। इस तरह का संस्थागत ढांचा खड़ा करना था जिससे प्रतिनिधि लोगों के निर्देशों का पालन करें, जहां शासन जनादेश के अनुकूल चले।

संगठनात्मक ढांचे में (निर्णय प्रक्रियाओं, प्रतिनिधि चुनने, जवाबदेही, सामूहिक वित्त आदि में) वास्तव में नवप्रवर्तन हुए। अनेक समितियों, आयोगों आदि की सहायता से बहुत खुलेपन से संगठन चलता है जिससे कि पहले राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय न रहे लोग भी आयोगों आदि में भागेदारी कर सकें। आंतरिक संगठन में ऐसे 15 पड़ौस के समूह हैं जो स्वयं प्रबंधित हैं, जो किसी भी सदस्य की भागेदारी के लिए खुले हैं, हालांकि नए सदस्यों की निर्णय लेने में भागेदारी आरंभ में सीमित होती है। कई विषयों से जुड़े समूह हैं (जैसे शहरीकरण व आवास, नागरिक भागेदारी, स्वास्थ्य, नारीवाद) जो कार्यकर्ताओं व संस्थानों को जोड़ते हैं। कई तकनीकी आयोग हैं जो अनेक आवश्यक दैनिक कार्य संभालते हैं (संचार, व्यवस्थाएं, वित्त, विभिन्न राजनीतिक शक्तियों से संबंध)। एक कार्यकारी परिषद है जो समग्र रूप से समन्वय के लिए जिम्मेदार है। प्लेनरी या सभा महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का मंच है जो सबके लिए खुला है। (मीर गाशिया, 2016)

चुनावों व विजय के बाद इस संरचना को कुछ हद तक कायम रखा गया है, पर कुछ महत्त्वपूर्ण बदलाव नई स्थिति के अनुसार 'मशीन' को ढालने के लिए गए हैं ताकि पार्टी व उसके संगठन में व जो सरकार में कार्य कर रहे हैं उनमें कुछ स्पष्ट विभाजन

हो। पड़ौस के समूहों की भूमिका अब यह है कि वे नीतियों के क्रियान्वयन पर नजर रखें, नई मांगों के प्रति संवेदनशल रहें व गठबंधन के मतदाता आधार का विस्तार करें।

राजनीतिक नैतिकता का एक कोड तैयार किया गया है जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वित्त व्यवस्था, पारदर्शिता, व भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से जुड़ा है (बार्सीलोना एन कोमू, 2015)। यह कोड अपने प्रतिनिधियों के लिए कुछ नियंत्रण व निर्देश उपस्थित करता है, व चुनावी लोकतंत्र में एक महत्त्वपूर्ण प्रयोग है। म्यूनिसिपल प्रशासन के सभी सदस्यों के लिए यह नैतिक सिद्धांत मान्य हो सकें इसके कानूनी स्तर के प्रयास भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं।

इस नैतिकता के कोड में ऐसे व्यवहारिक प्रावधान है कि फंडिंग व जवाबदेही को पारदर्शी बनाया जाए, भ्रष्टाचार नियंत्रित हो (निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपनी सभी तरह की संपत्ति, आय व व्यवसाय की जानकारी खुली रखने का प्रावधान) व बिजनेस हितों में प्रतिनिधियों के अनुचित संबंधों पर रोक लगे, उनके उपहारों या टैक्स छूट या बोनस या वेतन में अत्यधिक वृद्धि पर व सत्ता में अंतहीन बने रहने पर रोक लगे।

यह आंदोलन एक यूरो के बिना ही शुरू हुआ व एक प्रतिबद्धता यह है कि राजनीति में भ्रष्टाचार पर रोक लगे। इससे पहले बड़े राजनीतिक दलों ने उन तत्त्वों से बड़ी फंडिंग ली थी जो देश में बड़े वित्तीय व आर्थिक संकट का कारण बने। अतः आंदोलन ने छोटे स्तर की डोनेशन लेने, साधारण नागरिकों को आर्थिक सहायता के लिए प्रेरित करने व सामूहिक व पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था बनाने पर ध्यान दिया।

व्यवहारिक स्तर पर इसे चुनाव अभियान के लिए इन स्रोतों से धन मिला – व्यक्तिगत सहयोग जो प्रायः वेबसाईटस के माध्यम से प्राप्त किया गया, क्राऊडफंडिग, आनलाईन स्टोर से बेचा साज–सामान व गठबंधन की एक वामपंथी पार्टी के साधन। इस पार्टी को पिछले चुनावों के परिणाम के आधार पर कुछ सरकारी फंड मिलता है। एक स्रोत से अधिकतम कितनी डोनेशन लेनी है इस पर भी रोक स्वयं लगाई, व यह स्पेन के कानून से अधिक सख्त है। पार्टी की वित्तीय व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया। उसके कुल खर्च व आय, चुनाव प्रचार के बजट, दाताओं के नाम, बिल–वाऊचर की जानकारी ऑनलाईन मिल सकती है। इस तरह राजनीतिक भ्रष्टाचार व चोरी–छिपे फंड एकत्र करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का एक प्रेरणादायक उदाहरण इस प्रयास से सामने आया।

इस जानकारी को पारदर्शी बनाने के कई मानकों (जैसे कि जानकारी का पूरा होना, आसानी से वेबसाईट पर उपलब्ध होना, आसानी से समझ आना, ओपन डेटा मानको को पूरा करना) को भी ध्यान में रखा गया। इस तरह नागरिकों के प्रति जवाबदेही की राह तैयार की गई।

आंदोलन के नैतिक कोड से संबंधित प्रक्रियाओं से रेडिकल लोकतंत्र संगठन बनाने की नई राह तैयार होती है। इन प्रक्रियाओं से जुड़े दस्तावेज भी बाद में पारदर्शी किए गए व उन पर चर्चाएं हुईं। 'जनादेश से शासन व नैतिक कोड' पर सेमिनार का आयोजन हुआ जिसके प्रशिक्षण, चर्चाओं व प्रस्तावों में सैंकड़ों लोगों की भागीदारी थी। इससे नैतिक कोड संबंधी दस्तावेज और समृद्ध हुए।

खुली प्राईमरी व उम्मीदवारों को मनोनीत करने की प्रक्रियाएं भी रोचक रहीं। नोटो की गिनती, चुनाव के तौर–तरीकों पर बड़ी बहस के बाद ही निर्णय हुए।

चुनावी कार्यक्रम को तैयार करने में काफी समय से विभिन्न आंदोलनों व संगठनों द्वारा उठाई गई मांगों का समन्वय किया गया। ऑन लाईन सुझावों व शहरों के चौराहों पर उठाई गई मांगों पर भी ध्यान दिया गया।

इस तरह जनसाधारण की भागेदारी से बार्सीलोना एन कोमू (बीइसी) के आगे आने की प्रक्रिया में चुनावी लोकतंत्र में अनेक महत्त्वपूर्ण व रोचक प्रयोग हुए।

संस्थानों पर सामाजिक आंदोलनों का नियंत्रण

नागरिक प्लेटफार्मों की चुनावी सफलता आश्चर्यजनक है। वर्ष 2014 में इनके आरंभ होने के एक वर्ष के भीतर उनके उम्मीदवार, जिनमें से अधिकांश को चुनावी राजनीति का कोई पूर्व अनुभव नहीं था, देश के अधिकांश बड़े शहरों में सत्ता के पदों में अपने आर्थिक तंगी विरोधी, नारीवादी, पर्यावरणवादी, लोकतांत्रिकता वाले एजेंडे समेत पहुंच गए। बार्सीलोना एन कामू चुनाव में खड़ी हुई, 'लोकतांत्रिक विद्रोह' व 'लोगों के लिए संस्थानों को पुनः प्राप्त करने' का नारा दिया व शीघ्र ही संस्थागत निर्णय लेने की स्थिति में पहुंच गई।

निसन्देह कुछ प्रतिकूल स्थितियां भी आईं हैं। संस्थानों में आने के दो वर्ष बाद बीइसी ने कौन से नीतिगत बदलाव लाने का प्रयास किया व इसकी मुख्य चुनौतियां कौन सी हैं? आंदोलन–संस्थान के जटिल संबंध व्यवहारिक स्तर पर क्या रूप ले रहें हैं?

आवास व पर्यटन उफान

चुनाव से पहले विभिन्न सामाजिक आंदोलन सहमत थे कि विश्व के अनेक अन्य बड़े

शहरों की तरह बार्सीलोना में वित्तीय पूंजी हित हावी हो गए हैं व लोगों के हित पीछे छूट गए हैं। भूमि का वस्तुतीकरण व वित्तीयकरण हो गया था। किराए बढ़ गए। अनेक लोग किराया न दे सके व घरों से हटाए गए। आवास व कर्ज संकट से अनेक लोगों ने बहुत कठिनाईयां सहन की थीं। पर्यटन की अनियंत्रित वृद्धि से आवास संकट और तीखा हुआ। अतः पर्यटन के स्थानों की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए व उसके लाइसेंस पर कुछ रोक लगाने के कार्य आरंभ में हुए। पर्यटन के अवैध स्थानों पर भी रोक लगी। पर्यटन की बहुत तेज, उफान की तरह वृद्धि एक उपलब्धि नहीं बल्कि एक समस्या है, इसकी समझ बनी तो इसे नियंत्रित करने के प्रयास भी हो सके।

आवास का संकट बहुत बढ़ गया था। इसे दूर करने के लिए विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के सुझाव प्राप्त किए गए हैं और आवास अधिकार की योजना 2016–25 तैयार की गई है। इस योजना में आवास पर म्यूनिसिपेलिटी का बजट प्रति वर्ष 77 प्रतिशत बढ़ता है। इससे पहले किराए बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। अतः योजना में किराएदारों को प्रत्यक्ष सहायता देने के लिए प्रावधान है व किराए पर दिए जाने वाले आवासों की संख्या बढ़ाने के ठोस सुझाव भी हैं। किराएदारों को निकालने की नौबत न आए, इसके लिए सुलह–समझौते करवाने के प्रयास भी हैं। ऐसे प्रयास हैं कि किसी को बेघर न होना पड़े। कम से कम बेघर न होने की गारंटी देने का प्रयास है।

दीर्घकालीन प्रयास भी सार्वजनिक आवास स्कीमों व कानूनी बदलावों के रूप में हो रहे हैं। किरायों की वृद्धि नियंत्रित करने के प्रयास भी हैं। उचित किराया तय करने व मुनाफाखोरी रोकने के प्रयास भी हैं।

पर विडंबना यह है कि इन सब घोषित नीतियों के बावजूद आवास संकट फिलहाल पहले से भी और उग्र हुआ है।

रेहड़ी पटरी वाले – एक जटिल संस्थात्मक चुनौती

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, विशेषकर शहर के पर्यटन स्थानों पर अस्थाई रेहड़ी पटरी वालों का कार्य, मौजूदा म्यूनिसिनल सरकार के लिए सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है। इससे बीइसी में व उसके अन्य सामाजिक आंदोलनों से संबंधों में तनाव भी बढ़े हैं।

नगर परिषद की समझ बनी है कि पुलिस की उपस्थिति बढ़ाने से समस्या हल नहीं होगी। उसने अब अधिक सामाजिक व समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। उसने कहा है कि रेहड़ी पटरी वालों को सार्वजनिक सुरक्षा का मुद्दा न मानकर एक सामाजिक मुद्दा माना जाना चाहिए जिसके रचनात्मक समाधान खोजने चाहिए – जैसे कि प्रवासियों का

बार्सीलोना में रेहड़ी–पटरी वाले

सामाजिक व व्यवसायिक स्तर पर बेहतर जुड़ाव। नगर परिषद ने उन्हें मदद करने व उनके सहकारी समूह बनाने के प्रस्ताव रखे हैं। पहला सहकारी समूह मार्च 2017 में बना जिससे पहले लाईसेंस न रखने वाले पटरी वालों को बाजार व मेलों में हस्तशिल्प व न्यायसंगत व्यापार के उत्पाद बेचने का कानूनी अधिकार मिला। पर व्यापक स्तर पर तो सरकार इस मुद्दे से जुड़ी समस्याएं नहीं सुलझा सकी है। प्रवासियों के लिए पहले से बने कानून में इस कार्य को वैधानिक नहीं माना गया है। यह भी समस्या का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। पुलिस व स्थानीय दुकानदार पटरी वालों के प्रति कड़ा रवैया चाहते हैं। दूसरी ओर मानवाधिकार समूह व कार्यकर्ता नर्म रवैया चाहते हैं। सरकार को अन्य राजनीतिक ताकतों के रुख को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इस तरह अलग–अलग दृष्टिकोणों व दबावों में समन्वय कैसे हो, यह समस्या बनी हुई है।

जनादेश को मान कर आगे बढ़ने का संदेश

'लोगों के साथ मिलकर शासन हो' 'जनादेश का पालन कर आगे बढ़ो' – यह इस आंदोलन के शासन संबंधी नारे रहे हैं। संस्थानों में प्रवेश कर आंदोलन ने न केवल सबसे महत्त्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाना था अपितु नागरिकों को नजदीकी से सार्वजनिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से जोड़ना था व इस तरह शहरी सत्ता का बड़ी कपंनियों से लोगों में पुनर्वितरण करना था।

आरंभ में नई सरकार ने बहुत सी खुली सभाओं का आयोजन किया (जिनमें से अनेक

का आयोजन जिला बोर्डों ने किया) जिनमें सैंकड़ों लोग हिस्सा लेते रहे व आज भी ले रहे हैं। नागरिक भागेदारी बढ़ाने के लिए कानूनी सुधार पर भी विचार हो रहा है। शहर व सभी जिलों के लिए नई योजनाएं बहुत भागेदारी की प्रक्रियाओं से तैयार की गईं व स्वीकृत हुईं।

जन संपर्क की भागेदारी बढ़ाने के साथ तकनीकी द्वारा भी भागेदारी बढ़ाने, डिजिटल भागेदारी बढ़ाने के अनेक प्रयास हो रहे हैं। टैक्नोलोजी ने अनेक तौर–तरीके दिए हैं (जनगणना, ऑनलाईन मतदान व्यवस्था, डिजीटल चर्चा के प्लेटफार्म) जो पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत कर सके हैं, व चर्चाओं को नागरिकों व आंदोलनों तक ले जा सके हैं।

विभिन्न तरह की तकनीकी संभावनाओं जैसे टिवट्र व फेसबुक का अलग–अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए असरदार उपयोग हुआ है। टिवट्र का उपयोग एजेंडा स्थापित करने, राजनीतिक विरोधियों की राय पर सवाल उठाने, कुछ विचारों को सामुदायिक स्तर पर फैलाने व कुछ मुद्दों पर विभिन्न विचार प्राप्त करने के लिए हुआ है। प्लेटफार्म डेसोडिम बार्सीलोना लोकतंत्र का नया सार्वजनिक डिजीटल ढांचा बनाने का प्रयास है। इसका आरंभिक उपयोग म्यूनिसिपल कार्य योजना 2016–19 के प्रसार के लिए हुआ, पर इसका अधिक उपयोग शहर की विभिन्न भागेदारी प्रक्रियाओं के संदर्भ में होता है, जैसे कि बजट की भागेदारी प्रक्रिया।

एक चिंता का विषय यह था कि आंदोलनों के बहुत से प्रमुख कार्यकर्ता जब सत्ता के गलियारों में पंहुच जाएंगे तो आंदोलनों की क्षति होगी, पर अच्छी खबर यह है कि प्रायः सामाजिक आंदोलनों में नए नेत्तृत्व का विकास हुआ है व आवास जैसे मुद्दों पर नए संघर्ष भी आरंभ हुए हैं।

ला कम्यूना नाम का स्कूल संगठन के कार्यकर्ताओं (व अन्य नागरिकों) के प्रशिक्षण व आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। इसमें बहुत विविध तरह के मुद्दों पर चर्चा के लिए जगह मिलती है।

'फिलादोरा' नामक एक नया कोष स्थापित किया गया है जो शहर में सामाजिक प्रोजेक्टों के लिए सहयोग करेगा। नैतिक कोड ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन पर सीमा लगाई तो इससे 216,000 यूरो की अधिशेष राशि इस कोष के लिए उपलब्ध हो गई जिसका उपयोग सिविल सोसाईटी एसोसिएशन के सशक्तीकरण के लिए किया जाएगा। पारदर्शिता व जवाबदेही का पालन करते हुए तीन तरह के प्रोजेक्टों को

सहयोग दिया जाता है। एक तो वे शहरी प्रोजेक्ट हैं जो कानूनी पक्ष, पर्यावरणीय टिकाऊपन, पर्यटन के असर, सबकी भलाई का शहर बनाने जैसे मुद्दों को आगे ले जाते हैं। दूसरे, वे स्थानीय तरह के प्रोजेक्ट हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिकताओं और जरूरतों से जुड़े हैं। तीसरी श्रेणी में बीईसी की सोच के अनुकूल सामाजिक आंदोलनों व संस्थानों, इनके आगे आने के लिए जरूरी अभियानों को सहायता देने का प्रयास है। प्रोजेक्ट चुनने की प्रक्रिया परदर्शिता व जवाबदेही पर आधारित है।

सार्वजनिकता का सामान्य भलाई से जुड़ाव

सबके सामान्य लाभ व उपयोगिता के कार्यों, परियोजनाओं, स्थानों का विचार बीइसी की विचारधारा का बहुत महत्त्वपूर्ण अंग है। (ओस्त्रोम, 1990; मिडनाईट नोट्स कोलेक्टिव, 1990) यह चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रहा। यह विचार बहुत समय से चले आ रहे सार्वजनिक और निजी के भेद को चुनौती देता है व कहता है कि अधिकारों और जिम्मेदारियों को संस्थानों और नागरिकों को मिलकर निभाना चाहिए। इस सोच से सहकारिता क्षेत्र, संसाधनों का प्रबंधन सामूहिकता से चलाने वाले सामाजिक संगठनों व उनके नव परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। (कास्त्रो व मार्टी – कोस्टा, 2017)।

एक कार्य समूह स्व–शासित क्षेत्रों की वैधानिक स्वीकृति की पैरवी कर रहा है। परिषद की कुछ संपत्तियां हैं जिन्हें कुछ समुदाय सामूहिक या मनोरंजनात्मक उपयोग के लिए 'सामान्य संपत्ति' के रूप में देखते हैं (जैसे कि सामुदायिक बगीचे व सामाजिक केन्द्र)। 'नागरिक विरासत' (कास्त्रो व फेजनिलो, 2016) की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए वे इस विचार का प्रसार कर रहे हैं कि कुछ सार्वजनिक संपत्तियों को अंत में उनके सामाजिक व सामुदायिक उपयोग को स्वीकारते हुए सामान्य संपत्ति की श्रेणी में शामिल कर लेना चाहिए।

स्थानीय विकास एजेंसी बार्सीलोना एक्टिवा ने एक नया विभाग आरंभ किया है जिसमें सहकारिता, सामाजिक और एकजुटता आधारित अर्थव्यवस्था व उपभोग के आयुक्त की नियुक्ति की गई है। इसका उद्देश्य वैकल्पिक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है व एकजुटता–आधारित सामाजिक अर्थव्यवस्था के लाभों का प्रसार करना है। (एजुंटामेंट दे बार्सीलोना, 2017ए)। आयुक्त ने विभिन्न कार्यकर्ताओं के सहयोग से नागरिकों द्वारा इस क्षेत्र में आरंभ प्रयासों को मजबूत किया है। इस शहर में 4500 सामाजिक अर्थव्यवस्था की पहले हैं जिनमें 53000 लोग जुड़े हैं। उनमें कुल रोजगारों का 8 प्रतिशत सृजन होता है व उनसे शहर का 7 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है।

सार्वजनिक क्षेत्रों के अनुबंधों में अब ऐसे प्रावधान होते हैं कि कंपनियां सहकारिता समूहों व सामाजिक बिजनेस को बढ़ावा देंगी। (एजुंटामेंट दे बार्सीलोना, 2016 सी)। मूलभूत समानता, पर्यावरणीय मानकों व श्रम अधिकारों को सुनिश्चित करना भी उद्देश्य है। इस तरह बड़े बिजनेस के हावी होने पर नियंत्रण है। इससे पहले म्यूनिसिपल अनुबंध (ठेके) मात्र कुछ बड़ी निजी कंपनियों तक सीमित रह जाते थे।

सहकारिता को बढ़ाने के कुछ मध्यम कालीन व दीर्घकालीन प्रयास भी किए जा रहे हैं। एक उदाहरण कोओपोलिस है, जो आर्थिक प्रसार का एक नेटवर्क है जो सामाजिक अर्थव्यवस्था की परियोजनाओं को आर्थिक सहयोग और परामर्श देता है। इससे अनेक सामाजिक अर्थव्यवस्था के प्रयासों को आरंभ करने में व आरंभिक अवस्था में मजबूती देने में मदद मिलेगी, विशेषकर अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्रों में जहां अधिक निवेश की जरूरत है।

कुछ सार्वजनिक सेवाओं को फिर से म्यूनिसिपैलेटी में लाने के प्रयास भी हो रहे हैं। कई दशकों के निजीकरण और आऊटसोर्सिंग के बाद नई म्यूनिसिपल सरकारें कई संस्थानों को फिर म्यूनिसिपेलिटी में लाई हैं (जैसे तीन निजी किंडरगार्टन, महिलाओं की देखरेख व सहयोग के केन्द्र, लैंगिक हिंसा की शिकार महिलाओं के सहायता केन्द्र आदि)। जल–प्रबंधन में भी महत्त्वपूर्ण पहल आरंभ हुई है। एक संभावना है कि जल–प्रबंधन जैसी महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सहकारिता समूह स्वीकार करें। जल–प्रबंधन पर नागरिकों, श्रमिकों व पर्यावरणविदों के एक प्लेटफार्म ने सामाजिक व पर्यावरणीय सरोकारों को आगे बढ़ाया है।

सार्वजनिक संस्थानों की सीमाएं

सामाजिक आंदोलनों ने सत्ता के संस्थानों में प्रवेश का निर्णय इस आधार पर किया क्योंकि वे बाहर से बदलाव नहीं ला पा रहे थे और मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव जरूरी हो गया था। पर कितना बदलाव वास्तव में आ सका है? शहरी अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण पर्यटन व आवास क्षेत्र गंभीर समस्याओं से जुड़े रहे पर इन क्षेत्रों में बदलाव लाने के प्रयास हुए तो म्यूनिसिपल राजनीति की सीमाएं भी सामने आईं।

निश्चित सीमाएं – जड़ता, आर्थिक शक्तियां व क्षमताएं

आरंभ से ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में बीइसी के अधिकांश कार्यकर्ताओं की सोच स्पष्ट थी कि म्यूनिसिपल चुनाव जीतने या सत्ता के संस्थानों तक पहुंच जाने मात्र से ही वास्तविक बदलाव नहीं आ जाएगा। अधिकारों की गारंटी राज्य से नहीं मिलती है, अपितु सामाजिक शक्ति के आपसी संबंधों से यह निर्धारित होती है और इसमें सामाजिक आंदोलनों की सक्रियता महत्त्वपूर्ण है।

आवास के मुद्दे का उदाहरण ले सकते हैं जो आंदोलन की केन्द्रीय मांगों में था। इसके लिए कई सुधार व उपाय अपनाए जा सकते हैं। सार्वजनिक स्तर पर आवासों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, किरायों पर सीमा लगाई जा सकती है, शहरी संसाधन आवास की सहकारी समितियों को उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, किराएदारों को हटाने पर रोक लगाई जा सकती है, जो आवासों को खाली रख छोड़ते हैं उन बैंकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, पर्यटन आवास के बाजार का नियमन किया जा सकता है। पर इन उपायों के क्रियान्वयन के लिए सामाजिक शक्ति जरूरी है। स्थानीय संस्थानों के कार्यक्षेत्र से आगे अधिक व्यापक सुधार भी जरूरी होते हैं। यह एक बड़ी संगठनात्मक चुनौती है। इससे लोगों की औपचारिक सरकार की सीमाओं की समझ भी बनती है।

मौजूदा सरकार के कार्य को प्रभावित करने वाले कई पक्ष

एक तो संस्थागत जड़ता है, जो ढर्रे बन चुके हैं उन्हें बदलने की कठिनाई है, स्थानीय नौकरशाही में तौर–तरीके न बदलने की प्रवृत्ति है, व 'जैसा चल रहा है वैसा चलने दो' वाली संस्थानों की जन्मजात प्रवृत्ति है।

इसके अतिरिक्त असरदार आर्थिक शक्तियों की भूमिका है, स्थानीय अभिजातों के गठबंधनों और लॉबी की भूमिका है जो स्थानीय सरकार पर अपना एजेंडा थोपने की क्षमता रखते हैं। मीडिया व विशेष आर्थिक हितों के समूह भी ऐसी बदलाव में रुकावट बनने वाली भूमिका निभाते हैं। सिविल सर्विस कई बार अपने ही उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संसाधनों के कुछ बड़े स्रोतों के निर्णय निजी हाथों में है व इसे म्यूनिसीपल स्तर पर बदला नहीं जा सकता है।

एक अन्य सीमा बजट उपलब्धि की है व पर्यटन, आवास, रोजगार, ऊर्जा, सरकारी खरीद जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमताओं के अभाव भी हैं। स्पेन में स्थानीय सरकारें वित्तीय दृष्टि से सबसे कमजोर है व हाल में स्पेन ने फिर से केन्द्रीयकरण बढ़ाने वाले कुछ कदम उठाए है जिससे स्थानीय सरकारों की शक्ति और कम हुई है।

नई, कम अनुभव वाली सरकार की सीमाएं समझने के लिए यह भी जरूरी है कि नगर परिषद पर इसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है। परिषद की 41 सीटों में बीइसी के पास

मात्र 11 सीटें हैं जबकि पहले वाले शासक दल के पास 10 सीटें हैं। इस कारण बजट जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विरोधी पक्ष से समझौता करना पड़ता है। इस स्थिति में बीइसी को कैटेलन सोशलिस्ट पार्टी (जिसने शहर में 1979 से 2010 तक शासन किया) से कुछ समझौता करना पड़ा है। इसकी आलोचना बीइसी के अधिक उग्र समर्थकों ने की है।

बीइसी की कुछ सीमाएं अपने समर्थन आधार की सोच से भी जुड़ी हैं। इन सीमाओं से पता चलता है कि सक्रिय आंदोलनों व मंचों के लिए व्यापक गठबंधन बनाना बहुत महत्त्वपूर्ण है। एक अन्य पक्ष यह है कि दीर्घकालीन संस्थानात्मक बदलाव के प्रयास जारी रहें, पर साथ ही लोगों से यह संवाद भी बना रहे कि फिलहाल कुछ तरह का बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है। जो भी कठिनाईयां या मतभेद हों, उनको खुले में लाना चाहिए, जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए।

स्थानीय क्षमताओं से आगे केन्द्रीय राज्य से व्यवहार

पिछले कुछ वर्षों से स्पेन की सरकार ने केन्द्रीयकरण की मजबूत करने की रणनीति अपनाई हुई है जिससे स्थानीय सरकारों की शक्ति कम हो रही है। वर्ष 2017 में स्पेन की संसद ने मोंटोरो कानून पास किया जिसने केन्द्रीय व राज्य सरकारों के बजट के घाटे पर सीमा लगाई व सार्वजनिक खर्च को कम किया।

इसका व्यवहारिक असर यह हुआ कि म्यूनिसिपलेटियों का बजट और क्षमताएं कम हो गए। उन्हें बजट संतुलन बनाना होता है व नया स्टाफ नियुक्त करने में इस कारण प्रायः बहुत कठिनाई आती है। इस कानून से म्यूनिसीपेलिटी के लिए नई नीतियां विकसित करना कठिन हो गया है व कई संदर्भों में पुरानी नीतियों को कार्यान्वित करना भी कठिन हो गया है। कई मामलों में इस कारण ही कुछ सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण करना पड़ा व कर्ज के भुगतान को अधिक महत्त्व देने के कारण बुनियादी जरूरतों पर समुचित ध्यान देना पीछे रह गया।

स्थानीय सरकार के पास जिम्मेदारियां तो बहुत है, पर उनकी आर्थिक और वैधानिक शक्ति बहुत सीमित कर दी गई हैं जिससे उनकी कठिनाईयां बढ़ गई हैं। सौभाग्यवश बार्सीलोना में बजट की सीमा समस्या ने अभी अधिक समस्याएं उत्पन्न नहीं की हैं। अतः कुछ सेवाओं के निजीकरण का अंत कर उन्हें फिर म्यूपिसिपेलिटी में ले लिया गया है। सामाजिक परियोजनाओं के लिए शहर का बजट 2016 में 5.5 प्रतिशत बना व 2017 में 4.7 प्रतिशत।

अपनी सीमित वैधानिक शक्तियों के बावजूद कुछ नए क्षेत्रों में बीइसी सरकार ने असरदार भूमिका निभाई है व उसे अन्य शहरों के लोगों से भी सक्रिय नागरिक समर्थन मिला है।

जब शरणार्थियों का संकट आरंभ हुआ तो आरंभ में स्पेन की सरकार ने कहा कि वह 1500 शरणार्थियों को स्वीकार करेगी। बीइसी सरकार ने कहा कि इतने शरणार्थी तो केवल बार्सीलोना शहर स्वीकार कर लेगा। कुछ अन्य शहरों ने भी ऐसी घोषणा की। इस स्थिति में स्पेन को यह घोषणा करनी पड़ी कि वह 1500 की जगह 17000 शरणार्थियों को स्वीकार करेगा।

संस्थागत रुकावटों को दूर करने की संभावनाएं

म्यूनिसिपेलिटी आधारित रणनीति की राह में आ रही बाधाएं, मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देने में आ रही परेशानियां और इसके कारण बदलाव का वायदा पूरा करने में आ रही कठिनाईयां तो स्पष्ट हैं। इस कारण नई राजनीति व आंदोलनों के बीच भी तनाव आ रहे हैं। सामाजिक आंदोलनों से गठबंधन बनाना व अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना जरूरी है। बीइसी के लिए आज यह चुनौती है कि वह राजनीतिक संगठन की ओर बढ़े। सामाजिक चेतना लाने की अपनी क्षमता को बनाए रखे व अन्य समूहों से जरूरी समझौते भी बनाए रख सके। एक अन्य रणनीति यह है कि अन्य शहरों से गठबंधन बनाए जाएं ताकि परस्पर मिल कर विभिन्न प्रतिकूलताओं का सामना किया जाए।

सामाजिक आंदोलनों से एकजुटता

बीइसी में आरंभ से ही इस बात पर जोर दिया कि संस्थागत ढांचे के भीतर और बाहर, राज्य व गली–मोहल्ले की कार्यवाही के बीच में कोई कृत्रिम विभाजन–रेखा व बड़ी दीवार न बनाई जाए। आंदोलन संस्थानों को हथियाने की ओर बढ़े, पर वहां रुक न जाए व इसके बाद भी म्यूनिसिपलवाद में सामाजिक आंदोलन का आयाम जुड़ा रहे। इससे संस्थागत स्तर की कमजोरियों को दूर करने में व शक्तिशाली स्वार्थों के असर का सामना कर उसे कम करने में सहायता मिलती है।

राजनीति के क्षेत्र में बड़े लोकतांत्रिक बदलाव के लिए, संस्थानात्मक सीमाओं से आगे जाने के लिए सामाजिक आंदोलनों में व्यापक एकजुटता बहुत जरूरी मानी गई है। बीइसी अपने बजट को बचा सकी, इसके अनेक सामाजिक पक्षों जैसे नई नर्सरियां बनाने, सबसे गरीब क्षेत्रों में संसाधन उपलब्ध करवाने को आगे बढ़ा सकी, इसकी

वजह यह थी कि इन मुद्दों पर जन–भागेदारी बढ़ रही थी जिसे बीइसी ने ही आगे बढ़ाया था।

बीइसी खुले समझौतों को बनाने की, एकता बढ़ाने की नीति अपना रही है जिससे स्थानीय स्तर के विभिन्न विवादास्पद मुद्दों से जूझने की क्षमता तैयार हो (जैसे कि बजट सीमा वाले मोंटोरो कानून का विरोध, आवास संकट सुलझाना व जल–आपूर्त्ति जैसी निजीकृत की गई सेवाओं को फिर म्यूनिसिपेलिटी के दायरे में लाना।)।

ऐसे मुद्दों पर तब महत्त्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं जब गठबंधनों ने मिलकर नागरिकों को इन मुद्दों पर जागृत किया। संस्थात्मक स्तर के प्रयास को मोहल्ले स्तर के प्रयास से पूर्णता मिली। यह द्विस्तरीय शक्ति की सक्रियता है, दोनों स्तरों की अपनी उचित भूमिका है – संस्थान स्तर की भी व मोहल्ले स्तर की भी। एक ओर सामाजिक आंदोलन राजनीतिक एजेंडा तय करते हैं, इन मुद्दों पर जन–चेतना लाते हैं, कुछ समाधानों का प्रसार करते हैं, दूसरी ओर राजनीतिक दलों की बदलाव लाने की क्षमता है, सरकार व उसके कानून, नीतियां व संसाधन हैं। दोनों स्तरों पर प्रयास पूरक हो सकते हैं, दोनों में से एक को ही चुनने की बात नहीं है। क्यूटेट विला जिले में इस तरह के द्विस्तरीय प्रयास से एक पुराने पड़े भवन का उपयोग बहुत से लोगों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए हो सका।

सामाजिक आंदोलनों के महत्त्व को समझते हुए उनकी आलोचनाओं को भी नई सरकार ने सकारात्मक रूप से कई बार लिया है। अदा कोलउ को पी.ए.एच. के एक सदस्य का आवास समस्या सुलझाने के लिए बने कानून का पालन पूरी तरह न करने का पत्र मिला तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप जैसे जागरुक व संगठित नागरिक ही हम पर सही कार्यों के लिए दबाव बनाते रहेंगे, धक्का देकर आगे बढ़ाएंगे। हमें आपकी जरूरत है, आप हमारी ताकत हैं। (कोलउ, 2015)।

बीइसी ने सामाजिक आंदोलनों के साथ मिलकर शहर में एक नई संस्कृति बनाई है जिससे नागरिकों में प्राथमिकताओं व मूल्यों के बारे में एक नई चेतना है। जहां पहले पर्यटन से जुड़ी स्थानीय समुदायों की समस्याएं उपेक्षित थीं, अब इनके बारे में, इसके नियमन के बारे में सोची–सुलझी समझ बनी है।

अन्तर्राष्ट्रीयता स्तर पर रिसपांस

जून 2014 से आरंभ से ही बीइसी की स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रीयता की समझ थी कि भूमंडलीय स्थितियां स्थानीय संघर्ष को कैसे प्रभावित करती हैं, व स्थानीय संघर्षों का भी भूमंडलीय स्थिति पर कैसे असर पड़ सकता है। उसने अपने घोषणा–पत्र में कहा था, "बार्सीलोना में एक लोकतांत्रिक विद्रोह केवल स्थानीय घटना नहीं होगी। यह ऐसे अनेक तृणमूल संघर्षों से संबंध बनाएगा जो मौजूदा राजनीतिक व वित्तीय व्यवस्था को तोड़ना या हटाना चाहते हैं व इसके लिए नीचे से, जमीनी स्तर से प्रयास करते हैं, फिर चाहे यह प्रयास कैटालोनिया में हो, पूरे स्पेन में हो, यूरोप में हो या कहीं भी हों।"

चुनाव के बाद बीइसी ने दो अलग–अलग पर परस्पर पूरक अन्तर्राष्ट्रीय रणनीतियां विकसित करनी आरंभ की, एक संस्थानात्मक स्तर पर दूसरी राजनीतिक आंदोलन बनाने के लिए। दोनों का फोकस अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्कों को विकसित करने और उनका उपयोग करने पर है ताकि सबके लिए सामान्य चुनौतियों का सामना किया जा सके। उद्देश्य यही है कि मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों से लोगों में जो अंसतोष है उसका उपयोग भूमंडलीय स्तर पर नेटवर्किंग से वास्तविक बदलाव लाने के लिए किया जाए।

शहरों के भूमंडलीय पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष में मुख्य भूमिका पर डेविड हार्वे के विचारों (हार्वे 2012), मरे बुकचिन (बुकचिन 2006) व अबदुल्लाह ओकलन (ओकलन 2015) के सिद्धांतों से अंतर्राष्ट्रीय म्यूनिसिपलवाद प्रभावित हुआ है।

संस्थागत स्तर पर बीइसी ने अन्य म्यूनिसिपल सरकारों के साथ उद्देश्यों की समानता के आधार पर व्यवहारिक एकजुटता पर फोकस किया है। टी टी आई पी व सी ई टी ए व्यापार समझौतों के विरुद्ध यूरोप की स्थानीय व क्षेत्रीय कार्यक्रमों की सक्रियता में बीईसी की अग्रणी भूमिका रही, व बार्सीलोना को टी टी आई पी मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया।

2015 की ग्रीष्म ऋतु में जब बहुत से प्रवासी समुद्र में डूब गए व दक्षिण यूरोप में प्रवासियों के लिए व्यवस्था करने में कठिनाईयां आईं, बीइसी सरकार शरणार्थियों की सहायता के लिए आगे आई व बार्सीलोना को 'शरणार्थी नगर' घोषित किया। बीइसी ने ट्रंप प्रशासन की प्रवासी संबंधी नीतियों का कड़ा विरोध किया। बीइसी का प्रयास है कि विश्व में अनुकूल राजनीतिक रुझान वाले म्यूनिसिपल आंदोलन का नेटवर्क हो। बीइसी की अंतर्राष्ट्रीय समिति की इसमें प्रमुख भूमिका है। यह विश्व के म्यूनिसिपल आंदोलनों को तीन भागों में बांटती है। जो अब सरकार में हैं, जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं या विरोधी दलों में हैं, व जो सत्ता के संस्थानों से बाहर रहकर प्रयास करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय समिति की रणनीति का सारांश एक लेख में मिलता है जो दिसंबर 2016 में

इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ – 'म्यूनिसिपल आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय क्यों होना चाहिए?' (शीया, बारदेना, फेरेर व रोथ–2016)। इस लेख में कहा गया है – 'हमें एक राजनीतिक जगह बनानी चाहिए ताकि हम दूसरों के साथ मिलकर, अधिक ताकत से व अधिक स्थानों पर राज्य व बाजार द्वारा लोकतंत्र को पंहुचाई जा रही क्षति को चुनौती दे सकें। हमारे विरोधी बहुराष्ट्रीय हैं अतः हमारा जवाब भी बहुराष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ज्यादतियों पर नियंत्रण लगाने की हमारी क्षमता अन्य बड़े शहरों (जैसे सान फ्रांसिसको, एमेस्ट्रडम, न्यूयार्क व बर्लिन) में आवास अधिकार के संघर्षों की सफलता पर भी निर्भर करेगी"।

कार्यक्रम के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समिति के कार्य के चार पक्ष हैं – (1) म्यूनिसिपलवाद और उसकी संभावनाओं के विचार को संचार व प्रशिक्षण द्वारा मजबूत करना (लेख, अनुवाद, कार्यशालाएं), (2) म्यूनिसिपलिक नेटवर्क को बढ़ना व उसको नक्शीकृत करना, (नई पहल की पहचान करना, उनसे संबंध बनाना, आपसी सहयोग बढ़ाना, (3) महत्त्वपूर्ण म्यूनिसिपल नीति क्षेत्र में विचारों व समाधानों का आदान–प्रदान (4) महत्त्वपूर्ण अवसरों पर एक दूसरे को राजनीतिक सहयोग देना।

कई मीटिंगों के बावजूद अभी इस दिशा में प्रगति होनी है।

निष्कर्ष

इस निबंध में म्यूनिसीपलवाद की सीमाओं और संभावनाओं की समझ बनाने का प्रयास किया गया। बीइसी इसका एक मॉडल है कि चुनावों व संस्थागत राजनीति के प्रति एक खुला व भागेदारी का नजरिया कैसे बनाया जाए। पर चुनाव जीतने के बावजूद, राजनीतिक दल व आंदोलन संगठन बनाने के बावजूद, संस्थानात्मक बाधाएं जारी हैं। आज विदेशी निवेश के फंड, बड़ी कंपनियों या उच्च–स्तरीय प्रशासन की बाधाओं की तुलना में म्यूनिसिपल शक्ति की सीमाएं भी नजर आ रहीं हैं।

इन दो वर्षों के दौरान बार्सीलोना की सरकार की अनेक क्षेत्रों में कई उपलब्धियां व प्रतीकात्मक अनुभव रहे हैं जैसे पर्यटन, आवास, बुनियादी शहरी सेवाएं, राजनीति का नवीकरण, सरकारी खरीद, सहकारी अर्थव्यवस्था, समुदाय–आधारित शहरी विकास एजेंडा, पुनर्वितरण में व विषमता कम करने में।

किन्तु सामाजिक, स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्रों में सामाजिक निवेश इन दो वर्षों में दोगुना करने के बावजूद, आर्थिक संवृद्धि के दौर में विषमताएं बढ़ी हैं व बेरोजगारी कम नहीं हुई है। निजीकृत हुई पानी व बिजली जैसी सेवाओं को फिर से म्यूनिसिपल दायरे में

लाने में कई कठिनाईयां उपस्थित हुई हैं क्योंकि इसमें वैधानिक व प्रशासनिक बाधाएं हैं। कुछ नई सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के कार्य को विपक्ष ने रोक दिया है।

सरकार की प्राथमिकता के क्षेत्रों पर्यटन व आवास में यह सीमाएं और भी अधिक नजर आई हैं। अनियंत्रित पर्यटन, विशेषकर इससे जुड़े अवैध कार्यों पर रोक लगाने के अनेक प्रयास हुए हैं, पर पर्यटकों की संख्या फिर भी बढ़ी है। आवास में निवेश चार गुना बढ़ाया गया है। किराया न देने वालों को हटाने से रोकने, बेघरपन की स्थिति को रोकने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं। इसके बावजूद आवास संकट दूर नहीं हुआ है और किराए बहुत बढ़ गए हैं। किराए को नियंत्रित करने की नीति राज्य सरकार के दायरे में है। यूरोपीयन यूनियन के नव–उदारवादी निर्देश भी अनुकूल नहीं हैं।

बार्सीलोना के प्लाका दे सांतयाउमे में पर्यटक

यदि म्यूनिसिपल सरकार के पास इतना धन हो कि वह लगभग एक लाख आवास बनाकर उन्हें कम किराए पर दे सके, तो किराए की दर कम हो जाएगी पर इतने संसाधन अभी सरकार के पास नहीं हैं। पी.ए.एच. ने आलोचना की है कि नई आवास परियोजना की प्रगति बहुत धीमी है। मोंटेरो कानून के कारण स्थिति और कठिन हो गई है।

कई बार समुदायों को आवास व अन्य जिम्मेदारियों में भागेदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, पर इन जिम्मेदारियों के अनुकूल उनकी क्षमताएं नहीं बढ़ाई जाती है

जिससे कि अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं। यह प्रवृत्ति दक्षिण यूरोप के कई शहरों में देखी जाती है जहां वास्तविक क्षमता को नजरअंदाज कर ऐसे समाधान समुदायों पर थोप जाते हैं जो उन पर अत्यधिक बोझ डाल देते हैं। इससे सरकार व आंदोलन के कमजोर संबंध भी प्रकट होते हैं।

पर दूसरी ओर बीइसी के प्रयास की आगे ले जाने के कई सार्थक और संभावनाओं भरे विचार भी सामने आते रहे हैं। म्यूनिसिपलवाद को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे अनेक संस्थानों में एकता व मिल कर केन्द्रीय सत्ता के सामने अपनी समस्याओं (जैसे संसाधनों की कमी) की आवाज उठाने पर चर्चा हो रही है। इन्हें आगे ले जाने के साथ अपने मूल सरोकारों और उद्देश्यों को याद रखना व सामाजिक आंदोलनों के नेटवर्क को मजबूत करना जरूरी है। ऐसे संस्थान बनाना जरूरी है जिनमें जन–भागेदारी को कहीं अधिक स्थान मिले। मेयर के कार्यालय की दीवार पर लगे एक पोस्टर में ठीक ही लिखा है, "हम यह कभी न भूलें कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं व यहां क्यों हैं।"

नोट्स :

1. इस नई राजनीतिक ताकत पोदेमोस ने भी कहा है कि इसकी जड़ें 15 एम आंदोलन में हैं। इसे मई 2014 में उस समय अप्रत्याशित चुनावी सफलता मिली जब इसने यूरोपीयन संसद में छः सीटें प्राप्त कर लीं। 2014–15 में पोदेमोस के स्थानीय समूहों ने अनेक शहरों में म्यूनिसिपल नागरिक प्लेटफार्मों में भागेदारी की। फिर भी प्रायः पोदेमोस और म्यूनिसिपल प्लेटफार्म दो अलग राजनीतिक इकाईयां हैं।

उस समय केटेलेन स्वतंत्रता का मुद्दा केटेलेनिया के संस्थागत एजेंडा में प्रमुख मुद्दा था। यह वामपंथ के लिए विभाजनकारी मुद्दा रहा है। म्यूनिसिपल स्तर पर कार्य करते वक्त इस राष्ट्रीय प्रश्न पर अलग विचार रखने वाले भी बार्सीलोना में समान उद्देश्यों के लिए एक हो सके।

संदर्भ :

Ajuntament de Barcelona (2015) Registre públic d'enquestes i estudis d'opinió: L'activitat turística a la ciutat de Barcelona 2015. Presentació de resultats. Available at: https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/ documents/enquesta_de_lactivitat_turistica_a_barcelona_2015.pdf [accessed February 15, 2018].

Ajuntament de Barcelona (2016) The Special Tourist Accommodation Plan (PEUAT). Available at: http://ajuntament.barcelona.cat/pla-allotjaments-turistics/en/ [accessed February 15,2018].

Ajuntament de Barcelona (2016b) Diomcoop is born, a cooperative about sales, services and dignity. March 23. Available at: http://www.barcelona.cat/ infobarcelona/en/diomcoop-is-born-a-cooperative-about-sales-services- and-dignity_485598.html [accessed February 15, 2018].

Ajuntament de Barcelona (2016c) Social public procurement guide. Available at: http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/pdf/social-public-procurement-guide.pdf [accessed February 15, 2018].]

Ajuntament de Barcelona (2017a) The impetus plan for the social and solidarity economy 2016 – 2019. Available at: https://www.slideshare.net/ Barcelona_cat/the-impetus-plan-for-the-social-and-solidarity-economy-20162019

Ajuntament de Barcelona (2017b) Barcelona: Collaborative policies for the collaborative economy. Available at: https://www.slideshare.net/Barcelona_cat/ bcn-digital-barcelona-collaborative-policies-for-the-collaborative-economy [accessed February 15, 2018].

Aragón, P. (2015) When a movement becomes a party. Decentralised citizens engagement technologies. Available at: http://dcentproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/D2.3-results-of-the-data-analyses_FINAL.pdf [accessed February 15, 2018].

Barcelona en Comú (2014) Propuesta organizativa. Available at: https://guanyembarcelona.cat/wp-content/uploads/2014/06/propuesta_ organizativa_cast.pdf [accessed August 19, 2017].

Barcelona en Comú (2015) Governing by obeying – code of political ethics. Available at: https://barcelonaencomu.cat/sites/default/files/pdf/codi-etic-eng.pdf [accessed August 19, 2017].

BComú Global (2015) How to win back the city. The Barcelona en Comú guide to building a citizen municipal platform. Available at: https://barcelonaencomu. cat/sites/default/files/win-the-city-guide.pdf [accessed August 19, 2017].

BComú Global (2016) Barcelona votes for public control of water. Medium. December 1. Available at: https://medium.com/@BComuGlobal/barcelona-votes-for-public-control-of-water-a458ad9cdcb4 [accessed February 15, 2018].

Baird, K. S. (2015) Beyond Ada Colau: The common people of Barcelona en Comú. OpenDemocracy. Available at: https://www.opendemocracy.net/can-europemake-it/kate-shea-baird/beyond-ada-colau-common-people-of- barcelona-en-com%C3%BA [accessed February 15, 2018].

Baird, K. S., Bárcena, E., Ferrer, X. & Roth L. (2016) Why the municipal movement must be internationalist. Medium. December 21. Available at: https://medium.com/@BComuGlobal/why-the-municipal-movement-must- be-internationalist-fc290bf779f3 [accessed February 15, 2018].

Blanchar, C. & Mumbrú Escofet, J. (2014) Una plataforma ciudadana lanza a Ada Colau a la alcaldía de Barcelona. El Pais. June 15. Available at: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/14/catalunya/1402768603_539605.html [accessed February 15, 2018].

Blanco, I. & Gomà, R. (2016) El municipalisme del bé comú. Barcelona: Icària. ISO 690

Bookchin, M. (2006) Seis tesis sobre municipalismo libertario. Tierra de Fuego.

Castro-Coma, M. & Fresnillo & Moreno (2016) Comuns urbans – patrimoni ciutadà. Marc conceptual i propostes de línies d'acció. Available at: http://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/sites/default/files/documents/patrimoni_ciutada_marc_

conceptual_v.3.0.pdf [accessed February 15, 2018].

Castro-Coma, M., & Costa, M. M. (2017) Com comunalitzar allò públic: L'oportunitat municipalista. Nous Horitzons. 215, 32-39. ISO 690

Colau, Ada (2015) Respuesta a la carta de la PAH in Blog of Ada Colau. December 2, 2015. Available at: http:// adacolau.cat/es/post/respuesta-la-carta-de-la-pah [accessed February 15, 2018].

Colau, Ada (2017): Ada Colau on new cooperative for unlicensed street vendors. Medium. March 24, 2017. Available at: https://medium.com/ @BComuGlobal/ada-colau-on-new-cooperative-for-unlicensed-street-vendors- 76ff3588db6a [accessed February 15, 2018].

Collado, Á. C. (2016) Ciclos políticos y ciclos de movilización. Entre el 15M, Podemos y nuevos municipalismos. Historia Actual Online. 40, 79-94.

Collado, Á. C. (2015) Podemos y el auge municipalista. Sobre partidos-ciudadanía y vieja política. Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales. 32, 169-190.

Fernàndez, A. & Miró, I. (2016) L'Economia social i solidària a Barcelona. Barcelona: Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària. Available at: http://www.laciutatinvisible.coop/wp-content/uploads/2016/02/essb_ def3.pdf [accessed February 15, 2018].

Galcerán, M. & Carmona, P. (2017) Los futuros del municipalismo. Feminización de la política y radicalización democrática. eldiario.es. January 19, 2017. Available at: http://www.eldiario.es/tribunaabierta/municipalismo- Feminizacion-politica-radicalizacion-democratica_6_603399694.html [accessed August 19, 2017].

Gallego-Díaz, S. & Martínez, G. (2017) La política represiva de la cúpula del estado ha aumentado el apoyo al independentismo. Contexto y Acción. January 7, 2017. Available at: https://ctxt.es/es/20170104/Politica/10414/ Ada-Colau-Barcelona-vivienda-turismo-municipalismo-Podemos-instituciones-activismo.html [accessed August 19, 2017].

Charnock, G., Purcell, T. & Ribera-Fumaz, R. (2012) ¡Indígnate!: The 2011 popular protests and the limits to democracy in Spain. Capital and Class. 36 (1), 3-11.

Harvey, D. (2012). From the right to the city to the urban revolution. New York: Verso.

Al Jazeera (2017). Barcelona's mayor: The city is losing its identity. Al Jazeera. April 15, 2017. Available at: https:// www.aljazeera.com/programmes/ talktojazeera/2017/04/barcelona-mayor-city-losing-identity-170412082645192. html [accessed February 15, 2018].

López, I., Rodríguez, E. (2011) The Spanish model. New Left Review. 69, 5-29.

Bárcena Menéndez, Lucía (2015) Barcelona is declared free TTIP and CETA zone. October 5. Available at: https:// stop-ttip.org/blog/barcelona-is-declared-free-ttip-and-ceta-zone/?noredirect=en_GB [accessed February 15, 2018].

Observatorio Metropolitano (2014) La apuesta municipalista. La democracia empieza por lo cercano. Crítica, 11-76.

Maldita Hemeroteca (2015) Cuando el PP pedía al 15M que se presentara a las elecciones. eldiario. es. May 25, 2015. Available at: http://www.eldiario.es/ malditahemeroteca/Video-PP-pedia-presentara-elecciones_6_ 391670830.html [accessed February 15, 2018].

Martínez, R. & Forné, L. (2017) La defensa de los bienes comunes y de instituciones público-comunitarias. Nous Horitzons, (215), 12-20. ISO 690

Mir Garcia, Jordi (2016) A Democratic Revolution Underway in Barcelona. Near Futures Online. 1 ("Europe at a Crossroads"). Available at: http://nearfuturesonline.org/a-democratic-revolution-underway-in-barcelona-barcelona- en-comu/ [accessed February 15, 2018].

Pina García, Míriam (2016) Cities speak up to back citizen rights and reject the TTIP. El Digital Barcelona. April 21. Available at: http://www.barcelona.cat/ infobarcelona/en/cities-speak-up-to-back-citizen-rights-and-reject-the- ttip_325686.html [accessed February 15, 2018].

Monterde, A. et. al. (2015) De las redes y las plazas al espacio institucional: Movimiento-red 15M e iniciativas electorales emergentes.Empiria: revista de metodología deficiencias sociales.

The Provisional University (ed.) (2015) Municipal revolution, May 2015. Provisional university. May 25. Available at: https://provisionaluniversity. wordpress.com/2015/05/27/municipal-revolution-may-2015/ [accessed February 15, 2018].

Ostrom, E. (2015) Governing the commons. The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.

Ocalan, A. (2015) Democratic confederalism. Lulu Press, Inc. ISO 690

Recio, A. (2016) El país dels comuns. Mientras tanto.

Roth, L. & Baird, K. S. (2017) Left-wing populism and the feminization of politics. Roar Magazine. January 13. Available at: https://roarmag.org/essays/left-populism-feminization-politics/ [accessed February 15, 2018).

Rodríguez López, E. (2016) La política en el ocaso de la clase media. Madrid: Traficantes de Sueños.

Rodríguez López, E. (2017) Por qué fracasó la democracia en España. La Transición y el régimen del 78. Madrid: Traficantes de Sueños.

Rosanvallon, P. (2007) La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza. Buenos Aires: Manantial.

Rubio-Pueyo, V. & La Parra, P. (2015) The prospects for Radical Democracy in Spain. In These Times. May 22. Available at: http://inthesetimes.com/article/ 17985/spains-municipal-elections-and-the-prospects-for-radical- democracy [accessed February 15, 2018].

Suñé, R (2017) Barómetro Municipal. El turismo desbanca al paro como principal problema de barcelona, según una encuesta del ayuntamiento.)La Vanguardia. June 23. Available at: http://www.lavanguardia.com/ local/barcelona/20170623/423617468794/turismo-desbanca-paro-principal-problema-barcelona.html [accessed February 15, 2018].

Zechner, M. (2015) Barcelona en Comú: The city as horizon for radical democracy. Roar Magazine. March 4. Available at: https://roarmag.org/essays/barcelona-en-comu-guanyem/ [accessed February 15, 2018].

विकास के आगे : सामाजिक आर्थिक विनाश की मशीन को रोकना व वैकल्पिक विश्व बनाना

ग्लोबल वर्किंग ग्रुप बियाण्ड डेवेलेपमेंट

इस अध्याय को राफेल हाटमेयर और मिरियम लांग ने लिखा व संपादित किया। यह क्विटो में हुई चर्चाओं पर व इन व्यक्तियों के संपादन, टिप्पणियों और सुझावों पर आधारित हैं – क्लाउस डीटर कोनिग, नीमा पाठक ब्रूमे, डेविड फिग, लैरी लोहमैन, एडगार्डो लैडर, आशीष कोठारी, मबरुका मबारक, गियारगोस वालेग्रेकिस, फर्डीनैंड मुगनयलर, केरिन गेबर्ट, इवॉने यानेज, ट्रेंग यिह्यू ग्ययेन, माओरो कास्त्रो, बीट्रिज रोड्रीगेज, एरियल सेलेह, मेरी एन मनाहन, इरमा वेलास्कवेज, एलेन्द्रिया विलियम्स, विनोद कोष्टी, मधुरेश कुमार, असूमे ओस्योका, इब्राहिम थियाम व मैक्सिमा कोम्बेज।

ग्लोबल वर्किंग ग्रुप बियाण्ड डेवेलेपमेंट की दूसरी मीटिंग इक्वेडोर की राजधानी क्विटो में नाबॉन काऊंटी में मई 2017 में हुई। इस मीटिंग में हुए विश्लेषण व संवाद को संपादित करने की सामूहिक प्रक्रिया में यह अध्याय लिखा गया है। यह हमारी दुनिया के मौजूदा ऐतिहासिक दौर को, इसकी आधिपत्य की प्रवृत्तियों को, बहुपक्षीय बदलाव की संभावनाओं व चुनौतियों को समझने का एक प्रयास है। हमारी चर्चाओं की जड़ें संघर्षों व विकल्पों के हमारे स्थानीय अनुभवों में रही हैं।

इस वर्किंग ग्रुप का परिप्रेक्ष्य बहुपक्षीय सामाजिक बदलाव का रहा है जो प्रस्तावना में बताया गया। न्याय, गरिमा, लोकतंत्र और जीवन के टिकाऊपन को मजबूत करने के लिए सामाजिक बदलाव की कम से कम पांच महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाएं चाहिए।

- वि–उपनिवेशीकरण
- पूंजीवाद का विरोध
- जातिवाद व नस्लवाद का विरोध
- पित्तृसत्तात्मकता को हटाना
- प्रकृति के प्रति आक्रमक संबंधों को बदलना

इस ग्रुप की मान्यता है कि यदि संकट से घिरी हमारी सभ्यता द्वारा किए जा रहे सामाजिक व पर्यावरणीय विनाश को रोकना है तो ऐसा रेडिकल बदलाव जरूरी है जो समाज, अर्थव्यवस्था व राजनीति की जड़ों से आया हो। समूह के कुछ सदस्यों का मानना था कि आध्यात्मिकता और कोस्मोविजियन भी इस बदलाव के महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं। कोस्मोविजियन दुनिया को देखने के देशीय समुदायों व आंदोलनों के समग्र नजरिए से जुड़ा है जिसमें प्रकृति व मनुष्य, व्यक्ति व समुदाय, भूतकाल व भविष्य आपस में जुड़े हैं, अलग नहीं हैं।

हमारे विश्लेषण को अनेक तरह के भूमंडलीय विमर्श से प्रेरणा मिली जैसे कि इको–फेमिनिज्म, कामन्स, सामाजिक पर्यावरणीय बदलाव, प्रकृति के अधिकार, नवृद्धि (डीग्रोथ), ट्रांसीशन सोच व अन्य तरह की सोच। प्रायः यह विमर्श सामाजिक बदलाव की राह दिखाने में अधिक प्रभावी रहा है, न कि व्यवहारिक बदलाव की रणनीति बताने में। इसके अतिरिक्त हमारा ग्रुप उन अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षकों–प्रशिक्षकों व कार्यकर्ताओं को जोड़ता है जो बदलाव की राजनीति व सामाजिक आंदोलनों की प्रक्रियाओं से गहराई से जुड़े रहे हैं, व जो दैनिक स्तर पर सामाजिक बदलाव की वास्तविक व व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करते हैं।

हमारा इक्वेडोर की मीटिंग के लिए मुख्य उद्देश्य था बहुपक्षीय सामाजिक बदलाव की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना। हमें कौन सी रणनीतियां चाहिए? हम यह कार्य किस तरह करें जिससे हम हाशिए पर न रहें अपितु अपने समाज में हमारा पूर्ण विस्तार हो? हम इस विरोधाभास को कैसे सुलझाएं कि गहरा सांस्कृतिक बदलाव तो धीरे–धीरे आता है पर तेज होते सामाजिक–पर्यावरणीय विनाश को शीघ्र रोकना बहुत जरूरी है? हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि बदलाव लोकतांत्रिक, स्वतंत्रताएं बढ़ाने वाले माहौल में आए? किस तरह के संस्थान इन बदलाव की प्रक्रियाओं के टिकने के लिए जरूरी हैं? इस तरह के सवालों पर हमने चर्चा की।

बेशक आज के समाजों की जटिलताओं को देखते हुए यह बहुत बड़े सवाल हैं, और एक अन्य पक्ष यह भी है कि हमारे ग्रुप में बहुत विविध तरह की परिस्थितियों से आए व्यक्ति हैं।

हमने चार केन्द्रीय प्रश्नों पर फोकस किया व वे इस लेख का केन्द्रीय भाग हैं।

- लोकतंत्र में ऐसे माहौल में गहराई कैसे लाएं जबकि लोकतांत्रिक उपकरणों को अभिजातों के लाभ की ओर मोड़ा जा रहा है और मुक्ति लाने वाले पूर्व के प्रयासों की प्रवृत्तियां गैर–लोकतांत्रिक हो गई थीं?
- बहुआयामी बदलाव का राज्य के प्रति क्या रवैया हो? राज्य की ऐसे बदलाव में क्या भूमिका है?
- वामपंथ की विरासत का क्या उपयोग हो, उसके प्रति क्या रुख हो? वामपंथ को क्या पुनर्विचार करना होगा और क्या बदलाव लाना होगा ताकि वह अपने मुक्ति लाने की संभावनाओं में गहराई ला सके?
- बहुआयामी बदलाव के लिए किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संबंध व एकजुटताएं जरूरी हैं?

मौजूदा ऐतिहासिक समय की विडंबना यह है कि रेडिकल बदलाव की इस समय बहुत जरूरत है, पर हाल के दशकों की तुलना में यह पहले से और अधिक दूर प्रतीत होता है। अतः दो समय–स्तरों पर प्रयास चाहिए – सामाजिक व पर्यावरणीय विनाश शीघ्र रोकने के लिए अल्पकालीन कार्यवाहियां व अभियान; अपने सामूहिक भविष्य की सुरक्षा के लिए व गरीबी की जड़ों को दूर करने वाले विकल्प तैयार करने के लिए दीर्घकालीन रणनीतियां।

पिछले ऐतिहासिक चक्र की एक सीख यह रही है कि जिस तरह की राजनीति अभी

तक चलती रही है वह इस तरह के सामाजिक बदलाव के लिए पर्याप्त नहीं है जिसकी आज दुनिया को जरूरत है। सशस्त्र संघर्ष भी सही दिशा की ओर जाने की राह नहीं है। वामपंथ व आंदोलनों द्वारा 20वीं शताब्दी में जिन तौर–तरीकों व विश्लेषण का उपयोग किया गया वह अपनी सीमा पर पंहुच चुका है। अब नई स्थितियों के अनुकूल लोगों को जागृत व एकत्र करने हेतु राजनीति के नए तौर–तरीके विभिन्न स्थानों पर आजमाएं जा रहे हैं पर अभी उनकी कोई समग्र सोच सामने नहीं आ पाई है।

मई 2017 में नाबॉन का दौरा करते हुए ग्लोबल कार्य समूह–'बियांड डेवेलपमेंट' के सदस्य

औपनिवेशिक अंतर, इतिहास और संवाद पर आरंभिक नोट

'भूमंडलीय' और 'स्थानीय' अलग क्षेत्र नहीं हैं, अपितु दोनों स्तरों पर दुनिया की वास्तविकताओं की अभिव्यक्ति होती है व वे एक–दूसरे को प्रभावित करती है। देशीय व किसान समुदाय बड़ी खनन कंपनियों का विरोध करते हैं तो इस स्थानीय घटना से विश्व स्तर पर खनन के स्टॉक व विभिन्न देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। चीन में निर्माण कार्यों में तेजी आने से कुछ खनिजों की कीमत विश्व बाजार में तेजी से बढ़ सकती है, और स्थानीय खनन–विरोधी संघर्षों के बावजूद कंपनियां खनन को बढ़ाने का निर्णय ले सकती हैं।

भूमंडलीय में स्थानीय है, स्थानीय में भूमंडलीय है।

हमारे ग्रुप में कुछ व्यक्तियों की वामपंथ की पृष्ठभूमि है, तो कुछ की गांधीवादी सोच

की, तो कुछ की विभिन्न अन्य सामाजिक आंदोलनों की जैसे देशीय, फेमिनिस्ट, पर्यावरणीय आंदोलन आदि।

विभिन्न देशों से आने के कारण हमारे इतिहास के संदर्भ, विशेषकर औपनिवेशिक इतिहास के संदर्भ अलग थे। औपनिवेशिकता ने कुछ तरह के ज्ञान को आगे किया है तो कुछ तरह के ज्ञान को उपेक्षित किया है। विभिन्न स्थानों और समुदायों के लिए भाषा व शब्दों के अलग संदर्भ भी महत्त्वपूर्ण हैं। मुख्यधारा के लोगों के लिए संकट शब्द का विशेष अर्थ हो सकता है, व शोषित समुदायों के लिए अलग अर्थ हो सकता है अपितु उनके संदर्भ में तो संकट की निरंतरता अधिक नजर आती है। परंपरा शब्द के भी अलग अर्थ हो सकते हैं। कहीं इसकी आलोचना हो सकती है व कहीं देशीय समुदाय के लिए यह बहुमूल्य ज्ञान का स्रोत हो सकती है जिसकी आज भी बहुत जरूरत है। ज्ञान के लिंग आधारित अंतर भी महत्त्वपूर्ण हैं – महिलाओं के पक्ष समझना विशेष तौर पर महत्त्वपूर्ण है।

लोकतंत्र का लोकतंत्रीकरण

समकालीन उदार लोकतंत्र अनेक वजहों से विकृत व कमजोर हुए हैं। राष्ट्रीय व वैश्विक अभिजातों में संपत्ति, राजनीतिक और मीडिया संबंधी ताकत का केंद्रीकरण हो गया। दक्षिणपंथी लोभ–लुभावनी ताकतें आगे आई हैं। राज्य पर कार्पोरेट का दबदबा बढ़ा है। विरोधी स्वरों का अपराधीकरण करने के कुप्रयास राज्य के नेत्तृत्व में बढ़े हैं। इन प्रवृत्तियों के कारण ऐसे समाज बन रहे हैं जो बाहरी तौर पर लोकतंत्र है, पर वास्तविकता में अभिजात व सत्ता केंद्रित है। इतना ही नहीं सामाजिक बदलाव लाने वाली कुछ सरकारें भी सत्ता–केन्द्रित प्रवृत्तियों की ओर झुकाव दिखा चुकी हैं, अतः लोकतंत्र का सवाल अति महत्त्वपूर्ण है।

लोकतंत्र व लोकतंत्रीकरण के सवाल

हम लोकतंत्र को उसके स्वशासन के मूल रूप में समझते हैं, जिसमें लोग अपना व्यक्तिगत व सामूहिक भविष्य तय करते हैं। अतः लोकतंत्र कोई विशेष तरह की सरकार भर नहीं है अपितु एक निरंतर और बहुआयामी प्रक्रिया है जो राजनीतिक कार्यवाही के माध्यम से असमान शक्ति संबंधों का लोकतंत्रीकरण करती है, स्वतंत्रताओं व न्याय को बढ़ाती है, व्यक्तिगत व सामूहिक स्व–निर्धारण की क्षमता को बढ़ाती हैं। एक न्यायपूर्ण व लोकतांत्रिक समाज को बनाना इस पर निर्भर है कि आधिपत्य के आपस में मिले हुए सभी संबंधों को बदला जाए जैसे पित्तृसत्तात्मकता को हटाना, विऔपनिवेशीकरण, नस्लवाद का विरोध, पूंजीवाद का विरोध व प्रकृति से

आक्रमक संबंधों को हटाने की प्रक्रिया। हमारे विभिन्न अध्ययनों ने इन लोकतंत्रीकरणों के अनेक जटिल व विविध रूप प्रकट किए, जो कि लोकतंत्र की उदार अवधारणाओं से कहीं आगे हैं।

लोकतंत्रीकरण का पहला तकाजा यह है कि मौजूदा संस्थानों को बदला जाए, उनकी नौकरशाहीकरण की मजबूत प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जाए और उन्हें समाज में उपस्थित विषमताओं को बढ़ाने से रोका जाए। इस तरह के प्रयास नाबॉन में बजट में भागेदारी के रूप में व उपेक्षित देशीय समुदायों की बढ़ती भागेदारी के रूप में देखे जा सकते हैं। बार्सीलोना एन कोमा के स्वनिर्धारण की जगहों को मजबूत करने और खोलने के कार्यों में भी ऐसे प्रयास नजर आते हैं। इन दो उदाहरणों में स्थानीय म्यूनिसिपल राजनीति द्वारा लोगों की भागेदारी, संगठन, जागृति बढ़ाने के प्रयास से उन्हें केन्द्रीय राज्य के संदर्भ में सशक्त किया जा रहा है। इससे कई तनाव भी उत्पन्न हुए हैं जैसे नाबॉन में राष्ट्रीय सरकार की बड़ी खनन परियोजनाओं के संदर्भ में जिनसे पर्यावरण को बचाने के प्रयास म्यूनिसिपेलिटी ने किए हैं।

भारत के मेंधा–लेखा गांव में वास्तविकता में स्व–निर्णय बढ़ाने वाली प्रक्रियाएं आ सकीं जिनसे राज्य से समुदाय शक्ति वापस प्राप्त कर सके।

लोकतंत्रीकरण के लिए विश्व के विभिन्न भागों में स्थापित राजनीतिक संस्कृतियों में बदलाव भी जरूरी हैं। पित्तृसत्तात्मक, औपनिवेशिक, ऊपर से नीचे की ओर सत्ता की प्रवृत्तियों को संस्थानों से ही नहीं राजनीति की मौजूदा सोच से भी दूर करना होगा। ऐसा प्रयास बार्सीलोना में राजनीति के नारीकरण के उदाहरण में देखा गया जिसने नई राजनीतिक नैतिकता व प्रक्रियाएं अपनाई।

लोकतंत्रीकरण उत्पादन के साधनों से भी संबंधित है – उदाहरण के लिए भूमि और बीज उपलब्ध होने का पुनर्वितरण ताकि विभिन्न स्तरों पर खाद्य संप्रभुता संभव हो सके। पुर्नवितरण किस तरह से होता है यह भी महत्त्वपूर्ण है। वेनेजुएला में जिस तरह केन्द्रीय राज्य पुनर्वितरण का प्रमुख स्रोत बना, वह शक्ति के केन्द्रीकरण को मजबूत करता है जबकि नाबॉन और मेंधा लेखा में छोटे स्तर पर पुनर्वितरण के ऐसे मॉडल हैं जो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तथा व्यक्ति व सामूहिक स्तर पर अधिक संभावनाएं उत्पन्न करने वाले होते हैं।

लोकतंत्र व लोकतंत्रीकरण के लिए जरूरी स्थितियां

लोकतंत्रीकरण के यह सभी रास्ते राजनीतिक संस्थानों व संगठित समाज के बीच गतिशील संबंधों पर निर्भर हैं। लोकतंत्र तभी आता है जब लोग सामाजिक संघर्षों के संदर्भ में नीचे से निर्णय–निर्धारण को प्राप्त कर लेते हैं। इससे सोचने–समझने और राजनीतिक नव प्रवर्तन के लिए नई जगहें बनती हैं।

स्पेनिश राज्य के संदर्भ में लोकतंत्रीकरण की अंतिम लहर 15 एम आंदोलन से आरंभ हुई जिसने लोकतंत्र की प्रचलित व अपर्याप्त अवधारणा को चुनौती दी। इससे आपसी व समता आधारित भागेदारी की एक नई राजनीति के लिए जगह बनी। शक्ति प्राप्त करने के बाद बार्सीलोना एन कोमू ने संस्थागत स्तर पर व सामाजिक आंदोलनों के स्तर पर इसी सोच को और आगे बढ़ाया। मेंधा लेखा में समुदाय ने प्रत्यक्ष निर्णय लेने की व ज्ञान सृजन की क्षमता को फिर प्राप्त किया।

इस तरह लोकतंत्र मुख्यतः संस्थानों, औपचारिकताओं व चुनावों का सवाल नहीं है अपितु एक ऐसी स्व–निर्धारित ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने लिए सबसे अच्छी स्थितियों का निर्माण और अपने भविष्य का निर्धारण इस तरह करते हैं जो समाज और औपचारिक संस्थानों के गतिशील संबंधों पर आधारित होता है।

हममें से कुछ सोचते हैं कि नीचे से ऊपर के लोकतंत्र में अधिक लोकतांत्रिक संभावनाएं हैं, व निर्णय लेने की ऐसी जगहें बन सकती हैं जो राष्ट्र–राज्य पर केंद्रित नहीं हैं। दूसरी ओर, कुछ का यह मानना है कि लोकतंत्र का संघर्ष साथ में मौजूदा राष्ट्रीय और वैश्विक संरचनाओं में भी होना चाहिए, विशेषकर यह ध्यान में रखते हुए कि पर्यावरणीय संकट जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों का समाधान उच्च स्तर पर भी चाहिए।

वैकल्पिक लोकतंत्रों की कल्पना के लिए विविध तरह के राजनीतिक समुदाय चाहिए – देशीय समुदायों व किसान समुदायों के साथ शहरी समुदाय, उत्पादक संगठन, यहां तक कि आभासी/डिजिटल स्थानों के समुदाय भी चाहिए। समुदायों का आदर्शीकरण नहीं किया जा सकता है; वहां भी न्याय, गरिमा व लोकतंत्र के प्रयास चाहिए। दमनात्मक प्रवृत्तियों और विमर्शों को हटाने के लिए (उदाहरण के लिए पित्तृसत्तात्मकता के संदर्भ में) इन समुदायों में भीतर से लोकतांत्रिक संस्कृति बनानी जरूरी है, अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण व संगठन जरूरी है व विभिन्न राजनीतिक समुदायों के बीच व्यापक राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में संवाद जरूरी है। उदाहरण के लिए, जब मेंधा के लोगों ने अपनी कमजोरियों का आकलन किया तो उन्होंने राष्ट्र–राज्य के सामने अपनी शक्तिहीनता को ही नहीं देखा अपितु ग्रामीण समाज में लिंग आधारित असमानता को भी स्वीकार किया व यह भी स्वीकार किया कि पहली कमजोरी को दूर करने के लिए दूसरी कमजोरी को दूर करना भी जरूरी है।

वास्तविक लोकतंत्र की पहचान कैसे हो?

> लोकतंत्र हमारे समुदायों, आंदोलनों, समाजों व राज्यों में निरंतरता से चलने वाली प्रक्रिया है।

> स्व–शासन के रूप में जीवन के सभी भागों को लोकतंत्र की परिधि में आना चाहिए – जेंडर, केयर, उत्पादन, उपभोग, वितरण, आर्थिक संगठन सभी को।

> लोकतंत्र का आरंभ हमारे इस मौलिक अधिकार की स्वीकृति से होता है कि जो भी विषय हमारे सरोकार हैं या हमें प्रभावित करते हैं उन सभी की निर्णय प्रक्रिया में भागेदारी का हमें अधिकार है।

> लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि पश्चिमी/वैज्ञानिक विमर्श से आगे के अनेक विभिन्न तरह के ज्ञान को पहचान व समावेश प्राप्त हो। पर्याप्त जानकारियां व कौशल उपलब्ध हों जिससे कि जटिल निर्णय भली–भांति लिए जा सकें।

> लोकतंत्र को निर्णय प्रक्रियाओं व विमर्श के लिए सार्थक मंच व प्रक्रियाएं चाहिए जैसे जनमत, परामर्श, नागरिक सभाएं, लाटरी से राजनीतिक पद चुनने जैसी पद्धतियां, मीडिया व डिजिटल फोरम का समावेशी उपयोग (जहां यह संभव हो), राजनीतिक अधिकारों की जानकारी, कौशल व जानकारी तक पहुंच। लोकतांत्रिक मंचों व प्रक्रियाओं की कार्य पद्धतियों की समझ के लिए राजनीतिक शिक्षा जरूरी है व यह शिक्षा प्रदान करने वाले वैकल्पिक साधनों व पद्धतियों की उपलब्धि भी आवश्यक है (जैसे कि वैकल्पिक मीडिया, संचार व शिक्षा व्यवस्था)।

> कैसी भागेदारी उचित व स्वीकार्य है या कैसी भागेदारी अनुचित व अस्वीकार्य, यह राज्य द्वारा तय नहीं होगा अपितु लोगों व उनके संगठनों द्वारा तय होगा।

> बहुसंख्यक अपने निर्णय अल्पसंख्यकों पर नहीं थोप सकते है बल्कि कमजोर पक्ष की निर्णय प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की परिपक्वता व समझदारी की निशानी है।

> विशेषकर पर्यावरणीय संकट के इन दिनों में 'धरती लोकतंत्र' की जरूरत है जिसमें जीवन के सभी रूपों के सरोकारों को निर्णय प्रक्रियाओं व विमर्श में समुचित महत्त्व दिया जाता है।

रेडिकल लोकतंत्रों के संस्थागत रूपों का सवाल हमारे सामने है : स्थानीय समुदायिक स्थानों के आगे वे कैसे कार्य करेंगे? इसके साथ ही राज्य की भूमिका के बारे में चिंतन जरूरी है।

राज्य को नए सिरे से पहचानना व नियंत्रित करना

आज राज्य की क्या स्थिति है? किस हद तक राज्य की मुक्तिपथ की प्रक्रियाओं में केन्द्रीय भूमिका हो सकती है या होनी चाहिए? किस तरह हम संस्थानों में ही क्रान्तिकारी बदलाव कर सकते हैं?

हम सब सहमत हैं कि आज के जितने भी राज्य के रूप हैं – राष्ट्रपति प्रणाली हो या संसदीय, औपनिवेशिकता के बाद की स्थिति हो या समाजवाद के बाद की – उनके सार्थक बदलाव लाने की संभावनाएं (कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर) सीमित हैं। दूसरी ओर यह भी सच है कि मुक्तिपथ की ओर ले जाने वाले आंदोलनों को प्रायः राज्य द्वारा चालित संस्थानों में या इनसे जुड़े व्यक्तियों में महत्त्वपूर्ण समर्थक मिले हैं। अतः हमें और बारीकी से राज्य के मुक्तिपथ की समर्थक या विरोधी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए।

राज्य की मुक्तिपथ संभावनाओं का आकलन – कुछ उदाहरण

राज्य अनेक आपस में जुड़े संस्थानों का जटिलताओं भरा स्थान है (स्थानीय, प्रान्तीय, विभागीय व राष्ट्रीय स्तर, कार्यकारी, वैधानिक व न्यायिक, प्राधिकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्थाएं, राज्य–स्वामित्व की कंपनियां व अन्य राज्य संस्थान)। यह समाज में कई स्तरों पर सक्रिय होता है – दाता, नियमक, मध्यस्थ, कुछ हितों व शक्ति संबंधों की अभिव्यक्ति, उत्पीड़क आदि। राज्य की एक मुख्य भूमिका पूंजी संचय के लिए स्थायित्व की स्थितियां सुनिश्चित करना, नए हालातों में कारपोरेट शक्ति व हितों के लिए नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नया संतुलन बनाना है।

आज राज्य समाधान का हिस्सा होने के स्थान पर समस्या का हिस्सा अधिक नजर आता है पर कुछ विशेष ऐतिहासिक स्थितियों में इसकी सकारात्मक संभावनाएं भी नजर आईं हैं, विशेषकर पर्यावरणीय व सामाजिक विनाश को रोकने के संदर्भ में। पेरु, अर्जेन्टीना व कोलंबिया में स्थानीय सरकारों ने खनन पर जनमत संग्रह में भागेदारी की जिससे खनन परियोजनाओं की लोगों द्वारा अस्वीकृति स्पष्ट हुई व इससे जमीनी संघर्षों को सहायता मिली। नाबॉन और बार्सीलोना के उदहरणों से राज्य द्वारा, राज्य में और राज्य के बदलाव की संभावनाएं सामने आती हैं जो भागेदारी की स्थानीय स्तर

की राजनीति से संभव हुआ। आंदोलनों द्वारा निजीकरण के विरुद्ध अभियानों और संघर्ष के परिणाम स्वरूप विश्व के 200 से अधिक शहरों ने कुछ सामाजिक सेवाओं पर म्यूनिसिपल नियंत्रण वापस ले लिया है।

लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करने वाले आंदोलनों ने इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त किए हैं, जबकि कुछ राज्य नीतियों ने भी वर्ग, नस्ल, लिंग आधारित भेदभाव को कई स्तरों पर समाप्त किया है या कम किया है।

जर्मनी में परमाणु ऊर्जा के विरुद्ध मजबूत आंदोलन ने ग्रीन पार्टी के गठन में उत्प्रेरक का कार्य किया, व इस पार्टी ने आगे चलकर गठबंधन सरकारों में हिस्सेदारी की। संसदीय शक्तियों, सामाजिक आंदोलनों व नई ऊर्जा स्टार्ट–अप्स के बीच के समझौतों से, कभी संघर्ष तो कभी नए कानून तो कभी तकनीकी प्रगति व प्रयोगों से, एक नई ऊर्जा व्यवस्था की राह निकली जिससे जर्मनी में आज ऊर्जा उत्पादन में 30 प्रतिशत हिस्सा शाश्वत ऊर्जा स्रोतों का है।

इक्वेडोर, बोलीविया, दक्षिण अफीका, ट्यूनीशिया में संवैधानिक प्रक्रियाओं ने नए अधिकारों (जैसे प्रकृति के अधिकार) को राष्ट्रीय कानूनी और राजनीतिक क्षेत्रों में स्थान दिया। कोलंबिया में गृह युद्ध की स्थिति के बीच संवैधानिक अदालत ने मानवाधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। खनन के विनाश की परियोजनाओं को जनमत–संग्रह से रोकने में भी इसने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई (फिर चाहे इन्हें राष्ट्रीय समर्थन क्यों न प्राप्त हो)। नदियों के अधिकार को कुछ हद तक भारत, न्यूजीलैंड व कोलंबिया में मान्यता मिलने से भी उनकी रक्षा की नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कानवेंशन 169 व देशीय अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र ने देशीय लोगों को अपने क्षेत्रों व संस्कृतियों की रक्षा के लिए समर्थन दिया।

यह उपलब्धियां कुछ विशेष समूहों व कुछ विशेष अधिकारों तक सीमित है पर पूरे समाज के समग्र बदलाव की प्रक्रियाएं नहीं हैं। लेटिन अमेरिका की प्रगतिवादी सरकारों के आकलन से राज्य के सामाजिक बदलाव के एजेंट की संभावनाओं और सीमाओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

दो दशकों तक लेटिन अमेरिका में सामाजिक आंदोलनों ने पहले तानाशहियों और फिर नव–उदारवादी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। 21 वीं शताब्दी के आरंभ में

वामपंथ की राजनीतिक ताकतें वहां सरकारों का गठन करने की स्थिति में पहुंचने लगीं। इस तरह एक बड़े क्षेत्र में एक अद्वितीय अवसर उपलब्ध हुआ कि नवउदारवादी भूमंडलीकरण से अलग होकर, प्रगतिवादी सरकारों के नेतृत्व व सामाजिक आंदोलनों के समर्थन से क्षेत्रीय स्तर पर एकता कर एक वैकल्पिक राह निकाली जाए।

इन सरकारों ने नवउदारवादी आर्थिक नीतियों से दूर हटने, राज्य की नियमन शक्ति को फिर प्राप्त करने, संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण से अपनी संप्रभुता को मुक्त करने, दोहन से प्राप्त धन से गरीबी कम करने, शिक्षा व स्वास्थ्य में विस्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की।

दूसरी ओर आर्थिक, उत्पादक व संपत्ति संरचनाएं प्रायः पहले जैसी रहीं, सबसे गरीब लोगों की गरीबी कुछ कम जरूर हुई पर सबसे अमीरों की अमीरी बढ़ती गई। उपभोक्ता संस्कृति व आधुनिकता बढ़ी है व उन तक भी पहुंच गई है जो अभी तक इससे कुछ हद तक बचे हुए थे। तेल व अन्य निर्यातों की कीमतों में कमी आने से गरीबी कम करने की यह सीमित सफलता भी सिमट सकती है। पित्तृसत्तात्मकता को तोड़ने या बहुराष्ट्रीयता को समर्थन देने की नीतियां नारेबाजी तक अधिक रहीं। बुयेन विविर जैसी अवधारणाओं को उनके मूल संदर्भ से हटाकर सरकार ने विकास के विमर्श से जोड़ दिया। सत्ता केन्द्रित होने के प्रति झुकाव भी कुछ समय बाद बढ़ा व राज्य में विरोध कर रहे सामाजिक आंदोलनों का अपराधीकरण करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी।

राज्य की राजनीति अल्पकालीन दृष्टिकोण

राज्य की भेदभाव कम करने की नीतियां व सामाजिक–पर्यावरणीय विनाश रोकने की अल्पकालीन भूमिका प्रायः कई जगह देखी गई है, पर इसकी संभावना प्रायः वहीं बढ़ती है जहां जमीनी संघर्ष राज्य व उसके प्रतिनिधियों को इसके लिए तरह–तरह से प्रेरित या तैयार करते हैं। स्थानीय स्तर पर नाबॉन व बार्सीलोना में जमीनी संगठनों के स्थानीय सरकारों से प्रत्यक्ष संबंधों से इस भूमिका की संभावना और बढ़ गई, पर यह रणनीति तभी आगे बढ़ेगी यदि संस्थानों में भी बदलाव लाने के प्रयास हों।

लेटिन अमेरिका में राज्य के नेतृत्व की प्रगतिवादिता द्वारा लाए गए बदलाव को प्रायः पहले के चक्र से जुड़े संघर्षों के कार्यकर्ता संभावनाओं व उम्मीदों से बहुत कम बदलाव बताते हैं। कभी–कभी तो इसे मात्र पूंजीवाद का आधुनिकीकरण या पूंजीवाद को नई विश्वसनीयता दिलवाने का प्रयास भी कहा जाता है जो ऐसे समय में आया जब नव–उदारवाद आधारित पूंजीवाद गतिरोध की स्थिति में आ गया था।

बहुत बड़ी परियोजना व बड़े पैमाने के दोहन के लिए मोह, इस पर आधारित बड़े कारपोरेटों व राज्य के संबंध, बड़े कारपोरेटों का अधिक असर, इससे प्राप्त संसाधनों की राज्य में केन्द्रीकरण बढ़ाने की भूमिका – यह ऐसीं प्रवृत्तियां हैं जो नवउदारवादी सरकारों में ही नहीं अनेक प्रगतिवादी व समाजवादी सरकारों में भी देखी जा रही हैं।

राष्ट्रीय सरकारें प्रायः अभिजातों के नियंत्रण में हैं व कारपोरेट प्रायः राज्य को अपनी संप्रुभता निजी कंपनियों को सौंपने के लिए कहते हैं, प्रायः विशेष आर्थिक क्षेत्रों व आर्थिक कॉरीडरों के रूप में। समकलीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों में प्रतिस्पर्धा है व अनेक बड़े निर्णय समाज से बाहर के राज्यों, कंपनियों व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा लिए जा रहे हैं। कुछ देशों के निर्णयों पर वहां के लोगों से अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका या जर्मनी का असर पड़ सकता है। अतः राज्य की भूमिका अभिजातों के आर्थिक हितों को बढ़ाने में व उत्पीड़न के समर्थन में अधिक देखी जा रही है जबकि स्व–निर्धारण की जगह बनाने में, लोगों के हितों व मांगों को बढ़ाने में कम देखी जा रही है।

आधुनिक उदार राष्ट्र राज्य की अनेक कमियां इस कारण हैं कि वह पूंजीवादी व्यवस्था में बना है पर सामाजिक संघर्षों ने इसमें सामाजिक अधिकारों का प्रवेश करवाया। हाल के दशकों में नवउदारवादी संरचनात्मक बदलावों के दौर में सामाजिक संघर्षों द्वारा लाए गए सार्थक बदलावों को कम किया गया। एक अल्पकालीन उद्देश्य यह है कि राज्य वस्तुतीकरण व निजीकरण की प्रवृत्तियों को रोका जाए, पारदर्शिता को बढ़ाया जाए, भ्रष्टाचार से लड़ा जाए, राज्य व कारपोरेट पर नागरिकों की निगरानी बढ़ाई जाए।

राज्य की एक अन्य केन्द्रीय समस्या हिंसा व जोर–जबरदस्ती का उपयोग है। विशेषकर देशीय क्षेत्रों में दोहन के कार्यों को बढ़ाने के लिए प्रायः पुलिस या सैन्य दलों की सहायता ली जा रही है। भेदभाव की और निर्धन विरोधी, महिला–विरोधी कार्यवाहियों में भी यह हो रहा है। अतः राज्य का सैन्यकरण कम करना व सुरक्षा तंत्र का निजीकरण कम करना भी आवश्यक है।

सामाजिक समावेशी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन भी आवश्यक है, क्योंकि वित्तीय व मौद्रिक सहायता के अनेक कार्यक्रम निर्भरता बढ़ा रहे हैं व पूंजीवाद, बाजार तथा उपभोग में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं जबकि जरूरत स्वशासन व वैकल्पिक जीवन पद्धतियों की है। प्रायः निर्धन व उपेक्षित समुदायों के पास अपनी महत्त्वपूर्ण कुशलताएं हैं व उन्हें मजबूत कर उनकी निर्भरता कम करनी चाहिए, बढ़ानी नहीं चाहिए।

कल्याणकारी राज्य

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा व सोच पर बहुत बहस हो रही है व हमारे समूह में भी हुई। क्या सामाजिक सुरक्षा के लिए कल्याणकारी राज्य ही सबसे उपयुक्त हैं, या समुदाय स्तर के अधिक आत्म–निर्भर विकल्प बेहतर देख–रेख व सामाजिक सुरक्षा दे सकते हैं?

इस संदर्भ में यूरोप के इतिहास में देखें तो प्रायः यह पहल राज्य की ओर से नहीं हुई अपितु नीचे से सामाजिक संघर्षों, श्रमिक संगठनों, सिविल सोसायटी आदि की ओर से हुई। यहां से जो नीतियां निकली उन्हें बाद में राज्य ने संस्थानात्मक रूप दिया। एक पक्ष यह है कि कल्याणकारी राज्य लोगों के अधिकार के लिए जीत है, इसकी रक्षा करनी चाहिए।

इसके विरोधी पक्ष का मत यह है कि कल्याणकारी राज्य से अधिक उम्मीदों के कारण स्वायत, स्वतंत्र प्रयोग बहुत सीमित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त कल्याणकारी राज्य बड़े क्षेत्र के लिए सामान्य मानक व कार्यक्रम अपनाता है जिससे विशिष्ट सांस्कृतिक पक्ष उपेक्षित हो जाते हैं। विमर्श फंड, वस्तुओं व सेवाओं तक सिमट जाते हैं। इससे अनेक मानवीय रिश्तों व संस्कृति के आयाम छूट जाते हैं, जो समुदाय आधारित प्रयासों में आसानी से शामिल हो सकते हैं। राज्य आधारित कल्याण से लोग कई क्षमताओं, ज्ञान व स्व–निर्धारण की प्रवृत्तियों से वंचित होते हैं। इससे ऐसा माहौल बनता है जिसमें व्यापक बदलाव के आंदोलन की संभावना कम होती है। कल्याणकारी राज्य व्यापक बदलाव को बढ़ाता नहीं है अपितु पूंजीवाद को राहत देता है।

कल्याणकारी राज्य एक विशेष समय व स्थान में विशेष परिस्थितियों के कारण ही अधिक मुखर रूप में नजर आया अतः इससे अधिक उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। यह इस कारण संभव हुआ –

- दक्षिण के लोगों की संपत्ति का बड़े पैमाने पर उत्तर के लोगों में ट्रांसफर
- बहुत सस्ती ऊर्जा की उपलब्धि
- प्रकृति से एक आक्रमक रिश्ता जो निरंतर होने वाली आर्थिक संवृद्धि पर आधारित था – एक ऐसे समय में जब पर्यावरणीय संकट इतने गंभीर रूप में स्पष्ट नहीं हुआ था
- मानवाधिकारों को वास्तव में दुनिया के कुछ लोगों तक ही सीमित रख पाने की सोच
- सोवियत समाजवाद के दिनों में अपने देश में सामाजिक संघर्ष कुंद करने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण सुधारों की जरूरत

एक विचार यह है कि नागरिकों के सामाजिक अधिकारों के पूरा किये जाने की मांग की जाए तथा साथ में नागरिकों के स्व–निर्धारण व भागेदारी को भी विभिन्न स्तरों पर बढ़ाया जाए। सामान्य लाभ व उपयोग के कार्यों व स्थानों में वृद्धि से भी महत्त्वपूर्ण समाधान प्राप्त होंगे।

वित्तीयकरण, मशीनीकरण व रोबोटीकरण के बढ़ते दौर में रोजगार संबंधी कई सवाल उठाना भी जरूरी है। घटते औपचारिक रोजगारों के दौर में रोजगार अवसरों का वितरण कैसे हो? विविध तरह के रोजगारों व कार्यों का मूल्यांकन कैसे हो? सभी के लिए एक निश्चित आय सुनिश्चित करने के प्रयोगों की क्या संभावनाएं हैं?

अन्य संस्थानों की कल्पना

इस बारे में कई अस्पष्टताएं हैं कि बहुआयामी बदलाव का राज्य से क्या संबंध/रिश्ता है? लोग राज्य शक्ति के प्रतिकूल पक्ष झेलते हुए परेशान होते हैं, पर कारपोरेट शक्ति का सामना करने में राज्य से उन्हें कुछ सहायता मिले तो वे बहुत राहत भी महसूस करते हैं। राज्य सामाजिक व पर्यावरणीय विनाश रोकने में अल्प–कालीन भूमिका निभा सकता है, पर दीर्घकालीन स्तर पर वैश्विक स्तर की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य के संस्थानों में गहरे बदलाव की जरूरत भी होगी।

राज्य की बहुआयामी बदलाव में भूमिका तो हो सकती है, पर इसकी यह भूमिका प्रमुख या अग्रणी भूमिका नहीं हो सकती है। राज्य केन्द्रित राजनीति में निहित केन्द्रीयकरण, एकरूपता व नौकरशाहिता की प्रवृत्तियों को भी हम नकारते हैं। राज्य के सैन्यकरण, सुरक्षाकरण, विरोधियों के अपराधीकरण की प्रवृत्तियों को भी नकारना चाहिए।

राज्य केन्द्रित नीतियों से आगे बढ़ने पर स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य उत्पादन, व उपभोग जैसे विषयों से जुड़े हजारों विकल्प दुनिया भर में नजर आते हैं जिन्हें समर्थन मिलना चाहिए। संस्थान शब्द का उपयोग केवल राज्य राजनीति के संदर्भ में नहीं होना चाहिए। इतिहास देखें तो संस्थान लोगों द्वारा जमीनी स्तर पर जीवन की समस्याओं और चुनौतियों को सुलझाने के लिए बनाए गए। लेटिन अमेरिका और यूरोप में भूख की समस्या सुलझाने के लिए लोकप्रिय रसोईयां या पॉपुलर किचन बनाई गईं। महिला संगठनों ने दुनिया भर में आपसी सहयोग, देख–रेख व रक्षा की कितनी ही व्यवस्थाएं बनाई हैं। देशीय समूह पूर्वजों के नियमों के अनुसार जंगल व जल का प्रबंधन कर रहे

हैं। इस तरह के संस्थान (राज्य के संस्थानों की तुलना में) स्थानीय स्थितियों व संस्कृति के अधिक अनुकूल होते हैं।

नाबॉन में देशीय नेता – खुआना मोरोको के साथ ग्लोबल कार्य समूह की बैठक

आधुनिक राष्ट्र राज्य में सुधार की दृष्टि से अनेकराष्ट्रीयता या प्लयूरीनैशनलिटी की अवधारणा में बेहतर संभावनाएं है। अधिकांश समाज अनेक राष्ट्रीयताओं वाले है, प्रायः राज्य का गठन एकरूपता वाले मोनोकल्चरल राष्ट्र राज्य के रूप में होता है जो एक हावी होने वाली संस्कृति के संस्थानों व प्रवृत्तियों पर ही आधारित होता है। दूसरी अनेक अन्य संस्कृतियों की क्षति होती है। इक्वेडोर व बोलीविया में देशीय समुदायों के संघर्षों के बाद संवैधानिक स्तर पर इस बहुराष्ट्रीयता का मार्ग प्रशस्त करने की बड़ी पहल हुई है पर व्यवहारिक प्रगति इस निर्णय की भावना के अनुकूल नहीं हो सकी। हाँ, इतना जरूर है कि जमीनी स्तर पर कई तरह के रचनात्मक प्रयोगों के लिए पहले की अपेक्षा अधिक जगह इससे इन दोनों देशों में बनी है।

एक अन्य सवाल यह है कि हम विकल्पों के स्थानीय उपयोगों को समाज में व्यापक स्तर पर अधिक असरदार कैसे बनाएं। इन अनुभवों के प्रसार की संभावनाओं को बढ़ाना चाहिए। पोलीसेन्ट्रसिटी की सोच इसमें सहायक है और स्थानीय विकल्पों के प्रसार को, सामुदायिक आत्म–निर्भर उपायों को बढ़ा सकती है।

पुएम्बो (इक्वेडोर) में आंतरिक बैठक के दौरान ग्लोबल कार्य समूह के सदस्य

वामपंथ के बारे में नई सोच

ऐतिहासिक स्तर पर वामपंथी संगठनों ने संघर्षों को जोड़ने में केन्द्रीय भूमिका निभाई और उन्हें सामान्य आदर्श दिए। पर कई तरह की संकीर्णताओं के कारण मुक्तिराह की राजनीति में इसकी भूमिका अस्पष्ट हो रही है। दूसरी ओर विश्व स्तर पर पूंजीवाद के विरुद्ध कार्यवाही व संगठन में विश्व का वामपंथ ही मुख्य संदर्भ बिंदु रहता है। अतः वामपंथ द्वारा नई जमीन पर नए सिरे से बुनियाद बनाना बहुपक्षीय बदलाव के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

अनेक स्थानीय प्रक्रियाओं से यह स्पष्ट होता है कि विश्व भर में विशिष्ट ऐतिहासिक व भौगोलिक संदर्भों में वामपंथ नवरूप ले रहा है। वामपंथ की एक धारा वह है जिसकी जड़े मूल मार्क्सवादी सोच में आज भी है व फोकस वर्ग विश्लषण, साम्राज्यवाद–विरोध, मजदूरी प्राप्त करने वाले पुरुष श्रमिकों पर है। दूसरी धारा पूंजीवाद के नस्ल, लिंग व पर्यावरणीय संबंधों से अधिक प्रभावित है, अतः वह देशीय, ब्लैक, पर्यावरणीय और नारीवादी संघर्षों का समर्थन करती है। पुराने और नए (1968 के बाद के) वामपंथ में विभाजन पर काफी चर्चा हो चुकी है पर यह विभाजन पूर्ण नहीं है और दोनों धाराओं में एक–दूसरे के अंश मौजूद हैं। पर वेनेजुएला में वर्ष 2017 की स्थिति पर हुई बहस में यह पता चला कि कभी–कभी यह विभाजन बहुत गहरा हो सकता है।

अनेक समाजों में वामपंथ की लेनिनवादी व माओवादी प्रवृत्तियां ही हावी हैं, पर वामपंथी इतिहास व सिद्धान्तों पर एक बहुत बहुलवादी दृष्टिकोण अधिक उचित है जिससे अन्य धाराओं पर भी समुचित ध्यान दिया जा सके। उदाहरण के लिए अराजकतावादी वामपंथ वर्ष 1900 के पहले व बाद के दशकों में बहुत असर रखता था, पर वैकल्पिक समाजों को बनाने के अपने प्रयासों में पराजित कर दिया गया। विश्व के सभी भागों में वामपंथ एंतोनियो ग्रामस्की और रोसा लुक्समबुर्ग के परिप्रेक्ष्यों से प्रेरित हुआ जो कई मामलों में लेनिन की सोच के आलोचक थे। गैर पश्चिमी वामपंथ की अनेक धाराओं को स्थानीय वास्तविकताओं के अनुकूल मार्क्सवादी विचारों की व्याख्या से अधिक प्रेरणा मिली (जैसे कि जोस कार्लोस मेरियातेगुई व लेटिन अमेरिका के 'डिपेंडेस' सिद्धान्तकार, फ्रांटज फेनन व अफीका में अमलीकार कैवराल)।

यह धाराएं समकालीन सामाजिक आंदोलन के प्रति, उनके जेंडर, संस्कृति व स्व–निर्धारण आदि के सरोकारों के प्रति अधिक जागरुक रही है। अतः वामपंथ के बहुलवादी इतिहास को नवजीवन देकर अधिक व्यापक 'वाम संस्कृति' को प्रतिष्ठित करना चाहिए जो जमीनी राजनीति कार्यवाहियों के लिए अधिक प्रेरक है। कई वामपंथी राजनीतिक दलों व अन्य संगठनों की संकीर्ण व कड़ी पहचान की अपेक्षा वाम संस्कृति की यह व्यापक पहचान अधिक प्रेरणादायक हो सकती है।

नाबॉन की मेयर मगाली क्वेजादा और स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ ग्लोबल कार्य समूह की वार्ता

इस सोच को ध्यान में रखते हुए आगे महत्त्वपूर्ण सवाल है कि क्या समकालीन दुनिया में वामपंथी/दक्षिणपंथी विभाजन अभी तक प्रासंगिक हैं? हमारा कहना है कि कई संदर्भों व मुद्दों पर यह विभाजन उपयोगी है, विशेषकर विषमता, सामाजिक अधिकारों, साम्राज्यवादी राजनीति व पूंजीवाद के असर के आकलन के संदर्भ में। पर साथ में हममें से कुछ यह कहेंगे कि अनेक अन्य मुद्दों पर वामपंथ व दक्षिणपंथ मूल विभाजन रेखा नहीं है, व इससे वास्तविक संघर्षों में कठिनाईयां व विभाजन भी आ सकते हैं। यह स्थिति विभिन्न स्थानों पर भिन्न हो सकती है, पर पर्यावरण, देशीय अधिकारों, जेंडर न्याय व लोकतंत्र विमर्श पर कुछ वामपंथी धाराएं कई बार बहुत अनुदार पक्ष लेती हैं।

वामपंथ का मूल्यांकन

अपने इतिहास में वामपंथ ने राजनीति करने के भिन्न रास्ते निकाले हैं, संस्थानों की परिधि में व सामाजिक आंदोलनों, स्वतंत्रता संघर्षों व स्थानीय स्वशासन प्रक्रियाओं पर अपने अत्यधिक प्रभाव के आधार पर। इससे सकारात्मक व नकारात्मक दोनों असर सामने आए हैं। वामपंथ की मुक्तिराह में योगदान के अनेक उदाहरण हैं, व वामपंथी विमर्शों व संगठनों द्वारा लोकतंत्र व सामाजिक न्याय के लिए प्रयासों के बिना विश्व की स्थिति मौजूदा स्थिति से कहीं बुरी होगी। सहकारिता, बजट में भागेदारी व मजदूरों के स्वामित्व की सोच तो निर्णय लेने व उत्पादन की वैकल्पिक पद्धति की सोच के रूप में नीचे से आई थी। यूरोप व उत्तरी अमेरिका में लोगों द्वारा सामाजिक अधिकार जीतने से कल्याणकारी राज्य बन सका। लैटिन अमेरिका के देशीय लोगों के मुक्तिमार्ग के समर्थन से भूमि सुधार व नए संविधानों की उपलब्धि मिली। अफ्रीका और एशिया के मुक्ति संघर्षों में भागेदारी से साम्राज्य शक्तियों से पूर्व उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

इन दिनों वामपंथी पार्टियों के अनेक स्तरों व संकट की पहचान हो सकती है। अनेक पार्टियों ने अपने कार्यक्रम और विमर्श को नर्म किया है। प्रायः उनके लिए चुनावी समर्थन कम हुआ है। (पर कुछ जगहों पर स्थिति इसके विपरीत भी रही है)। हममे से कुछ ने कहा कि प्रायः वामपंथ का पूंजीवाद से उसके अपने मोर्चे पर ही द्वंद्व रहा है क्योंकि उसकी सामाजिक बदलाव की सोच भी भौतिक संपत्ति या धन के पुनर्वितरण पर ही आधारित है जबकि अन्य जीवन मूल्यों व आयामों पर उसकी चुनौती कम है। इसी कारण दक्षिणपंथी समूहों या दलों ने भी वामपंथ के एजेंडा का कुछ हद तक अपने ढंग से उपयोग कर लिया है।

वामपंथ के संकट के कुछ पक्ष

> **राजनीतिक सिद्धान्त व आदर्श का दृष्टिकोण**
समाज की अपनी आलोचना व राजनीतिक रणनीतियों में वामपंथ ने प्रायः आधिपत्य के सभी पक्षों का समावेश नहीं किया है, व प्रायः वर्ग संघर्ष व साम्राज्यवाद–विरोधी संघर्षों के अपने मूल कार्यक्रम पर ही मुख्य ध्यान दिया गया है। अतः वह पश्चिमी पूंजीवादी सभ्यता की कुछ गहरी प्रवृत्तियों को चुनौती नहीं दे सका है, जो पित्तृसत्तात्मकता, उपनिवेशवाद, नस्लवाद, व प्रकृति से आक्रमक संबंध पर आधारित हैं। वामपंथी विमर्श के एक बड़े हिस्से पर राज्य–केन्द्रित व विकास–केन्द्रित आदर्शों के लक्ष्य हावी रहे हैं, जिससे पुनर्वितरण के लिए प्रकृति के अधिक दोहन, आर्थिक संवृद्धि व चुनावी राजनीति पर अधिक जोर देने की प्रवृत्तियां जुड़ी है।

> **राजनीतिक के अन्य पक्ष**
इस संकीर्ण सोच के कारण ज्ञान, संघर्ष व राजनीति के अन्य पक्षों को समझने व समावेश करने में वामपंथ को कठिनाई रही है (जैसे कि धर्म, आध्यात्मिकता, संस्कृति व पहचान, भावनात्मक पक्ष आदि)।

> **समझौते व सामाजिक आंदोलन**
वामपंथ ने प्रायः सामाजिक आंदोलनों के प्रति बस उन्हें उपयोग करने वाला सीमित दृष्टिकोण अपनाया है। जमीनी संघर्षों को सहयोग देने व उनकी मांगों व सुझावों को वामपंथी एजेंडे में शामिल करने के स्थान पर उन्होंने इन संघर्षों को संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे की ओर मोड़ने का प्रयास किया है। अतः वामपंथ के एजेंडे में पर्यावरणीय, देशीय व नारीवादी संघर्षों के समावेश की गति धीमी रही, व यह विषय आर्थिक न्याय के विषयों से पीछे रहे।

> **राजनीतिक संस्कृति**
वामपंथ में विचारधारा व 'विचारधारा पहचान की राजनीति' संकीर्ण राजनीतिक पहचान पर प्रायः केन्द्रित रही जिसमें ऊर्जा लगने के कारण असरदार सामाजिक–सांस्कृतिक बदलाव के लिए ऊर्जा कम बचती है। कई बार बाहर से एकता–समानता बनाए रखने के बावजूद अंदर ही अंदर आंतरिक भेद बहुत बढ़ जाते हैं। इसके व शक्ति टकरावों के कारण विभाजन व टूटन की प्रवृत्ति बढ़ती है।

> **सीख**
विशेषकर हाल के दशकों में अपनी प्रवृत्तियों से व अन्य संघर्षों से जरूरी सीख लेने में वामपंथ को कठिनाई हुई है। अधिक ध्यान चुनाव या सैन्य संघर्ष से राज्य सत्ता प्राप्त करने पर रहने के साथ अपने पहले से तैयार उत्तरों पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि नए सवाल उठाने पर कम ध्यान जाता है।

> **रेडिकल सुधार के लिए शासन**
वामपंथ को सामाजिक बदलाव व रेडिकल सुधार लाने में अधिक सफलता तब मिली है जब वह विरोध पक्ष में था, बनिस्बत कि जब वह सरकार चला रहे थे। शासन में आने पर प्रायः वे रेडिकल सुधार टाल देते हैं। कुछ मामलों में वामपंथ चुनाव जीतने के लिए तो तैयारी कर सका, पर शासन करने के लिए नहीं। जहां उन्होंने कुछ सफलताएं प्राप्त कीं, वे प्रायः स्थानीय स्तर पर थीं।

बेशक यह सच है कि वामपंथी संगठनों व मुक्तिमार्ग प्रक्रियाओं को बहुत उत्पीड़न, अनुचित दोषारोपण व हमले सहने पड़े हैं व वामपंथी संस्कृति, भाषा व संगठनों को क्षतिग्रस्त करने के अनेक कुप्रयास होते रहे हैं। पर साथ में वामपंथ के संकट के लिए उसकी अपनी ऐतिहासिक सीमाएं व विरोधाभासी प्रवृत्तियां (जिनकी स्थिति विभिन्न स्थानों पर अलग हो सकती हैं) भी जिम्मेदार हैं।

पुनर्निर्माण के व्यवहारिक प्रयास

वामपंथ के बढ़ते संकट के बीच मुक्तिमार्ग से नवजीवन देने व नए ढंग से परिभाषित करने की अनेक प्रक्रियाएं वाम के भीतर व उससे आगे आरंभ हुई, जैसा कि स्पेन में नजर आया।

15 एम के जन जागृति प्रयासों ने न केवल सरकार व उसकी नवउदारवादी नीतियों को नकारा अपितु पुराने वामपंथ व नवउदारवादी सुधारों से उसकी सांठगांठ पर भी सवाल उठाए। अनेक जनसाधारण को उस समय की प्रचलित वाम संस्कृति से अलगाव होने लगा व नए आंदोलन आपसी बराबरी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र व गतिशीलता के साथ उससे अधिक आकर्षक लग रहे थे। बार्सीलोना एन कोमू का म्यूनिसिपलवाद व अन्य प्रयास इस ऊर्जा को संस्थागत व चुनावी राजनीति तक ले गए (जिसमें कठिनाईयां भी आईं)। साथ ही वामपंथ के अनुभवों, संगठनों व कार्यवाहियों की इन जन–जाग्रति की नई प्रक्रियाओं व शहरी संस्थानों की शक्ति प्राप्त करने के नई रणनीतियों में महत्त्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं क्योंकि ऐसे अनेक व्यक्तियों की सक्रियता का आरंभ ही वामपंथी प्रक्रियाओं से हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर पोदेमोस ने भी लोगों से वामपंथ की सोच, भाषा व स्थान से आगे संवाद करना आरंभ किया, जैसा कि पहले वेनेजुएला, इक्वेडोर व अर्जेन्टीना के कुछ आंदोलनों ने दिया था।

इंडिगनादोस जैसे जमीनी आंदोलन व बीइसी व पोदेमोस जैसी संस्थागत राजनीति नई भाषा, पहचान व राजनीतिक आंदोलन सृजन कर सके तभी वामपंथ के ऐतिहासिक आधार से अधिक लोगों को आकर्षित कर सके। उन्होंने एक प्रतिशत के पास संपत्ति व शक्ति के केन्द्रीयकरण को नकारा, पर साथ में पुरानी वामपंथी राजनीति व प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की संकीर्णताओं को भी नकारा, व इससे नए लोग आकर्षित हुए।

दक्षिणपंथी व वामपंथी लोकलुभानी विचारधाराओं के संगठन समर्थकों की बड़ी भीड़ एकत्र करने में सफल रहे हैं पर इनसे विश्व को वैसा बदलाव नहीं मिल पा रहा है जिसकी उसे बहुत जरूरत है। महत्त्वपूर्ण बहुआयामी बदलाव के लिए व इस बदलाव के क्रियान्वयन के लिए प्रतिरोधी शक्ति की भी जरूरत है, जिसके लिए संगठन व काडर चाहिए व व्यापक स्तर पर साझे किया जा सकने वाले आदर्श चाहिए। कई वामपंथी ताकतों ने ऐसे प्रयास किए। विश्व के अनेक भागों में तो वामपंथ एकमात्र ऐसी शक्ति बची है जो पूंजीवाद व उसके विनाशकारी परिणामों का विरोध निरंतर व रणनीतिक तरीके से करती है, पर अधिक असरदार होने के लिए उसे नए उपाय करने होंगे व कई तरह के संघर्षों के प्रति खुलापन रखना होगा।

भविष्य में वामपंथ

विश्व में बहुआयामी बदलाव के लिए कई स्तरों पर, कई लोगों के प्रयास व संघर्ष होंगे जिन्हें आपसी संबंध बनाने होंगे। इस तरह के व्यापक, अनेक स्तरों के प्रयास में कुछ महत्त्वपूर्ण सुधारों के साथ सशक्त हुए संगठित वामपंथ की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। अल्पकालीन स्तर पर यह दक्षिणपंथी अर्थशास्त्र व नीतियों के विरोध में, व सामाजिक व पर्यावरणीय विनाश की मशीन के विरोध में महत्त्वपूर्ण है, व दीर्घकालीन स्तर पर अधिक गहरे बदलाव में भी योगदान दे सकता है।

वामपंथ की बहुलवादी पहचान के सशक्त होने से, व्यापक वाम संस्कृति की समृद्धि से, वामपंथ के नए रूपों को अनेक अन्य सार्थक आंदोलनों (नारीवादी, देशीय, गांधीवादी) से जोड़कर उसे और प्रासंगिक व सशक्त बनाया जा सकता है।

वामपंथ की नवरूपता के लिए कई बदलाव आवश्यक है।

- राजनीतिक संस्कृति – इसमें विविधता, विकेन्द्रीकरण, बारी–बारी से जिम्मेदारी लेने, बराबरी के संबंध और व्यवहार, राजनीतिक के नारीकरण को समुचित स्थान मिलना चाहिए।
- मुक्तिमार्ग के विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में वाम की भागेदारी बढ़नी चाहिए, पर इस तरह से नहीं कि हम तुमसे श्रेष्ठ व बड़े हैं, हमारी समझ व जानकारी बेहतर है, अपितु परस्पर एके दूसरे से सीखने व बराबरी की सोच को लेकर भागेदारी बढ़नी चाहिए।
- राजनीतिक सिद्धांत व आदर्श – मार्क्स के सिद्धांत, इसके पूरक विचारों, गैर–मार्क्सवादी प्रगतिवादी सिद्धान्तों सभी का अपना–अपना महत्त्व व्यापक समझ बनाने में है। बहुआयामी बदलाव के लिए कई स्तरों पर ज्ञान का समन्वय करना, ऐसी सोच बनाना आवश्यक है जो व्यापक एकता से बहुआयामी बदलाव ला सके।

- सीख – अपने इतिहास से भी वाम को बेहतर ढंग से सीख लेनी है व अन्य संघर्षों से भी आवश्यक सीख लेनी है। धैर्य व दीर्घकालीन संघर्ष के लिए प्रतिबद्धता की जरूरत है, क्योंकि जैसे बदलाव की जरूरत है वह जटिल व समय लेने वाला है।

वाम के बहुलवादी रूप व वामपंथ के आगे के सामाजिक संघर्षों दोनों की बहुआयामी मुक्तिमार्गी राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ बहुआयामी बदलाव के विमर्श को केवल यूरोप के स्थानों, भाषाओं व अवधारणाओं से बाहर निकालकर एक व्यापक जगह देनी चाहिए, गैर–पश्चिमी भाषाओं में भी यह विमर्श होना चाहिए।

वैश्विक एकजुटता व आदान–प्रदान, आपसी सहयोग

एकजुटता व अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की वामपंथी सोच में केन्द्रीय भूमिका रही है क्योंकि वर्ग संघर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास के रूप में देखा गया था। स्वतंत्रता संघर्षों व मजदूर संघर्षों की एकजुटता मुक्तिमार्गी संघर्षों के लिए सदा महत्त्वपूर्ण रही है, पर शीत युद्ध की स्थितियों में इसे एक अलग विशिष्ट रूप भी मिला।

भूमंडलीकरण के दौर में राजनीतिक व आर्थिक प्रक्रियाएं पहले से भी अधिक वैश्विक व एक दूसरे पर निर्भर होती जा रही हैं। पर्यावरणीय संकट से विश्व के सभी मनुष्यों के लिए गंभीर संकट उपस्थित हुआ है। अतः बहुआयामी बदलाव व उसकी रणनीतियों को भी पहले से अधिक वैश्विक होना पड़ेगा। साम्राज्यवाद जैसी सोच अनेक तेजी से आगे आती अर्थव्यवस्थाओं व विकासशील देशों के अभिजातों में भी पहुंच गई है। दूसरी ओर उत्तर के धनी देशों में भी निर्धनता व दोहन की नीतियों के दुष्परिणाम व भेदभाव नजर आते हैं।

इस शताब्दी के आरंभ में विश्व सामाजिक फोरम के नारे 'एक दूसरा विश्व संभव है' ने विभिन्न स्थानों के संघर्षों को एकजुटता व नेटवर्किंग का अवसर दिया जिसका लाभ कम से कम एक पीढ़ी के कार्यकर्ताओं और सामाजिक आंदोलनों को मिला। इसने पहले की अन्तर्राष्ट्रीयता की अपेक्षा एक अधिक खुला मंच दिया। पर पिछले कुछ वर्षों में फोरम ने अपनी गतिशीलता को व अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलनों में अपनी केन्द्रीयता को खो दिया है। इसकी वजह यह है कि इसके पर्याप्त कार्यक्रम व समझौते नहीं निकले, यह लैटिन अमेरिका की वामपंथी सरकारों से पर्याप्त स्वतंत्र नहीं रह सका व यह ऐसे बहुराष्ट्रीय अभिजात कार्यकर्ताओं का स्थान बन गया जिनकी जमीनी भागेदारी कम थी। दूसरी ओर हमें बताया गया कि वेनेजुएला व ट्यूनीशिया जैसे कुछ देशों की स्थानीय प्रक्रियाओं को विश्व सामाजिक मंच से काफी लाभ मिला क्योंकि वहां

के ऐसे मंचों ने नए समझौतों व नए राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों के क्षेत्र में काफी कार्य किया जिससे स्थानीय संघर्ष प्रेरित हुए।

सहायता व सहयोग

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सहायता व सहयोग का एक विमर्श पश्चिमी विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित 'विकास' के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया। इसमें भी कई धाराएं थीं। राज्य की एजेंसियों व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों व तकनीकी सिविल सोसाईटी द्वारा कृषि के आधुनिकीकरण (हरित क्रान्ति) व उसमें पूंजीवादी पद्धतियों के प्रवेश की व्यवस्था की गई। पर कुछ अन्य धाराओं (जैसे ट्रेड यूनियन संगठनों से जुड़ी धाराओं) ने बदलाव की प्रक्रियाओं में वास्तविक राजनीतिक एकजुटता बनाने में, देशीय लोगों व महिलाओं के आंदोलन को समर्थन देने में, नस्लभेद विरोधी संघर्ष को समर्थन देने में या दोहन के विरुद्ध हो रहे संघर्षों को समर्थन दने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आर्थिक वित्तीयकरण व अनेक दक्षिण देशों के विदेशी कर्ज के संकट के दौर के बाद एक बड़ा बदलाव आया। अनेक प्रक्रियाएं, यहां तक कि सामाजिक आंदोलनों व प्रतिरोध की अनेक प्रक्रियाएं, दाताओं के पैसे के आसपास घूमने लगीं। उनके प्रोजेक्ट समय पर पूरा करना, पारदर्शी प्रबंधन करना अधिक महत्त्वपूर्ण होने लगा। अनेक सामाजिक आंदोलन किसी विषय पर एन जी ओ की कतार बन गए, व आपसी सहयोगी होने के स्थान पर फंड के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। इन एनजीओ ने कार्यकर्ताओं को औपचारिक रोजगार दिए, पर साथ में दाताओं पर अत्यधिक निर्भर हो गए। उनपर प्रोजेक्ट आधारित नौकरशाही व ऊपर से नीचे के निर्देश की प्रवृत्तियां हावी होने लगी। इससे अलगाव की प्रक्रिया आई जिससे उनकी मुक्तिराह की संभावनाओं व एकजुटता में कमी आई।

हाल के वर्षों में नवउदारवाद व तकनीकशाही के संकीर्ण दायरे में अन्तर्राष्ट्रीय एनजीओ व विकास सहयोग स्कीमों के सिकुड़ने की नई प्रवृत्तियां देखी गई हैं। इसका अर्थ है कि जमीनी बदलाव व सामाजिक संगठनों से समर्थन हट रहा है व जलवायु बदलाव तथा खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याओं के तकनीकी समाधान की ओर समर्थन जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय रुझानों के आधार पर पहले ही समस्या और समाधान तैयार कर लिए जाते हैं जबकि जमीनी हकीकतें और जरूरतें उपेक्षित रह जाती हैं। बहुआयामी सामाजिक बदलाव की वास्तविक जरूरतों को उपेक्षित कर ग्लोबल नार्थ, धनी देशों व उनके संस्थानों के एजेंडा के आधार पर बहुत सा धन भेज देने से अनेक समस्याएं बढ़ सकती हैं।

अतः मुक्तिमार्ग से एकजुटता व सहयोग की दृष्टि से मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर सवाल उठाने चाहिए। ऐसे 'विकास' सहयोग व वास्तविक राजनीतिक एकजुटता के बीच भेद करना आवश्यक है। ग्लोबल नार्थ व साऊथ में वास्तविक बहुपक्षीय सामाजिक बदलाव लाने वालों में बराबरी और आदान–प्रदान के संबंध बनने चाहिए। एकजुटता के कुछ संगठन ऐसे ही बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, पर इनकी संख्या अभी अपेक्षाकृत कम है।

अभियान व नेटवर्क

विशिष्ट मुद्दों से जुड़े अनेक अन्तर्राष्ट्रीय अभियान चल रहे हैं व अनेक नेटवर्क बने हुए हैं। अपने लोगों की आजीविकाओं को बचाने में नाईजीरिया के कार्यकताओं को इनसे सहायता मिली। नस्लभेद व विश्व व्यापार संगठन व खनन के विरुद्ध संघर्षों को ऐसे सहयोग से सहायता मिली। यह अच्छे परिणामों के उदाहरण है। फिर भी यह कहना होगा कि ऐसे अनेक अन्तर्राष्ट्रीय अभियानों में ग्लोबल नार्थ का परिप्रेक्ष्य व भाषा ही हावी है। इस तरह यह संभावना बनी रहती है कि कभी जमीनी संघर्षों की जरूरतें इनसे अलग न हो जाएं।

कुछ पर्यावरणीय नेटवर्कों में ग्लोबल साऊथ की भाषा व परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के प्रयास हुए हैं, विशेषकर प्रकृति, ज्ञान व आध्यात्मिकता से जुड़े देशीय आंदोलनों के संदर्भ में।

व्यवहार व संघर्षों को जोड़ना

एकजुटता का एक पक्ष यह भी है कि हम दैनिक व्यवहार में जरूरी बदलाव के लिए तैयार रहें। सभ्यतात्मक संकट और इसकी पर्यावरणीय अभिव्यक्ति से स्पष्ट है कि उपभोग में कमी, ऊर्जा में कमी व यातायात के तौर–तरीकों में सुधार जरूरी हैं। अनावश्यक उपभोग का असर किसी दूसरे क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तेज होने से आजीविका की क्षति के रूप में हो सकता है।

हमें पूछना होगा कि हमारी जीवन पद्धति कहां तक साम्राज्य की सोच से जाने–अनजाने जुड़ गई है व उसे सुधारने का प्रयास करना होगा। इसके लिए हमें अन्य संस्कृतियों से भी सीखना होगा।

एक भूमंडलीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमारे संघर्ष पहले से कहीं अधिक एक–दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। ग्लोबल साऊथ में बदलाव ग्लोबल नार्थ पर निर्भर है व ग्लोबल नार्थ का बदलाव ग्लोबल साऊथ के बदलाव पर निर्भर है।

ग्लोबल नार्थ में दूर के साऊथ के संघर्षों को समर्थन देना अपेक्षाकृत सरल है, बनिस्बत कि अपने पास–पड़ौस के संघर्षों को ऐसा समर्थन दें जिससे कि अपने आसपास की कठिन व विरोधाभासी स्थितियों से जूझना पड़ सकता है। एकजुटता का ठोस आधार होना जरूरी है व खोखला आदर्शीकरण उचित नहीं है। वास्तविक एकजुटता के लिए जरूरी है पहले अपने समाज के सामाजिक बदलाव से भी जुड़ा जाए क्योंकि इससे अधिक व्यापक एकजुटता में भी सहायता मिलेगी।

आश्चर्यजनक एकजुटता : दक्षिण–दक्षिण, दक्षिण–उत्तर व स्थानीय आदान–प्रदान

डिजीटल दुनिया से, पुस्तकों व यात्राओं से, तरह–तरह से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के संघर्ष और विचार दूर–दूर के क्षेत्रों में पहुंचकर, भिन्न स्थितियों के बावजूद कुछ महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। गांधी जी आज भी दूर–दूर के क्षेत्रों में सिविल नाफरमानी जैसी रणनीतियों के लिए प्रेरक हैं। पेरू से फिलीपीन्स, सेनेगल से संयुक्त राज्य अमेरिका तक ऐसे प्रेरणादायक व उपयोगी संदेश पहुंचे हुए हैं, असरदार सिद्ध हुए हैं।

अनेक स्थानीय संघर्षों व प्रक्रियाओं में भी अपने स्तर, विचारों व अनुभवों पर आदान–प्रदान हो रहे हैं। बेशक विभिन्न संस्कृतियों में विचारों के आदान–प्रदान में कई समस्याएं भी हैं पर इन्हें कम किया जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीयवाद का नया रूप

आदान–प्रदान व एकजुटता की प्रक्रियाओं में भी असमानता आ गई है। कुछ बहुराष्ट्रीय अभिजात हैं जो कान्फ्रेंसों में बार–बार जाते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व तथा संवाद पर एकाधिकार कर लेते हैं, फिर चाहे जमीनी संघर्षों से उनका कितना ही कम जुड़ाव हो। यह प्रतिनिधित्व की राजनीति संघर्षों में वर्ग व पद आधारित भेद व्यक्त करती है जिस पर प्रायः खुले में चर्चा नहीं होती है। इस प्रवृत्ति को विकास सहयोग की बड़ी एजेंसियां भी बढ़ाती हैं व अपने प्रिय नेताजी को बहुत प्रेमोट करती है जबकि इस प्रक्रिया में उनका जमीनी जुड़ाव और कम हो जाता है। बिना सोचे–समझे स्थापित की गई एकजुटता उपयोगी नहीं है।

अनेक क्षेत्र आधारित संघर्षों में एकजुटता स्थापित हो रही है। एकजुटता का अर्थ है कि साथ–साथ संघर्ष बढ़ाएं, एक साझे संघर्ष की भावना से आदान–प्रदान करें। ऐसे सहयोग व सीख से बेहतर व समग्र परिप्रेक्ष्य व रणनीतियां तैयार करने में सहायता

मिलेगी। दीर्घ–कालीन संबंधों के आधार पर सहयोग की संभावनाएं खुलती हैं तो नीचे से, जमीनी स्तर से सहयोग बढाने के प्रयास हों।

कार्यकर्ताओं के लिए निगरानी, सुरक्षाकरण व अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्तियों से खतरे बढ़ रहे हैं और इस संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीयता और एकजुटता की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है।

रणनीति पर अंतिम विचार

रेडिकल बहुपक्षीय बदलाव मानवता के न्यायसंगत व लोकतांत्रिक भविष्य के लिए जरूरी है। पर इस बदलाव के लिए जरूरी शर्तें व स्थितियां बहुत कठिन हैं। पहले से भी अधिक अब शक्ति व संसाधनों का केन्द्रीयकरण वैश्विक अभिजातों व आर्थिक समूहों के हाथ में है। उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद व विकास की सोच अधिकतर लोगों पर हावी हो चुकी है। सैन्यवाद, कारपोरेट तकनीकी (व तकनीकी समाधानों) का प्रसार हावी है और बड़े संचार माध्यम भी इन स्थितियों की ओर ले जा रहे हैं।

पर इसी दौर में संघर्षों और मुक्तिमार्ग से राजनीति को आगे ले जाने के अनेक कारक भी है, जिनमें से छः यहां दिए गए हैं –

- अनेक स्थानों पर स्व–निर्धारण के लिए समुदायों के आगे आने की बढ़ती जरूरत, जैसा कि मेंधा लेखा गांव में व अनेक अन्य पहल में भी देखा गया।
- अनेक सामाजिक आंदोलन जो विभिन्न रणनीतियों से सांस्कृतिक व राजनीतिक बदलाव चाहते हैं जैसे कि लिंग भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन, देशीय आंदोलन आदि।
- राज्य के कुछ भागों में बदलाव व उसमें कुछ प्राप्ति नीचे से होने वाली सामुदायिक प्रक्रियाओं से, जैसे नाबॉन व बार्सीलोना में, यह संभावना बढ़ रही है कि स्थानीय सरकार समाज को अधिक लोकतांत्रिक, समतावादी व टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाए।
- राजनीतिक दल व आंदोलन जो समाज को बदलने के लिए राज्य को हथियाना चाहते हैं या संस्थागत राजनीतिक प्रक्रिया में भागेदारी चाहते हैं।
- भूमंडलीकरण के साथ आए नेटवर्क, अभियान व आंदोलन जो भूमंडलीकरण की रणनीति को प्रभावित करना व बदलना चाहते हैं।
- व्यक्तिगत स्तर पर उपभोग व संबंधों आदि के बारे में किए गए निर्णयों से सामाजिक बदलाव को आगे बढ़ाने के बहुत से प्रयास।

इन विभिन्न रणनीतियों में अनेक तरह के जुड़ाव हैं पर कभी–कभी टकराव भी उत्पन्न हो सकते हैं।

प्रतिरोध के मजबूत सामाजिक आंदोलन हर स्तरों पर जरूरी है – स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, महाद्वीपीय व वैश्विक। इन संघर्षों के लिए कई रणनीतियों की जरूरत होगी।

हम एक सभ्यतामूलक व पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहे हैं अतः मौजूदा राष्ट्र राज्य की अवधारणा व उत्पादन, उपभोग व वितरण के मौजूदा विमर्श के संकीर्ण दायरे से आगे का विमर्श चाहिए।

वैकल्पिक दुनिया के कई रूप छोटे स्तरों पर, कहीं संघर्षों में तो कहीं स्थानीय सरकारों में सामने आ रहे हैं व उन्हें संजोना व इनसे आगे बढ़ना होगा। इसके लिए विभिन्न संस्कृतियों, राजनीतिक परंपराओं व सामाजिक आंदोलनों में गहराई से संवाद जरूरी हैं जैसा कि हमारी मीटिंग में कुछ स्पष्ट हुआ।

कई विषयों पर अधिक बेहतर समझ बनाना जरूरी है। उद्यम, उत्पादन, उपभोग, वितरण व विनियम के तौर–तरीकों व नेटवर्कों को बदलना जरूरी है व इसके लिए अर्थव्यवस्था के स्तर पर, इन बदलावों के अनुकूल मॉडल बनाने के स्तर पर कार्य करना जरूरी है।

बदलाव का केवल एक सुनिश्चित बना–बनाया मॉडल हमारे सामने नहीं आएगा अपितु विभिन्न स्थानीय व ऐतिहासिक स्थितियों व संदर्भों के अनुसार अनेक तरह के प्रयास होंगे जिनमें आपसी संबंध बनाना, उनकी एकजुटता बनाना महत्त्वपूर्ण व जरूरी कार्य होगा। ऐसे प्रयास चाहिए जो प्रतिरोधों व विकल्प तैयार करने के प्रयासों को जोड़ सकें। भारत में कई जमीनी प्रयास कृषि में एग्रो इकोलोजिकल विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, व दूसरे स्तर पर जीएम फसलों का विरोध करने वाले राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़े हैं।

निश्चय ही मौजूदा राजनीति को बदलने की जरूरत है, साथ–साथ मिलकर कार्य करने की राह लोगों को, आंदोलनों व संघर्षों को निकालनी है।

Rosa Luxemburg Stiftung – Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V.,
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, Germany
www.rosalux.de I www.rosalux.in
“Sankatgrast Duniya me Vikalp” (Translation: Alternatives in a world of crisis)
Editors
Miriam Lang, Claus-Dieter König and Ada-Charlotte Regelmann
Adaptation in Hindi by Bharat Dogra

Cover illustration
© Mélanie Heddrich

Derwent Living CC-BY-NC-ND-2.0 p 2, © Ivonne Yánez p 17, p 31, p 41,
© Eduardo Veletanga p 26, © Ashish Kothari p 36, p 116, p 120, p 132, p 133, p 134,
Mr. Brian CC-BY-2.0 p-49, Subodhkiran CC-BY-SA-4.0 p 61,
© V. Gour-Broome p 71, Gomesh dunga CC-BY-SA-4.0 p 78,
Toshiko Sakurai CC-BY-ND-2.0 p 84, Julien Lagarde CC-BY-ND-2.0 p 89,
Adolfo Lujan/DISO Press CC-BY-NC-ND-2.0 p 94,
Eric Fischer CC-BY-2.0 p 99, Sonse CC-BY-2.0 p 109,

Printed by Pullshoppe in New Delhi
This publication was financed by the Rosa Luxemburg Stiftung with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany.

हमारे विश्व में उसी सभ्यतामूलक बुनियाद से बहुआयामी संकट उत्पन्न हो रहा है जिस पर आधुनिक पूंजीवाद का ढांचा बना है – आर्थिक संवृद्धि, प्रकृति से समाज के संबंध में विनाशात्मक तनाव व मनुष्य की सोचे–समझे ढंग से मुनाफा अधिक करने वाली इकाई के रूप में सोच। इस तरह की बुनियाद से न केवल असहनीय हद तक पर्यावरणीय विनाश जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं अपितु संकट से बाहर निकालने के लिए इसी बुनियाद से जुड़े समाधान सुझाए जाते हैं जो मौजूदा स्थिति को प्रायः और बिगाड़ देते हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकास के विमर्श का असरदार पर अनुचित उपयोग पूंजीवादी आर्थिक व समाजिक संबंधों के विस्तार के लिए किया गया। विकास व आधुनिकीकरण के नाम पर जीवन की अनेक अन्य तरह की समझ को नाहक ही पिछड़ा हुआ कहकर नकार दिया गया है। विकास के आगे विकल्प खोजने का अर्थ है सभ्यता की जो सोच इस संकट में हमें ले आई है उससे हटकर विकल्पों की तलाश करना।

यह पुस्तक एक सामूहिक प्रयास है। यह उन सामूहिक अनुसंधानों में एक योगदान है जो सामाजिक बदलाव की नई सैद्धान्तिक व राजनीतिक सोच को आगे बढ़ाते हैं। विश्व के विभिन्न भागों के तीन अध्ययनों व निष्कर्ष के एक अध्याय में इसमें वर्ग, नस्ल, औपनिवेशिकता, लिंग व प्रकृति के जटिल संबंध एक साथ उठाए गए हैं क्योंकि ऐतिहासिक स्तर पर इन सबके उलझे अन्तर्संबंधों में ही मौजूदा सभ्यतामूलक संकट का आधार रहा है।

WWW. ROSALUX.IN